

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम मन्त्र्या

कान तः

खण्ड





# मध्यकालीन भारतीय संस्कृति

[ ६०० ई०—१२०० ई० ]

अर्थात्  
संयुक्तप्रदेश की हिंदुस्तानी एकेडेमी की अवधानता  
में प्रयाग में ता० १३, १४ सितंबर १९२८  
को दिए गए तीन व्याख्यान

व्याख्यानदाता  
रायवहादुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर  
हीराचंद श्रीभा

१८२८

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रदेश, प्रयाग

Published by  
The Hindustani Academy,  
U. P  
Allahabad

Printed by  
A Bose,  
at The Indian Press, Ltd,  
Benares-Branch,

## प्राकथन

संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी और उर्दू भाषाओं की उन्नति के लिये 'हिंदुस्तानी एकेडेमी' की स्थापना का प्रशंसनीय कार्य किया है। उक्त एकेडेमी ने मुझे ६०० ई० से १२०० ई० तक अर्थात् राजपूत काल की भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान देने की आज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लिये मैं साभित का अनुगृहीत हूँ। यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व का है।

इस काल की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था बहुत उन्नत थी। धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष का दशा आश्चर्यकारक थी। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तथा उनके अनेक धार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी उन्नति कर रहे थे। अनेक संप्रदाय अस्त हुए और अनेकों का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ। इसी तरह कई दार्शनिक संप्रदायों का भी आविर्भाव और विकास हुआ। भिन्न भिन्न परस्पर-विरुद्ध मतों का विकास या हाम किस तरह हुआ यह ज्ञातव्य, रोचक तथा आश्चर्यकारक कथा है। इसी समय में प्रसिद्ध विद्वान् शंकराचार्य हुए, जिन्होंने दार्शनिक क्रांति कर दी। उनके अतिरिक्त रामानुज और मध्वाचार्य प्रभृति आचार्य भी हमारे समय में हुए।

ग्रीक, चत्रपों तथा कुशनों के राज्य समाप्त होने के बाद गुप्त वंश भी उन्नत होकर नामशेष हो चुका था। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न वंश अपना राज्य फैला रहे थे। दक्षिण में सांलकी राजाओं का अधिक प्रभाव था। उत्तर में बैस ( हर्ष ), पाल, सेन आदि वंश भी

उन्नति कर रहे थे। मुसलमान भी मिथ मे आ चुके थे और ग्यारहवीं बारहवीं सदी मे मुसलमानों का प्रवेश भारत में विशेष रूप से हंग चुका था और कितने एक प्रांतों पर भी उनका अधिकार हो गया था। इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास और हाम आदि अनेक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी इस काल का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्त्व के परिवर्तन हुए। उस समय के विचार-प्रवाह, रीति रिवाज आदि में कम महत्त्व के परिवर्तन नहीं हुए। समाज का संगठन भी पहले से बदल गया। केवल सामाजिक स्थिति ही नहीं, किंतु उस समय की राजनीति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति एवं राजकीय सस्थाओं में भी कुछ परिवर्तन हुआ।

कृषि, व्यापार और व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण यह काल आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप और एशिया के देशों के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश ही नहीं बल्कि व्यवसाय-प्रधान देश भी था। वस्त्र-व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, काँच, हाथीदाँत इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नत थे। भारतवर्ष अधिक संपन्न और ऐश्वर्यशाली था। भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ते थे जिससे किसी का भोजनादि की विशेष चिंता नहीं रहती थी।

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जैसा कि आगे मान्य होगा। हमारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ आदि साहित्य-विषयक ग्रंथों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा कलाकौशल में विशेष उन्नति हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि यह काल प्रायः सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे घटना-

( ग )

पूर्ण और महत्त्वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त समय, पर्याप्त अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की आवश्यकता है। परंतु इस गुरुतर कार्य को सुचारु रूप से संपादन करने की योग्यता मुझमें नहीं है। मैं चाहता था कि यह कार्य किसी योग्यतर विद्वान को सौंपा जाता। मुझे खेद है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं इसमें यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका।

इस विषय का मैंने तीन भागों में विभक्त किया है। पहला भाग या व्याख्यान में तत्कालीन धर्मों—बौद्ध, जैन तथा हिंदू—के भिन्न भिन्न संप्रदायों के विकास और हास तथा उम्र समय की सामाजिक स्थिति, वर्णाश्रम-व्यवस्था, दाम्प्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में भारतीय साहित्य, अर्थान् कोष, व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की तत्कालीन स्थिति पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में उस समय की शान्त-पद्धति, ग्राम-पंचायतों का निर्माण और उनके अधिकार, सैनिक व्यवस्था तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उम्र दीर्घ काल में होने-वाले परिवर्तनों का सक्षेप सं उल्लेख कर उस समय की आर्थिक स्थिति—कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग, आर्थिक समृद्धि आदि—पर भी कुछ विचार किया गया है। ऊपर लिखे हुए विषयों में से प्रायः प्रत्येक विषय इतना गंभीर और विस्तृत है कि उन पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। केवल तीन व्याख्यानों में इन सबका समावेश संक्षिप्त रूप में ही हो सकता है।

इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री मिलती है, वह बहुत नहीं है। विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमें तत्कालीन संस्कृति का स्पष्ट उल्लेख हो, बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे ग्रंथ लिखे गए हो और



वे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट हो गए हैं। फिर भी हमें इस समय पर विचार करने के लिये भिन्न भिन्न ग्रंथों से सहायता मिल सकती है। इस सामग्री का संक्षेप सं हम यहाँ निर्देश करते हैं।

सबसे पूर्व चीनी यात्री हुएन्त्संग और इत्सिंग के यात्रा-वर्णनों से उस समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के अतिरिक्त अल्-मुसूदी और अल्वरूनी आदि अरब के भारत-विषयक ग्रंथ भी विशेष महत्त्व के हैं। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्रविड़ भाषाओं के काव्य, नाटक, कथाओं और पुराण आदि से भी तत्कालीन सामाजिक सभ्यता के सवध में काफी बातें मालूम होती हैं। प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राओं से भी कम सहायता नहीं मिलती। याज्ञवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रभृति स्मृतियों तथा विज्ञानेश्वर-कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्षरा से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है।

इस प्राचीन सामग्री के अतिरिक्त नवीन लेखकों की भी कई पुस्तकों से बहुत सहायता ली गई है। इनमें से रमेशचन्द्र दत्त-रचित 'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एंशयंट इंडिया', सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर-कृत 'वैष्णविज्म शैविज्म एंड अदर माइनर रिलिज्म सिस्टम', विनयकुमार सरकार-निर्मित 'दि पॉलिटिकल इंस्टि-ट्यूशंस एंड थ्योरीज आफ दि हिंदूज', राधाकुमुद मुकर्जी का 'हर्ष', के० एम० पत्निकर का 'श्रीहर्ष आफ कन्नोज', चि० वि० वैद्य-कृत 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', ए० मैकडानल-कृत 'इंडियाज पास्ट', नरेन्द्रनाथ ला-कृत 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर', हर-विलास सारडा रचित 'हिंदू सुपरियारिटी', जान ग्रिफिथ-रचित 'दी पेटिंग्स आफ एजटा', लेडी हैरिगहम-कृत 'अजंटा फ्रिस्कोज', एन० सी० मंहता की 'स्टडीज इन इंडियन पेटिंग', इंपरियल गेजेटियर

( ४ )

आफ इंडिया', प्रो० मैकडानल और कीथ कृत 'वैदिक इंडैक्स' और आफकेवट का 'कैटेलागस् कैटेलागरम', इलियट की 'हिस्ट्री आफ इंडिया', मेरी बर्नार्ड हर्ड 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला', 'मोलंकियां का प्राचीन इतिहास', 'राजपूताने का इतिहास' तथा 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' और 'इंडियन एंटीक्वेरी', 'एपिग्राफिया इंडिका' आदि पत्रिकाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं ।

हिंदुस्तानी एकेडमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ ।

---



## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रथम व्याख्यान—धर्म और समाज	१—७०
बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और उसका प्रचार	३
बौद्ध धर्म के सिद्धांत	४
बौद्ध धर्म की अवनति	५
बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव और महायान संप्रदाय की उत्पत्ति	६
बौद्ध धर्म के पतन का कारण	७
बौद्ध धर्म के पतन का ऐतिहासिक घटनाक्रम	८
जैन धर्म की उत्पत्ति और उस समय का हिंदू धर्म	९
जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत	१०
बौद्ध और जैन धर्म का पार्थक्य	१२
जैन धर्म के संप्रदाय	१२
जैन धर्म का अधिक प्रचार न होने के कारण	१२
जैन धर्म की उन्नति और अवनति	१३
प्राचीन ब्राह्मण धर्म	१५
ब्राह्मण धर्म में मूर्तिपूजा का प्रचार	१६
वैष्णव संप्रदाय का उद्भव	१६
वैष्णव धर्म के सिद्धांत और उसका प्रचार	१७
रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत संप्रदाय	१८
मध्वाचार्य और उनका संप्रदाय	१९
विष्णु की मूर्ति	२०

विषय	पृष्ठ
शैव संप्रदाय	२१
शैव संप्रदाय की भिन्न भिन्न शाखाएँ और उनके सिद्धांत	२२
दक्षिण में शैव संप्रदाय का प्रचार	२५
ब्रह्मा की मूर्ति	२६
त्रिशूल-पूजा	२६
शक्ति-पूजा	२७
कौलमत	२७
गणेश-पूजा	२८
स्कंद-पूजा	२८
सूर्य-पूजा	२८
अन्य देवताओं की मूर्तियाँ	३२
हिंदू धर्म के सामान्य अंग	३३
कुमारिल भट्ट और उनके सिद्धांत	३५
शंकराचार्य और उनके सिद्धांत	३६
भारत में इस्लाम का प्रवेश	३८
वर्ण-व्यवस्था	४०
ब्राह्मण और उनके कर्तव्य	४०
ब्राह्मणों की उपजातियों	४२
क्षत्रिय और उनके कर्तव्य	४४
वैश्य और उनका कर्तव्य	४६
शूद्र	४६
कायस्थ	४७
अत्यज	४८
वर्णों का परस्पर संबंध	४८
छूतछात	५०

विषय	पृष्ठ
भारतीयों का भौतिक जीवन ... ..	५०
✓ वस्त्र ..	५२
✓ आभूषण	५५
भोजन ... ..	५७
दास-प्रथा ... ..	५८
बहम ... ..	६१
चरित्र	६२
स्त्री-शिक्षा . . . .	६४
पर्दा ..	६६
विवाह ..	६७
सती प्रथा .. ...	६८
<b>द्वितीय व्याख्यान—साहित्य</b>	<b>७१-१४८</b>
संस्कृत साहित्य के विकास की प्रगति ...	७४
तत्कालीन साहित्य के कुछ उत्कृष्ट काव्य	७५
सुभाषित संग्रह ..	७८
गद्य काव्य	७८
चंपू	८१
नाटक ..	८१
ध्वनि, अलंकार आदि साहित्य के अंग ..	८३
तत्कालीन काव्य साहित्य का सिंहावलोकन ..	८४
व्याकरण .	८५
कोष .	८६
दर्शन . . . .	८७
न्यायदर्शन .	८८
वैशेषिक दर्शन .. .	९०

विषय	पृष्ठ
सांख्य	६२
योग	६२
पूर्व मीमांसा	६३
उत्तर मीमांसा	६५
शंकराचार्य और उनका अद्वैतवाद	६५
रामानुज और उनका विशिष्टाद्वैत	६७
मध्वाचार्य और उनका द्वैतवाद	६८
चारवाक	६६
वैश्व-दर्शन	६६
जैन-दर्शन	६६
तत्कालीन दार्शनिक उन्नति का सिद्धांतलोकन	१००
यूरोपीय दर्शन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव	१००
ज्योतिष शास्त्र की पूर्वकालीन उन्नति ..	१०२
६०० ई०—१२०० ई० तक का ज्योतिष साहित्य	१०४
फलित ज्योतिष	१०६
भारतीय गणित शास्त्र	१०७
अंक-क्रम का विकास	१०८
अंकगणित	११५
बीजगणित ..	११५
खण्डगणित	११६
त्रिकोणमिति	११७
आयुर्वेद का साहित्य	११८
शल्यविद्या का विकास	१२०
सर्प-विद्या ..	१२२
पशु-चिकित्सा	१२२

विषय	पृष्ठ
पशु-विज्ञान	१२३
चिकित्सालय	१२५
भारतीय आयुर्वेद का यूरोपीय चिकित्सा पर प्रभाव	१२५
कामशास्त्र	१२७
संगीत साहित्य	१२८
नृत्य	१२९
राजनीति	१३०
कानूनी साहित्य	१३१
अर्थशास्त्र	१३२
प्राकृत साहित्य का विकास	१३४
मागधी	१३५
शौरसेनी	१३५
महाराष्ट्री	१३६
पैशाची	१३६
आवंतिक	१३६
अपभ्रंश	१३७
प्राकृत व्याकरण	१३८
प्राकृत-कोष	१३९
तामिल	१४०
कन्नड़ी	१४१
तैलगू	१४१
शिक्षा	१४२
नालंद विश्वविद्यालय	१४२
तच्छिला विश्वविद्यालय	१४४
शिक्षा का क्रम	१४५



विषय	पृष्ठ
तृतीय व्याख्यान—शासन, शिल्प और कला	१४९-१९३
शासन-पद्धति	१५१
राजा के कर्तव्य	१५२
ग्राम-संस्था	१५३
दंड	१५५
स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति	१५६
शासन-प्रबंध	१५६
आय-व्यय	१५८
मार्वाजनिक कार्य	१५८
सैनिक-प्रबंध	१५८
राजनीतिक स्थिति तथा शासन-पद्धति में परिवर्तन	१६०
आर्थिक स्थिति	१६३
कृषि और सिंचाई का प्रबंध	१६३
व्यापारिक नगर	१६५
व्यापार के जल-मार्ग	१६६
व्यापार के स्थलमार्ग	१६६
भारतीय व्यापार	१६७
मेले	१६७
व्यवसाय	१६८
लोहा आदि धातुओं का व्यवसाय	१६८
काँच आदि का व्यवसाय	१६८
गणसंस्था	१७०
सिक्का	१७१
भारत की आर्थिक स्थिति	१७३
स्तूप	१७४

विषय	पृष्ठ
गुफाएँ	१७४
मंदिर ✓	१७५
स्तंभ	१७८
मूर्तियाँ	१७९
वास्तु विद्या की उन्नति	१८१
वैज्ञानिक उन्नति	१८२
गुफाओं क चित्र	१८३
भारतीय शिल्पकला का अन्य देशों मे प्रभाव	१९०
भारतीय चित्रकला की विशेषता	१९०
सर्गात	१९१

---



## चित्रों की सूची

	पृष्ठ
( १ ) हिंदुओं का बुद्धावतार ( राजपूताना म्यूजियम् )	७
( २ ) शेषशायी विष्णु ( त्रिवेद्रम् ) ..	१६
( ३ ) विष्णु की चौदह हाथवाली मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) ... ..	२०
( ४ ) विष्णु की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) ...	२१
( ५ ) शिव की त्रिमूर्ति ( धारापुरी )	२१
( ६ ) लकुलीश की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) ...	२२
( ७ ) ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) . ...	२६
( ८ ) लक्ष्मीनारायण की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) ..	२६
( ९ ) अर्धनारीश्वर की मूर्ति ( मथुरा ) .. ..	२६
( १० ) ब्रह्मर्षी की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) .	२७
( ११ ) सूर्य की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् )	३०
( १२ ) यम की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् ) .	३२
( १३ ) नव ग्रहों में शुक्र, शनैश्वर, राहु और कंतु की मूर्तियाँ ( राजपूताना म्यूजियम् ) ..	३२
( १४ ) छींट की अंगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र (अजंटा की गुफा ) .. ..	५४
( १५ ) भूषणादि सं अलंकृत स्त्री का सिर ( राजपूताना म्यूजियम् ) ... ..	५५
( १६ ) स्त्री के सिर का कंशविन्याम ( राजपूताना म्यूजियम् )	५५

	पृष्ठ
( १७ ) शिव का तांडव नृत्य ( मद्रास म्यूजियम )	१३०
( १८ ) इलोरा का पर्वतीय कैलास मंदिर	१७४
( १९ ) द्रविड शैली के मंदिर का धर्मराज रथ (मामल्लपुरम)	१७५
( २० ) द्रविड शैली का हिंदू मंदिर ( तंजोर )	१७६
( २१ ) हांयमलेश्वर के मंदिर का बाहरी पार्श्व (हलेबिड)	१७७
( २२ ) आर्य शैली का हिंदू मंदिर ( खजराहो )	१७८
( २३ ) आवू के जैन मंदिर का गुंबज और द्वार	१७९
( २४ ) बड़नगर ( गुजरात ) के मंदिर का तारण ...	१७९

प्रथम व्याख्यान  
धर्म और समाज



## प्रथम व्याख्यान



### धर्म और समाज

#### बौद्धधर्म

ईसवी सन् ६०० से लगाकर १२०० तक भारतवर्ष में तीन धर्म—  
वैदिक, बौद्ध और जैन—मुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी के  
प्रारंभ-काल में यद्यपि बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी तो भी उसका  
प्रभाव बहुत कुछ था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से जान  
पड़ता है, अतएव हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं।

भारतवर्ष का प्राचीन धर्म वैदिक था, जिसमें यज्ञ यागादि को  
प्रधानता थी और बड़े बड़े यज्ञों में पशुहिंसा भी होती थी। मांस-

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भक्षण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जैनो  
और उसका प्रचार और बौद्धों के जीव-दया-संबंधी सिद्धांत पहले  
से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर

विशेष प्रभाव न था। शाक्य-वंशी राजकुमार गौतम ( महात्मा  
बुद्ध ) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उनके  
उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे, जिनमें बहुत से  
राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, वैश्य आदि भी थे। दिन दिन इस धर्म  
का प्रचार बढ़ता गया और मौर्यवंशी सम्राट् अशोक ने उसे राजधर्म



बनाकर अपनी आज्ञा से यज्ञादि में पशु-हिंसा की रोक टोक की\* । अशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ष तक ही परिमित न रहा, बल्कि भारत के बाहर लका तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में उसका प्रचार और भी बढ़ गया । फिर बौद्ध श्रमणों ( माधुओं ) और भिक्षुओं के श्रम से शनैः शनैः उसका प्रचार तिब्बत, चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, म्याम, बर्मा और सायबीरिया के किरगिस और कलमुक आदि तक फैल गया ।

यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन करना अप्रासंगिक न होगा । बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन दुःखमय है, जीवन और उसके सुखों की लालसा दुःखमूलक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुःख का नाश हो जाता है और पवित्र जीवन से यह लालसा नष्ट हो जाती है ।

महात्मा बुद्ध के शब्दों में बौद्ध मत मध्यम पथ है, अर्थात् न तो भोग-विलास में ही आसक्त रहना चाहिए और न अनिद्रा, अनाहार, तपस्या आदि कठोर कष्ट साधनाओं के द्वारा आत्मा को क्लेश देना चाहिए । इन दोनों मार्गों के बीच में रहकर चलना चाहिए । संसार और उसके सब पदार्थ अनित्य और दुःखमय हैं । सब दुःखों का मूल कारण अविद्या है । आत्मनिरोध के द्वारा ही आत्मा की उन्नति हो सकती है । काम अथवा वृष्णा का सब प्रकार परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है । इस वृष्णा के नाश ही का नाम निर्वाण है । यह निर्वाण जीवित अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है । मनुष्य पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुख्यता है । विज्ञान-स्कंध को ही हम अपनी परिभाषा में आत्मा का स्थान दे सकते हैं । यही पंच स्कंधों का संघ कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में शरीर

\* अशोक की धर्मलिपियाँ; अशोक का पहला शिलालेख ।

धारण करता है। इसी का नाम पुनर्जन्म है। विशेष साधनों के अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मौलिक तत्त्वों में अंतर्भाव होना ही महानिर्वाण है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 'अहिंसा परमो धर्मः' है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बौद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की ओर यथाचित ध्यान न दिया। शील, समाधि और प्रजायज्ञ ही उत्कृष्ट यज्ञ हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर के विषय में उदासीन है। ईश्वरोंपामना के बिना भी उसके अनुसार मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि वह हिंदू धर्म के प्रधानभूत अंग वर्णाश्रम को नहीं मानता। उसकी दृष्टि में सब—ब्राह्मण और शूद्र—समान रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कर्म से भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। बौद्धों के त्रिरत्न—बुद्ध, संघ और धर्म—माने जाते थे।

अनेक राजाओं की ओर से सरक्षण पाकर यह धर्म बहुत बढ़ा। समय समय पर बौद्ध भिक्षुओं में मत-भेद होते रहने से बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की अवनति भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। इन भेदों को दूर करने के लिये बौद्ध भिक्षुओं की महासभाएँ भी समय समय पर होती रहीं, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री इत्सिंग के समय में बौद्ध धर्म के १८ भेद हो चुके थे। पीछे से राज्य का सहारा टूट जाने के कारण बहुत शांति से बौद्ध धर्म की अवनति होने लगी और हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी।

उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा। बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने हिंदू धर्म की कई विशेषताओं को ग्रहण कर लिया।

इसका परिणाम 'महायान' मत के रूप में कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में प्रकट हुआ, प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्यास-मार्ग-प्रधान था।

इसके अनुसार ज्ञान और चार आर्य सत्त्यों की भावना से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव और महायान संप्रदाय की उत्पत्ति धर्म में ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी। इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था। महात्मा बुद्ध के पीछे बौद्ध भिक्षुओं ने देखा कि सब लोग गृहस्थी छोड़कर भिक्षु नहीं बन सकते और न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समझ में आ सकता है। इसलिये उन्होंने भक्ति-मार्ग का सहारा लिया। स्वयं बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया गया और बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगीं। फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ वर्तमान बुद्ध और २४ भावी बुद्धों की कल्पना की गई। इतना ही नहीं, बाधिसत्त्वों और अनेक तान्त्रिक देवियों आदि की भी कल्पना की गई और इन सबकी मूर्तियाँ बनने लगीं। बौद्ध भिक्षुओं ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भक्तिमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बताया। इस भक्ति-मार्ग—महायान—पर हिंदू धर्म या भगवद्गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

( १ ) हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली में और महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत में हैं।

( २ ) महायान मार्ग में भक्ति-मार्ग की प्रधानता है।

( ३ ) हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा होने लगी।

भारत में इस महायान संप्रदाय का प्रचार बहुत बढ़ता गया, इतना ही नहीं, बौद्ध दर्शन पर भी हिंदू दर्शन का प्रभाव बहुत पड़ा। नष्ट होता हुआ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाले बिना





( १ ) हिंदुओं का बुद्धावतार  
[ राजपूताना म्युजियम, अजमेर ]

न रहा । हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष्णु का नवाँ अवतार मानकर बौद्ध जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया । दोनों धर्मों में इतनी समानता बढ़ गई कि बौद्ध और हिंदू दंतकथाओं में भेद करना कठिन हो गया ।

बौद्ध धर्म के पतन के कारण इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का, जिसमें सब प्रकार की स्वतंत्रताएँ थी, आश्रय लेने लगे । बौद्ध धर्म का अहिंसावाद यद्यपि मनोमोहक था, परंतु क्रियात्मक नहीं रह गया था । राजाओं को युद्ध करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती थी । हिंदू धर्म में ये रुकावटें नहीं थी और फिर ब्राह्मणों द्वारा बुद्धदेव विष्णु के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि भी हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगी । अत्यंत प्राचीन काल से ईश्वर पर विश्वास रखती हुई आर्य जाति का चिरकाल तक अनीश्वरवाद को मानना बहुत कठिन था । इसी तरह बौद्धों का वेदों पर अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता था । कुमारिल तथा अन्य ब्राह्मणों ने बौद्धों के इन दोनों सिद्धांतों का जोरों से खंडन आरंभ किया । उनका यह आंदोलन बहुत प्रबल था और इसका परिणाम भी बहुत व्यापक हुआ । कुमारिल के बाद ही शंकराचार्य के आ जाने से इस आंदोलन ने और भी जोर पकड़ा । शंकरदिग्विजय ने कुमारिल के द्वारा शंकर को निम्नलिखित श्लोक कहलाया गया है । इससे शंकर के आंदोलन की व्यापकता का पता लगता है—

श्रुत्यर्थधर्मविमुखान् सुगतान् निहन्तुं

जातं गुहं भुवि भवन्तमहं नु जाने ॥

अर्थात् वेदार्थ से विमुख बौद्धों को नष्ट करने के लिये आप गुह ( कार्तिकेय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मैं मानता हूँ ।

इसी तरह दूसरे म्यानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म को प्रचार में बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने से बौद्ध धर्म की क्षति हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म में भी बहुत सी त्रुटियाँ आ गई थीं; उसके बहुत से संप्रदायों में विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, छोटी छोटी बातों के कारण मत-भेद पैदा हो रहे थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध भिक्षुओं में बाह्य आडंबर की अधिकता हो जाने के कारण भी जनता की उनपर से श्रद्धा उठती गई। अब बौद्ध भिक्षु वैसे सदाचारी और महात्मा न रहे थे। उनमें भी अधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि दोष आ गए थे। वे मठों और विहारों में आराम से रहने लगे थे। उन्हें जनता के सुख-दुःखों का अधिक ध्यान न रहा था। इन सब बातों का बौद्ध धर्म पर बहुत घातक परिणाम हुआ। बौद्ध धर्म राज्य की सहायता पाकर जित्त वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहायता न पाने तथा अन्य उपर्युक्त बातों में, उसका पतन हुआ।

मौर्यवंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ के देहात के साथ ही बौद्ध धर्म की अवनति का प्रारंभ हो चुका था। बृहद्रथ का मारकर उसका

शुंगवर्षा सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी बन गया। उसने फिर वैदिक धर्म का

पुनः प्रवृत्त कर दो अश्वमेध यज्ञ किए। संभवतः उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है। वस्तुतः यही से बौद्ध धर्म की अवनति प्रारंभ होती है। उसी काल में राजपूतानों में मध्यमिका (नगरी) के राजा पाराशरीपुत्र सर्वज्ञान ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। ऐसे ही दक्षिण में आंध्र (सातवाहन) वंशी वैदिश्री शातकर्णी के समय में अश्वमेध, राजसूय, दशरात्र आदि यज्ञ हुए। इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रगुप्त और वाकाटकवंशियों के समय में भी अश्वमेध आदि कई यज्ञ हुए, जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है। इस

प्रकार मौर्य-साम्राज्य के अंत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा । फिर वह क्रमशः अवनत होता ही गया । हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय अर्थात् सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वैदिकधर्मावलंबियों की संख्या बढ़ने और बौद्धों की घटने लगी थी । बाणभट्ट के कथन से पाया जाता है कि शानेश्वर के येसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख को छोड़कर भदत ( बौद्ध भिक्षुक ) होने की इच्छा प्रकट की थी और ऐसा ही विचार उसके छोटे भाई हर्ष का भी था, जो कई कारणों से फलीभूत न हो सका । हर्ष भी बौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि रखता था । इन बातों में निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में राजवंशियों में भी, वैदिक धर्म के अनुयायी होने पर भी, बौद्ध धर्म की ओर सद्भाव अवश्य था । वि० स० ८४७ ( ई० स० ७६० ) के शंगह ( कांटा राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है कि नागवंशी देवदत्त ने कांशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर और मठ बनवाया था, जिसमें अनुमान होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था । ई० स० की बारहवीं शताब्दी के अंत तक मगध और बंगाल का छोड़कर भारतवर्ष के प्रायः सभी विभागों में बौद्ध धर्म नष्टप्राय हो चुका था और वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था ।

### जैन धर्म

जैन धर्म भी बौद्ध धर्म से कुछ पूर्व भारतवर्ष में प्रादुर्भूत हुआ । महावीर का निर्वाण गौतम बुद्ध से पूर्व हो चुका था । उस समय के

वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांत ये थे ।

जैन धर्म की उत्पत्ति

और उस समय का

हिंदू धर्म

१-वेद ईश्वरीय ज्ञान है ।

२-वैदिक देवताओं-इन्द्र, वरुण आदि-की पूजा ।



३-यज्ञो मे पशुहिमा ।

४-वर्णव्यवस्था ।

५-आश्रमव्यवस्था ।

६-आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत ।

७-कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत ।

महावीर तथा बुद्ध न उपर्युक्त पहलें पंच सिद्धांतों का अस्वीकार किया । महावीर ने केवल दो आश्रम—व्रतप्रस्थ और संन्यास—माने, जब कि बुद्ध ने केवल संन्यास-श्रम पर ही जोर दिया । परमात्मा को महावीर ने स्वीकार न किया और बुद्ध ने भी इस पर कोई विचार न किया । बौद्ध धर्म के विषय में हम ऊपर लिख आए हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म और उसकी पगति पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे ।

जैनों के कथनानुसार महावीर २४वें तीर्थंकर थे । उनसे पूर्व २३ तीर्थंकर हो चुके थे । संभवत यह कल्पना बौद्धों के २५ बुद्धों की कल्पना का अनुकरण हो, अथवा बौद्धों ने जैनों से यह बात हाहावीर राजा सिद्धार्थ जत्रिय के पुत्र वैशाली में उत्पन्न हुए, उन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और प्राग्भवा तक छद्मवेश में रहकर कठिन तपस्या की । उसके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार आरम्भ किया और ७२ वर्ष की अवस्था में उसका निर्वाण हुआ ।

जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं—जैन धर्मावलंबी जीव, अजीव, आश्रव ( मन, वचन और शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बंध का हेतु ), सब्ग ( आश्रव का रोकनेवाला ), जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत बंध, निर्जरा ( बंधकर्मों का क्षय ), मोक्ष, पुण्य और पाप नौ तत्त्व मानते हैं । जीव अनादि और अनंत हैं । जीव अर्थात् चैतन्य आत्मा कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति यह सब व्यक्त और अव्यक्त रूप में

चैतन्य गुणवाले हैं। काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। इन्हीं पाँच निमित्तों से परमाणु ( पुद्गल ) नियमपूर्वक आपस में मिलते हैं, जिससे जगत् की प्रवृत्ति होती है और यही कर्म के फल देते हैं। जीव के साथ कर्मा का संयोग रहने से उनके भाग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता है। जीव सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र द्वारा कर्मों के बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित होता है। य तीनों जैन धर्म के रत्न हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल ज्ञान है। शरीर छोड़ने के बाद मुक्त चौमठ हजार थ्यजन लवी शिला पर अधर में स्थित होकर मदा अपने ही ज्ञान में लोकाणिक देखता हुआ आनंद में रहता है। जैन लोग मृष्टि का कर्ता ईश्वर का नहीं मानते। उनके मतानुसार यह मृष्टि अनादि और अनन्त है। प्रलय होने के समय वेताह्य पर्वत में सब प्रकार के जीवों के जाड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर मृष्टि का प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और क्रिया से रहित अतीन्द्रिय, अविनाशी, अनुपाधि, अवध, अक्लेशी, अमूर्ति, शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा ही निश्चय देव है। इसमें पृथक् कोई ईश्वर नहीं। आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध करनेवाला मनुष्य ईश्वरपद का प्राप्त हो जाता है। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के साथ पंच महाव्रत (अहिंसा, मत्य-भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) तथा क्षमा, निरभिमानता, तृष्णात्याग, तप, सयम, मत्य, शाँच, अकिंचन और ब्रह्मचर्य आदि श्रमणधर्मों का पालन करनेवाला गुरु होता है। दया और अहिंसा जैनों का मुख्य धर्म है, वे वेदों को नहीं मानते। उनमें व्रत उपवास और तपस्या का विशेष महत्त्व है। कई देवी देवताओं का भी जैनी मानते हैं। कई साधुओं आदि के अनशन व्रत से प्राण छोड़ने के उदाहरण भी मिले हैं\*।

\* जगमंदिरलाट जैनी, आउट लाइव आफ जैनिज्म, पृष्ठ ७—६६

बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सी समानताओं को देखकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं और बुद्ध महावीर का शिष्य था।  
 बौद्ध और जैन धर्म का पार्थक्य पीछे से यह दाँ मत्तों में बट गया। वस्तुतः यह ठाँक नहीं है। दोनों धर्म भिन्न भिन्न हैं।

अशाक के एक धर्म लख रा निग्रथा ( जैनों ) और आर्जावका के लिये धर्ममहामातृकों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। स्वयं बुद्ध गृहस्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे ग्राधुओं के साथ रहें थे, जो तपोमय जीवन व्यतीत करत थे। संभवतः ये जैन होंगे और इन्हीं के राग में रहकर बुद्ध ने इनही बहुत सी बातों का बौद्ध धर्म में समावेश कर लिया है।

बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य विभागों—दिगंबर और श्वेतांबर—में विभक्त हो गया। दिगंबर ग्राधु जग्न रहते हैं और श्वेतांबर सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं। इन दोनों शाखाओं के सिद्धांतों में विषय मनभेद नहीं है। दिगंबर स्त्री का मोक्ष होना नहीं मानते और श्वेतांबर मानते हैं। दिगंबर तीर्थकरों की प्रतिभा पूजन है, परंतु श्वेतांबरों की तरह पुष्प, फूल और बन्धनाभूषण से पूजा नहीं करते। उनका कहना है कि तीर्थकर वात-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्रव्यादि से सेवा कर उनको सरागा बनाना महापाप है। यह भेद कब हुआ, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

यद्यपि बौद्ध मत की अपेक्षा जैन मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, तथापि उसका बौद्ध धर्म के समान प्रचार नहीं हुआ। इसका कई कारण हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत शीघ्र ही प्राकृत भाषा में लिखे गए और जैन-सिद्धांत दीर्घ काल तक ग्रंथरूप में परिणत नहीं किए गए। ऐसा माना जाता है कि ई० सन् की पाँचवीं शताब्दी

जैन धर्म का प्राथक प्रचार न होने के कारण

कं मध्य में देवर्धिगणि क्षमाश्रमण ने वलभी की धर्मपरिषद् में उनके धर्मग्रंथों का लिपिवद्ध कराया । बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जैन माधुच्यो की अपेक्षा अधिक सरल और कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, जिससे भी लोगों का आकर्षण बौद्ध मत की ओर अधिक हुआ । फिर जैन धर्म को राजधर्म बनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, जैसे कि बौद्ध धर्म का अशोक और कनिष्क आदि मिले थे । केवल कनिष्क के राजा खारवंल ने, जो ई० मन की दूसरी शताब्दी के आस-पास हुआ था, जैन धर्म का स्वीकार कर उसकी कुछ उन्नति की । इन कारणों से जैन धर्म का प्रचार बहुत शनैः शनैः हुआ\* ।

हमारे निर्दिष्ट काल में जैन धर्म का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्नाटक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा विहार और उड़ीसे के कुछ भाग में था । दक्षिण में ही जैनों ने अपने धर्म की उन्नति और प्रवृत्ति मन का विशेष प्रचार किया । वहाँ वे संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की तामिल, आंध्र आदि भाषाओं में संस्कृत के बहुत से शब्द मिल गए । जैनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी खोलीं । आज भी वहाँ बालकों का वर्णमाला सिखाते समय पहला वाक्य 'ॐ नमः सिद्धम', पढ़ाया जाता है, जो जैनों का नमस्कार-विधि है । दक्षिण में कई राजाओं ने जैन धर्म का आश्रय दिया । तामिल प्रदेश में पांड्य और चोल राजाओं ने जैन गुरुओं को दान दिए, उनके लिये मदुरा के पास मंदिर और मठ बनवाए । शनैः शनैः जैनों में भी मूर्तिपूजा का प्रचार बढ़ा और तीर्थकरो की मूर्तियाँ बनने लगीं । हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का उधर हाम होना भी प्रारंभ हो गया ।

\* मी० वी० वैद्य, हिस्ट्री आफ् मॉडिफ़ाउण्ड इंडिया, जिल्द ३, पृष्ठ ४०२-६ ।

शैव-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई । चोल राजाओं ने, जो पीछे शिव के भक्त हो गए थे, जैन धर्म को वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया । राजराज चोल ने मदुरा के मंदिर में बहुत से शैव माधुओं की प्रतिमाएँ बनवाकर रखवाई । कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जैन धर्म को बहुत महत्ता पहुँचाई थी और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के समय (ई० स० ८००—१०००) में जैन धर्म बहुत उन्नत हुआ था । पिछले चालुक्य राजाओं ने (ई० स० १०००—१२००) शैव धर्म स्वीकार कर जैन धर्म को वहाँ से उठाने का प्रयत्न किया । जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहाँ पौराणिक देवताओं की प्रतिमाएँ फिर से रखी गई । तुगभद्रा में परे के कर्नाटक प्रदेश में गंगवंशी राजा जैन थे । ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजाओं ने गंगवंशी राजा को परास्त कर दिया । शनैः शनैः हायसल राजाओं ने गंगवाडि पर अधिकार कर लिया । वे भी पहले जैन थे, परंतु रामानुज ने विष्णुधर्म को वैष्णव बनाकर मम्मूर में वैष्णव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया । इस तरह प्रायः सम्पूर्ण दक्षिण में जैन धर्म क्रमशः क्षीण होता गया । इस अवनति के मुख्य कारण शैव मत का प्रचार और वहाँ के राजाओं का जैनियों पर अत्याचार ही थे । उड़ीसा में भी शैव मत ने आकर उमकें पैर उगवाड़े दिए । वहाँ के राजाओं ने जैन धर्म पर अत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया ।

जब दक्षिण में जैन धर्म का इस तरह हानि हो रहा था, पश्चिम में वह बढ़ने और समृद्ध होने लगा । राजपूताना, मालवा और गुजरात में यह धर्म बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी शैव थे । जैन आचार्य हंसचंद्र जैन धर्म की इस वृद्धि का मुख्य कारण था । हंसचंद्र गुजरात में एक श्वेतांबर वैश्य क यहाँ १०८४

\* सी० वी० वैद्य; हिन्दी आफ़ मीडिक्वल इंडिया, जिल्द ३, पृ० ४०६-१० ।

ई० में उत्पन्न हुआ था। पढ़-लिखकर वह अनहिलवाड़ा के जैन उपाश्रय का आचार्य हुआ वह संस्कृत और प्राकृत का बड़ा भारी विद्वान् था। उसने द्रुयाश्रयमहाकाव्य, देशीनाममाला, संस्कृत और प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। गुजरात के राजा जयमिह ( विद्धराज ) और कुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव था। कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न किया, जिसमें गुजरात, काठियावाड़, कच्छ राजपूताना और मालवे में जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ\*।

इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं के बराबर हुआ। पीछे से कहीं कहीं मारवाड़ी व्यापारियों ने जैन-मंदिर जरूर बनवाए हैं, परंतु जैन धर्म के अनुयायी बहुत थोड़े ही रह गए हैं।

### ब्राह्मण धर्म

भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल में वैदिक धर्म प्रचलित था। ईश्वर की उपासना, यज्ञ करना तथा वर्णव्यवस्था आदि इसके मुख्य अंग थे। यज्ञ में पशु-हिंसा भी होती थी। प्राचीन ब्राह्मण धर्म ईश्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न नामों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी। प्रायः सारे भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार था। बौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे राज्य की सहायता मिलने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शनैः शनैः कम होता गया, और जैन धर्म ने भी इस कुछ हानि पहुँचाई। बौद्ध और जैन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म क्षीण ना हुआ, परंतु नष्ट नहीं हुआ। ज्योंही बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा त्योंही हिंदू धर्म ने बहुत वेग से उन्नति आरंभ की और वह बहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा।

सी० वी० वेद्य, हिस्ट्री आफ़ मीडल एण्ड इंडिया, जिल्ड २, पृ० ४११।

बौद्ध धर्म से ही हिन्दूधर्मावलंबियों ने बहुत सी बातें सीखीं। उपास्य-  
 देवों की पूजा के लिये उनकी मूर्तियों की कल्पना हुई। मूर्तिपूजा  
 कब से प्रचलित हुई, यह नहीं कहा जा  
 ब्राह्मण धर्ममूर्ति सकता। सबसे प्रथम ई० पूर्वं २०० के नगरी  
 पूजा का प्रचार के शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की मूर्ति-  
 पूजा के लिये मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। यह मूर्तिपूजा  
 का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे ज्ञान होता है कि  
 यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी। हिंदू धर्म का  
 ज्यों ज्यों पुनः प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों उसमें भिन्न भिन्न आचार्यों  
 ने धार्मिक संप्रदाय भी बनाने शुरू किए। सबसे पहले हम वैष्णव  
 संप्रदाय पर कुछ विचार करेंगे।

भगवद्गीता के विराट् रूप के वर्णन का लक्षण संस्कृत सात्वतो  
 (यादवों) ने वासुदेव का भक्ति के प्रचार के लिये उनकी उपासना चलाई,  
 जो सात्वत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध  
 वैष्णव संप्रदाय का उद्भव हुई। लोगों में कर्मकांड और बड़े यज्ञों से घृणा  
 उत्पन्न हो गई थी। इसलिये उन्होंने इस भक्तिमार्ग को बहुत पसंद  
 किया। भक्तिमार्ग का प्रचार होने पर समय पाकर विष्णु की मूर्तियां  
 भी बनने लगीं। इसका काल अनिश्चित है, परंतु नगरी के उपर्युक्त  
 शिलालेख में, जो ई० पूर्वं २०० का है, संकर्षण और वासुदेव की  
 पूजा के लिये शिलालेखों बनाने का उल्लेख है। इससे पहले मूर्तियों  
 का उल्लेख शिलालेखों में नहीं मिलता। तो भी ईसवी सन् पूर्व की  
 चौथी शताब्दी का लेखक मगास्थनीज मथुरा में शूरसेना यादवों के  
 संबंध में हैरिक्लिस (हरिकृष्ण, वासुदेव) की पूजा का उल्लेख करता  
 है। पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया  
 है, जिस पर टीका करते हुए पतंजलि ने वासुदेव का आराध्य देवता  
 कहा है। अनुमान होता है कि पाणिनि के समय (ई० पूर्वं ६००) में



। २ शंभुशक्ति विष्णु ( वासुदेव )  
[ विवर्द्धन ]





भी वासुदेव की पूजा प्रचलित हो चुकी थी अतः भागवत संप्रदाय तथा मूर्ति-पूजा उससे भी प्राचीन होगी\* ।

वैष्णव संप्रदाय ने वैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े । इस संप्रदाय के लोग भी अश्वमेधादि बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, जिनमें पशुहिंसा होती रही । पीछे से वैष्णवों ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अहिंसा को प्रधानता दी । भागवत संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ पंचरात्र संहिता है । इस संप्रदायवाले अभिगमन (मंदिरो में जाना), उपादान ( पूजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), स्वाध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) और योग से भगवान् का साक्षात्कार होना मानते थे । फिर वैष्णवों ने विष्णु के चौबीस अवतारों—ब्रह्मा, नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरि मांदिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस और हयग्रीव—की कल्पना की, जिनमें से दस अवतार—मत्स्य, कूर्म, वागह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—मुख्य माने गए । बुद्ध और ऋषभ का हिंदुओं के अवतारों में स्थान देने से निश्चित है कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ गया था, और इसलिये उनके प्रवर्तक विष्णु के अवतारों में सम्मिलित किए गए । संभव है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के २४ बुद्ध और जैनों के २४ तीर्थंकरों की कल्पना के अनुकरण पर हुई हो । विष्णु के मंदिर ई० सन् पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अब तक बराबर बन रहे हैं । शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन ग्रंथों में विष्णु-पूजा का वर्णन मिलता है । दक्षिण में भागवत संप्रदाय का

\* सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरकृत वैष्णविजय, शेविजय पंडे अदर माइनर रिलिजिय सिस्टम्स, पृष्ठ ८-१० ।

प्रचार नवी शताब्दी के आसपास हुआ और उधर के आलवार राजा कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से आलवार भी राम के भक्त होने लग गए। यह आश्चर्य की बात है कि राम के विष्णु के अवतार होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियों के होने का कहीं पता नहीं लगता, और कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता। पीछे से राम की भी पूजा होने लगी और राम-नवमी आदि त्यौहार मनाए जाने लगे।

शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रचार से भक्ति-मार्ग को गहरा धक्का लगा। आत्मा और ब्रह्म में एकरा होने पर किसी की भक्ति

की आवश्यकता न रही। अमलिये रामानुज ने, रामानुजाचार्य का जिनका जन्म १०१६ ई० में हुआ, भक्ति-मार्ग विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का प्रचार करने के लिये अद्वैतवाद का खंडन करना प्रारंभ किया। उस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, रामानुज की वैष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे गतया, जिसमें वह भागकर द्वारसमुद्र के यादवों के पास पहुँचः और वही उसने अपना कार्य आरंभ किया। फिर मैसूर के राजा विष्णुवर्द्धन को वैष्णव बनाकर वह दक्षिण में अपना प्रचार करने लगा। उसने लोगों को बताया कि भक्तिमार्ग के लिये ज्ञानयोग और करुणयोग दोनों की आवश्यकता है। यज्ञ, व्रत, तीर्थयात्रा, दान आदि में आत्मा की शुद्धि होती है। ज्ञानयोग भक्ति की ओर ले जाता है और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जीवात्मा और जगत् दोनों ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं है। मिथ्यात में ये एक ही हैं, परंतु कार्यरूप में एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। इस संप्रदाय के विशेष दार्शनिक मिथ्यातों का विवेचन दर्शन

\* सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकरकृत, देवगणविजय, शैविज्य एंड अद्वैत साह्यर रिलिजन मिस्ट्रीज, पृ० २६—४७।

कं संबंध में किया जायगा । रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम हुआ\* ।

ग्यारहवीं सदी और उसके पीछे के वैष्णव आचार्यों का मुख्य उद्देश्य अद्वैतवाद को दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था ।

यद्यपि रामानुज ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चला-  
मध्वाचार्य और उनका संप्रदाय  
कर शंकर के अद्वैत के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयत्न किया, तथापि वह उसमें पूर्णतया सफल न हुआ । विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों से ब्रह्म और जीव में परस्पर भेद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारहवीं शताब्दी के वैष्णव आचार्य मध्वाचार्य को विशिष्टाद्वैत संतुष्ट न कर सका । उसने परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनोंको भिन्न मानकर अपने नाम से 'मध्व' संप्रदाय चलाया । इसके दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय हम दर्शन के प्रकरण में देंगे । मध्वाचार्य का जन्म शक संवत् १११६ ( ई० स० १४६७ ) में हुआ था । उसने भी वेदांत-दर्शन और उपनिषदों का अपने सिद्धांतों में अनुकूल भाष्य किया । किसी प्रामाणिक ग्रंथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिलना कठिन था, इसलिये रामायणवर्णित राम और माता की मूर्तियों की पूजा पर उसने जोर दिया और अपने शिष्य नरहरितीर्थ को जगन्नाथ ( उडीमा ) में राम और माता की मूर्तियों लाने को भेजा । नरहरितीर्थ के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनाभतीर्थ, माधवतीर्थ और अक्षोभ्यतीर्थ थे । मध्व संप्रदायवाले वैराग्य, शम, शरणागति ( ईश्वर के शरण में अपने को सौंप देना ), गुरुसेवा, गुरुमुख्य सं अध्ययन, परमात्मभक्ति, अपने से बड़े में भक्ति, समवयस्कों में प्रेम और अपने से छोटे पर दया, यज्ञ, सस्कार, सब कार्य हरि के समर्पण करना तथा उपासना आदि अनेक साधनों में मोक्ष की प्राप्ति

सर रामकृष्ण गोपाल भाटारक कृत; वैष्णविज्ज, शविज्ज एड अदर माइनर रिजिज्ज लिस्टम्, पृ० ११-१७ ।

मानते हैं। मध्व के अनुयायी मस्तक पर दो सफेद सीधी रेखाएँ डालकर बीच में एक काली रेखा खींचते हैं और मध्य में लाल बिंदु लगाते हैं। इनके वस्त्रों पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा आदि के चित्र अंकित होते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिणी कर्नाटक में अधिक है। मध्वाचार्य के बाद भी वैष्णवों में वल्लभ आदि संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हैं\*।

विष्णु की मूर्ति पहले चतुर्भुज होती थी या द्विभुज, इसका ठाक निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की मूर्ति नहीं मिली। बुद्ध और सूर्य की सब मूर्तियाँ द्विभुज मिलती हैं और कडफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्के पर वेल के पास खड़ी हुई त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति बनी है, जो बुद्ध के समान द्विभुज ही है। जैसे हिंदुओं ने बुद्धावतार की मूर्ति को चतुर्भुज बना दिया वैसे ही विष्णु और शिव की मूर्तियों पीछे से चतुर्भुज बनी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बनने के प्रवाह में विष्णु की चौदह और चौबीस हाथवाली मूर्तियों की कल्पना भी की गई और उनके हाथों में भिन्न भिन्न आयुध दिए गए। ऐसी भी कुछ मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। विष्णु की त्रिमूर्तियाँ तीन मुखवाली भी मिली हैं, जिनमें या तो किरीट सहित विष्णु के तीन मुख प्रदर्शित किए गए या मध्य में विष्णु और दोनों ओर क्रमशः वराह और नृसिंह की मूर्तियाँ बनाई गईं। शायद ये मूर्तियाँ शिव की त्रिमूर्ति का अनुकरण हों।

विष्णु के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू हुई और उसके उपासक उसी का सृष्टि का कर्ता धर्ता और हर्ता मानने लगे। इस संप्रदाय के ग्रंथ 'आगम' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मत का

\* सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर-रचित, वैष्णविज्म, शैविज्म ईपंड अदर माइनर रिलिजस सिस्टम्स, पृ० २७—६१।



( ३ ) विष्णु की चारह हाथवाली मूर्ति  
[ राजपूताना म्यूजियम्, अजमेर ]



( ४ ) विष्णु की त्रिमूर्ति  
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ]







( ५ ) शिव की त्रिमूर्ति  
[ वाराणसी ]

माननेवाले भिन्न भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ बनाने और पूजने लगे । वे शिव की मूर्ति के या तो छोटे स्तंभ की आकृति का गोल


शिव संप्रदाय

लिंग, या ऊपर का भाग गोल और चारों तरफ चार मुख बनाने लगे । ऊपर का भाग विश्व या

ब्रह्मांड का सूचक और चारों तरफ के मुखों में से पूर्ववाला सूर्य का, उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाला विष्णु का और दक्षिणवाला रुद्र का सूचक होता था । कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारों ओर मुख नहीं, किंतु इन चारों देवताओं की मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं । कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऊपर तो चारों मुख हैं और नीचे उनके सूचक देवताओं की खाँ मूर्तियाँ बनी हैं । इन मूर्तियों का देखने में अनुमान होता है कि उनके बनानेवालों का यही मतव्य होगा कि जगत् का निर्माता शिव और ये चारों देवता उर्मा के नाम के भिन्न भिन्न रूप हैं । शिव की विशालकाय त्रिमूर्ति भी कही कही पाई जाती है । उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर और तीन मुख होते हैं, जिनमें से एक रोता हुआ होता है, जो शिव के रुद्र कहलाने का सूचक है । उसके मध्य के दो हाथों में से एक में बीजोरा तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक में सर्प और दूसरे में खपर और बाईं ओर के दो हाथों में से एक में पतले दंड सी कोई वस्तु और दूसरे में ढाल या काच की आकृति का कोई छोटा सा गोल पदार्थ होता है । त्रिमूर्ति वेदी के ऊपर दीवार से सटी रहती है और उसमें छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा होता है । त्रिमूर्ति के सामने भूमि पर बहुधा शिवलिंग होता है । ऐसी त्रिमूर्तियाँ बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी ( Elephanta ) नामक टापू, चित्तौड़ के किले, सिराही राज्य आदि कई स्थानों में देखने में आई हैं, जिनमें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है । शिव के ताण्डव-नृत्य की पाषाण या धातु की मूर्तियाँ भी कई जगह मिली हैं

शैव संप्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत संप्रदाय कहलाता था, फिर उसमें लकुलीश संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिमकी उत्पत्ति के संबंध में ई० स० ६७१ के शिलालेख में लिखा है कि पहले भड़ौच में विष्णु ने भृगु मुनि को शाप दिया, तो भृगु ने शिव की आराधना कर उनको प्रसन्न किया। इस पर उमकें सम्मुख हाथ में लकुट (डंडा) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ। हाथ में लकुट लिए होने से वह लकुटीश ( लकुलीश अथवा नकुलीश) कहलाया और जिम स्थान में वह अवतार हुआ, वह कायावतार ( कारवान, बड़ौदा राज्य में ) कहलाया और लकुलीशों का मुख्य स्थान समझा गया। लकुलीश की कई मूर्तियाँ राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, दक्षिण ( मैसूर तक ), बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती हैं, जिमसे ज्ञात होता है कि यह संप्रदाय बहुधा मारं भारत-वर्ष में फैल चुका था। उम मूर्ति के सिर पर वहधा जैन मूर्तियों के समान कंश होते हैं, वह द्विभुज होती है, उमकें दाहिने हाथ में बीजोरा और बाएँ में लकुट होता है। वह मूर्ति पद्मासन बैठी हुई होती है। लकुलीश के ऊर्ध्वरेता होने का चिह्न ( ऊर्ध्वलिग ) मूर्ति में बना रहता है।

लकुलीश के चार शिष्यों—कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य—के नाम लिग पुराण ( २४—१३१ ) में मिलते हैं, जिनके नाम से चार शैव उपसंप्रदाय चले। आज लकुलीश संप्रदाय को मानने-वाला कोई नहीं रहा और अब सर्वसाधारण में से भी बहुत थोड़े से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग महादेव का ही मृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता समझते हैं। योगाभ्यास और भस्मस्नान को वे आवश्यक समझते हैं और मोक्ष को मानते हैं। ये छः प्रकार की—हास, गान, नर्तन, हुडुक्कार (बैल



( ६ ) लक्ष्मीश ( लक्ष्मीश ) की मूर्ति  
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ]



की तरह आवाज करना ), साष्टांग प्रणिपात और जपक्रियाएँ करते हैं । इसी तरह और भी बहुत सी क्रियाएँ हैं, जिन्हें इस संप्रदाय-वाले करते हैं । शैव संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीवों के कर्मानुसार शिव फल देता है । पशु या क्षेत्रज्ञ जीव, नित्य और अग्न्य है । जब वह पाशो ( माया का एक रूप ) से छूट जाता है तब वह भी शिव हो जाता है, पर महाशिव की तरह स्वतंत्र नहीं होता । कर्म और पाश माया ही है । जप और योगसाधना आदि को भी यं मुख्य स्थान देते थे । शैवों के अन्य दो संप्रदायों—कापालिक और कालामुख—के अनुयायी शिव के भैरव और रुद्र रूप की उपासना करते हैं । इन दोनों में विशेष भेद नहीं है । इनके छः विह्व—माला, भूषण, कुंडल, रत्न, भस्म और उपवीत—मुख्य हैं । इनका विश्वास है कि ऐसा करने से मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूट जाता है । इस संप्रदाय के माननेवाले मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं, श्मशान की राख से शरीर मलते तथा उसे खाते भी हैं, एक डंडा और शराब का ग्याला अपने पास रखते और पात्रमिथित देवता की पूजा करते हैं । इन बातों का वे इहलोक और परलोक में इच्छापूर्ति का साधन समझते हैं । 'शंकरदिग्विजय' में माधव ने शंकर के एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है । बाण ने 'हर्षचरित' में भी एक भयंकर कापालिक आचार्य का वर्णन किया है । भवभूति ने 'मालतीमाधव' में खोपड़ियों की माला पहने हुए कपालकुंडला नाम की एक स्त्री का वर्णन किया है । इन दोनों संप्रदायों के साधुओं का जीवन बहुत भयंकर था । इस संप्रदाय के अनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं । अब तो इस संप्रदाय का अनुयायी शायद ही कोई हो ।

काश्मीर में भी शैवधर्म का प्रचार विशुद्ध रूप में था । वसुगुप्त ने इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ 'स्पंदशास्त्र' लिखा, जिसकी टीका उसके

शिष्य कन्नट ने, जो अवनितवर्मा ( ८५४ ई० ) के समय में था, स्पन्द-कारिका के नाम से की। इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि परमात्मा मनुष्यों के कर्मफल की अपेक्षा न कर अपनी इच्छा से ही किसी सामग्री के बिना मूर्ति का पैदा करता है।

काश्मीर में सोमानंद ने दमवी मदी में शैव संप्रदाय की एक शाखा—प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय—का प्रचार किया। उसने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ लिखा। इसमें और प्रथम शाखा में अधिक भेद नहीं है।

जिस समय वैष्णवधर्म अहिम्मा आदि का लिए हुए नए रूप में आंध्र और तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैव संप्रदाय के विंगंध में फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का जन्म हुआ। कानडी भाषा के 'वसव पुराण' से पाया जाता है कि कलचुरि राजा विज्जल के समय ( बारहवीं मदी ) में वसव नामक ब्राह्मण ने जैनधर्म का नष्ट करने की इच्छा में लिगायत ( वीर शैव ) मत चलाया। उसके गुणों को देखकर विज्जल ने उसे अपना मंत्री नियत किया और वह जंगमों ( लिगायत संप्रदाय के धर्मापदेशकों ) के लिये बहुत द्रव्य खर्च करने लगा। डाक्टर फ्लोर्ट के कथनानुसार एकांत इस संप्रदाय का प्रवर्तक था, वसव तो इसका एक उत्तम प्रचारक मात्र था। ये जैनों के शत्रु थे और उनकी मूर्तियाँ फिंकवात थे। इस संप्रदाय में अहिम्मा को मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें हिंदू समाज के प्रधान अंग वर्णव्यवस्था का कोई स्थान नहीं मिला और न सन्यास या तप का ही कोई मुख्यता प्राप्त हुई। वसव ने कहा कि प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, अपने श्रम में कमाना चाहिए, न कि भीख मांगकर। उसने सदाचार पर भी बौद्धों और जैनों की अपेक्षा कम ध्यान नहीं दिया। भक्ति इस संप्रदाय की विशेषता थी। लिग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह्न है। इस संप्रदाय के लोग अपने गले में शिवलिंग लटकाए रहते हैं

जो चाँदी की डिविया में रहता है, क्योंकि इनका विधान है कि शिव ने अपने तन्त्र को लिंग और शंख में विभक्त कर दिया था। विशिष्टा-द्वैत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है। यह संप्रदाय वैदिक मत से बहुत दानों में भिन्न है। यज्ञोपवीत संस्कार की जगह वहाँ दीक्षा-गम्भाग होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे 'ॐ नम शिवाय' कहते हैं और यज्ञोपवीत की जगह गले में लिंग लटकाते हैं।

तामिल प्रदेश में भी शैव संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ। ये शैव, जैनों और बौद्धों के शत्रु थे। इनके धार्मिक साहित्य का ग्यारह संग्रह है, जो विभिन्न समय पर लिखे गए। तमिल प्रदेश में शैव संप्रदाय का प्रचार प्रायः अधिक प्रतिष्ठित, तेरहवें शताब्दी के अन्त में हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल प्रदेश के शैव मंदिरों में पूजा के लिये रखा जाती है। तामिल कवि और दार्शनिक अपने ग्रंथों के आरंभ में उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं। कांचीपुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छठी सदी में शैवधर्म के दक्षिण में प्रचार होने का पता लगता है। पत्रव शापक राजमिहिर, जो कि संभवतः ५५० ई० के आस पास हुआ था, राजमिहिर-श्रवण का विधानद्वारा प्रचारित था। यह निश्चित है कि इनके दार्शनिक सिद्धांत भी अवश्य विकसित हुए। क्योंकि राजमिहिर के शैव सिद्धांतों में निपुण होने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, परंतु वे क्या थे, यह मान्य नहीं हो सका\*।

ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, यज्ञों का प्रवर्तक और विष्णु का एक अवतार माना जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति चतुर्मुख होती है, परंतु जो मूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए जाते हैं और परिक्रमावाली मूर्ति के चारों मुख। चतुर्मुख मूर्तियाँ

जहाँ रामकृष्ण गोपाल सहायकरकृत वेदविज्ञान शक्तिम एड अ. मादनर शिलालेख सिट्कर, पृष्ठ ११५, १४७।



थोड़ी ही देवने में आई है। ब्रह्मा के कई मंदिर अब तक विद्यमान हैं, जिनमें प्रजन भी होता है। ब्रह्मा के एक हाथ में खुब होता है,


ब्रह्मा की मूर्ति जो यज्ञकर्ता का सूचक है, शिव-पार्वती के विवाहसूचक मूर्ति-समुदाय से जो कई एक

पिले है ब्रह्मा पुरोहित बनाया गया है आश्चर्य की बात यह है कि जैसा विष्णु और शिव के भिन्न भिन्न समुदाय पिलते हैं, वैसा ब्रह्मा के समुदाय नहीं मिलते। मूर्ति-कल्पना में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों एक ही परमात्मा के रूप माने गए हैं। ब्रह्मा की कई मूर्तियां ऐसी मिलती हैं जिनके ऊपर के एक तिनार पर शिव और शंकर पर विष्णु की छोटी छोटी मूर्तियां ऐसी हुई हैं। ऐसे ही विष्णु की मूर्तियों पर शिव और ब्रह्मा की और शिव की मूर्तियों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट पता जाता है कि ये तीनों देवता एक ही परमात्मा या ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप माने जाते थे। भक्तों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार वास्तविकी कल्पना प्रचलित की। पीछे से इनकी मूर्तियां सादर सति हैं। भी इनमें तर्कों और शिव पार्वती की मूर्ति के अनिमित्त शिव की 'अर्धनारीश्वर' मूर्ति भी मिलती है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर पार्वती का होता है। ऐसे ही सम्मिलित मूर्तियां भी मिलती हैं। शिव और विष्णु की सम्मिलित मूर्ति का हरिहर और तीनों की सम्मिलित मूर्ति का हरिहर पितामह कहते हैं।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही मुख्य तीन देवता माने जाते थे। अठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के भवध में हैं। विष्णु, नारदीय,

त्रिदेव-पूजा भागवत गरुड़, पद्म और वराह पुराण विष्णु से, मत्स्य, कूर्म, लिंग, वायु, स्कंद और अग्नि

पुराण शिव से तथा ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य वामन और ब्रह्म पुराण बहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं।



( १ ) ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति  
[ शतपुत्राना मूर्तिसमूह ]





( ८ ) लक्ष्मीनारायण की मूर्ति ( गण्ड पर )

[ राजपूताना म्युजियम, अजमेर ]

पृष्ठ २६





। ६ ) श्रवणारीचर की मूर्ति  
[ मद्रा ]



( १० ) ब्रह्माणी ( मातृका ) की मूर्ति  
[ राजपूताना म्युजियम्, अजमेर ]

केवल परमात्मा के लिए भिन्न नामों को ही देना मानकर उनकी पृथक् पृथक् उपासना सम्पन्न हो गई, क्रिस्तु ईश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियाँ और देवताओं की पत्नियों की भी कल्पना की जाकर उनकी पृथक् पृथक् पूजा होने लगी। प्राचीन भारतीयों की देवताओं से ऐसी देवियों के बहुत से नाम पाए जाते हैं। ब्राह्मी, मातृशक्ति, कौमारी, वेणुशक्ति, वाराही, नागेश्वरी और एता इन नाम शक्तियों को मान्यता कहते हैं। कुछ भद्रकाली और रुद्र शक्तियों की कल्पना भी की गई, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—काला, काला, कापाली, चामुडा और चंडा। इनका संबंध कापालिका और उल्लूकाचार्य से है। कुछ ऐसी भी शक्तियों की कल्पना हुई, जो विषय-विलास की प्रेरणा देनेवाली हैं। इस प्रकार की देवियाँ आनन्द-भैरवी, त्रिपुरसुंदरी और तलिना आदि हैं। उनके उपासकों के मतव्य के अनुसार शिव और त्रिपुरसुंदरी के योग से ही उत्पन्न बना है। नागों वर्णमाना के प्रथम अक्षर 'अ' से शिव और अक्षर 'ह' से त्रिपुरसुंदरी अभिप्रेत है। इस तरह दोनों का योग 'अह' कामकला का सूचक है\*।

भैरवी चक्र शक्तों का एक मुख्य मतव्य है। इसमें दो क गुप्त भाग के चित्र की पूजा होती है। शक्तों के दो भेद हैं, कौलिक और समथिन, कौलिकों में दो भेद हैं, प्राचीन कौलिकों में योनि के चित्र की और दूसरे वास्तविक योनि की पूजा करती है। पूजा के समय वे (कौलिक) मद्य, मांस, मीन आदि का भक्षण भी करते हैं। समथिन इन क्रियाओं से दूर रहते हैं। कुछ ब्राह्मण भी कौलिकों के सिद्धांत

\* पर रामकृष्ण मोहता-भांडारकर व वेणुविज्ञान भांडारकर एड पदर माइनेर रिलिजियस मिस्ट्रीस पृ० १४०-१४१।



मानते थे । इस भैरवी चक्र के समय वर्णभेद नहीं माना जाता\* । नवीं शताब्दी के अंत के आस-पास होनेवाले कवि राजशेखर ने अपने 'कर्पूरमंजरी' नामक सट्टक में भैरवानंद के मुख से कालमत का वर्णन इन शब्दों में कराया है—

मताणु त ताणु श किं पि जाणु क्काणु च शो कि पि गुरुण्णमाओ ।  
रउजं पिआओ महिलं रमाओ मोक्खं च जाओ गुटमग्गलग्गा ॥ २२ ॥  
अवि अ—

रंडा चंडा दिविसआ धम्मदा ॥ मज्ज षस षज्जए खज्जए अ ।  
भिक्षा भोज चम्मखंडं च गेजा केला धम्मो कम्म रो भाइ रम्मो ॥ २२ ॥

अर्थ—हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृपा से हमें कोई ज्ञान प्राप्त है । हम लोग मद्यपान और स्त्री-गमन करते हैं और कुलमार्ग का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

पुनश्च—

कुलटाओ को दोषित कर हम धर्मपत्नी बना लेते हैं । हम लोग मद्य पीते और मांस खाते हैं । भिक्षा ही हमारा भोजन और चर्मखंड शय्या है । ऐसा कौल धर्म किस रमणीय प्रतीत नहीं होता ? ॥ २३ ॥

इन सब देवियों के अतिरिक्त गणेश की पूजा हमारे समय से भी पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी । गणेश या विनायक, रुद्र के गणों का नेता था । याज्ञवल्क्य स्मृति में गणेश और उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्णन मिलता है । न तो चौथी शताब्दी से पूर्व की कोई गणपति की मूर्ति मिली और न उस समय के शिलालेखों में उसका उल्लेख मिलता है । इल्लोरा की गुफाओं में कतिपय देवियों की मूर्ति के

\* सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर कृत वैष्णविजम शधिजम पुंड शदर माइनर रिलिजस गिरटमल पृष्ठ १४६—४७ ।

† कर्पूरमंजरी, प्रथम जवनिर्कांतर; हार्पर्ड संस्करण, पृष्ठ २४—२५ ।

साथ गणपति की मूर्ति बनी हुई है। ८६२ ई० के घटियाला के स्तंभ में श्रीगणेश की चार मूर्तियाँ बनी हैं। गणेश के मुख में सूँड की कल्पना न जाने कब आविष्कृत हुई। इलोरा तथा घटियाले की मूर्तियों में सूँड बनी हुई है। 'मालतीमाधव' में भी गणेश की सूँड का वर्णन है। गणपत्यों की भी कई शाखाएँ हो गईं। अन्य देवों की तरह आज तक गणपति की पूजा होती है\*। महाराष्ट्र में गणपतिपूजा का उत्तम विशेष रूप से मनाया जाता है।

स्कंद या कार्तिकेय की पूजा भी प्राचीन समय में होती थी। स्कंद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायण में उसे गंगा का पुत्र बताया गया है। इसके विषय में कई अन्य दंतकथाएँ भी प्रचलित हैं। स्कंद देवताओं का सेनापति माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव और स्कंद की मूर्तियों का उल्लेख किया है। कनिष्क के सिक्कों पर स्कंद महासेन आदि कुमार के नाम मिलते हैं। ४०४ ई० में ध्रुव-शर्मा ने बिलमद में स्वामी महासेन के मंदिर में प्रताली बनवाई थी। हंमाट्रि के व्रतखंड में स्कंद की पूजा का वर्णन मिलता है। यह पूजा आज तक प्रचलित है†।

हमारे निर्दिष्ट समय में इन देवियों के अतिरिक्त सूर्य-पूजा भी बहुत अधिक प्रचलित थी। सूर्य ईश्वर का ही रूप माना जाता था। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का बहुत जगह उल्लेख है। ब्राह्मणों और गृह्यसूत्रों में भी इसका बहुत वर्णन है। सूर्य का देवों में विशेष स्थान था। बहुत से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के

\* सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर कृत वैष्णविजम शेविजम एंड अदर माह्नर रिलिजम सिस्टम, पृष्ठ १४७—१५०।

† वही; पृष्ठ १५०—५१।

भिन्न भिन्न भागों में उसे उत्पादक, संरक्षक, विनाशक आदि नामों से, बहुत प्रकार से, की जाती थी ।

सूर्य की मूर्तियों की पूजा कब से भारत में प्रचलित हुई, यह कहना कठिन है । वराहमिहिर ने सूर्य की मूर्तियों की पूजा का मगो के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है । सूर्य की मूर्ति द्विभुज होती है । दोनों हाथों में कमल, सिर पर किरीट छाती पर कवच और पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंबे बूट होते हैं । हिंदुओं में पूजा जाननेवाली मूर्तियाँ में से सूर्य की मूर्ति ही ऐसी है, जिसके पैरों में लंबे बूट मिलते हैं । संभव है, सूर्य की प्रथम मूर्ति शीतप्रधान ईरान से आई हो, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था । भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्य के पैर खुले नहीं होने चाहिए । उर्मा पुराण में एक कथा है कि राजा साँव ( कृष्ण और जांबवती के पुत्र ) ने सूर्य की उपासना से नीरोग होने के कारण सूर्य की मूर्ति स्थापित करनी चाही, परंतु देवपूजा से प्राप्त होनेवाले द्रव्य से ब्रह्म-क्रिया नहीं होती, यह कहकर उस कार्य को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया । तब राजा ने शाक द्वीप ( ईरान का दक्षिण-पूर्वी भाग ) से मग जाति के ब्राह्मणों को बुलाया\* । ये लोग अपनी उत्पत्ति

\* एवमुक्तस्तु सात्रेण सान्द प्रणुवाच तम ।

न द्विजा परिगृह्णति देवस्य स्वीकृतं धनम् ॥ ३ ॥

देवचर्यागतं द्रव्यैः । क्रिया ब्राह्म्यं न विद्यते ॥ ५ ॥

अब्राह्मं च द्विजातिभ्यः कस्मै देयमिदं मया ॥ २८ ॥

मगाय संप्रयच्छ त्वं पुरमेतच्छुभं विभो ॥ २९ ॥

तस्याधिकारो देवान्ने देवतानां च पूजने ॥ ३० ॥

भविष्यपुराण, ब्रह्मपर्व अध्याय ॥ १३६ ॥



( ११ ) मूर्त्यु की मूर्ति  
[ राजपूताना म्यूजियम्, अजमेर ]



ब्राह्मण कन्या और सूर्य से होना मानते थे और सूर्य की पूजा करते थे। अलबेरुनी लिखता है—“भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी ईरानी मग होते हैं”। राजपूताने में इनका सेवक और भोजक कहते हैं। सूर्य के हजारों मंदिर बने और अब तक सैकड़ों मंदिर विद्यमान हैं, जिनमें सबसे विशाल और सारं प्राकार सहित संगमर-मर का बना हुआ सिरोही राज्य के वरमाण गाँव में विद्यमान है। यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभों पर नवी और दमवी सदी के लेख खुद हैं, जिनमें उस मंदिर को दिए हुए दानों का उल्लेख है। जैसे शिवमंदिर में वृषभ और विष्णुमंदिर में गरुड़ उनके वाहन होते हैं, वैसे सूर्यमंदिर में सूर्य के नामने चतुरस्र स्तंभ के ऊपर कीली पर घूमना हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृति चक्र होता है। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं। इस रथ को खींचनेवाले सात घोड़ों की कल्पना गई है इसी से सूर्य को सप्ताश्व या सप्तसप्ति कहते हैं। कई मूर्तियों में सूर्य के नीचे सात घोड़े भी बने हुए हैं। एक सूर्यमंदिर के बाहर की तरफ सात घोड़ों-वाली सूर्य की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का भाग बूट सहित सूर्य का और ऊपर का ब्रह्मा, विष्णु या शिव का है।

पाटण (भालरापाटन राज्य) के पद्मनाभ नामक विष्णुमंदिर के, जो अनुमानत द-ववी शताब्दी का बना हुआ है, पीछे के तक में ऐसी मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य तीनों का मिश्रण है, जैसा कि उनके भिन्न भिन्न आयुधों से पाया जाता है।

सूर्य के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना मंदसोर का सूर्य-मंदिर है, जो ई स० ४३७ में बना था, जैसा कि उसके शिलालेख में जान पड़ता है। मुलतान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएनत्संग ने किया है। अरब यात्री अलबेरुनी ने भी इस मंदिर को ग्यारहवीं सदी में देखा था। हर्ष के एक ताम्रपत्र में उसके पूर्वज प्रभाकरवर्द्धन,

राज्यवर्द्धन और आदित्यवर्द्धन के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है । सूर्य के पुत्र खंत की भी घोड़े पर बैठी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं । वह घोड़ों का अधिष्ठाता देवता माना जाता है और उसके पैरो में भी सूर्य के समान लंबे बूट देख पड़ते हैं\* ।

इसी तरह अष्ट दिक्पालों—इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, मरुत, कुबेर और ईश (शिव)—की भी मूर्तियाँ थीं। ये मूर्तियाँ मंदिरों में पूजी जाती थीं और कई मंदिरों आदि पर अपनी अपनी दिशाओं के क्रम से लगी हुई भी पाई जाती हैं । अष्ट दिक्पालों की कल्पना भी बहुत प्राचीन है । पतंजलि ने अपने महाभाष्य में धनपति ( कुबेर ) के मंदिर में मृदंग, शंख और तूनात्र (बंसी) के पजन के उल्लेख किया है ।

हिंदुओं में जब मूर्तियों की कल्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देवताओं की मूर्तियाँ तो क्या, ब्रह्म, नक्षत्र, प्रातः, अयाह्न, माथं, आदि समयविभाग, शस्त्रों, नदियों, कलि आदि युगों तक की मूर्तियाँ बना डाली गईं । पीछे से भिन्न भिन्न देवताओं का उपासक हिंदुओं में भेदभाव या द्वेष नहीं रहा । नाम्नपत्रादि से पाया जाता है कि एक राजा परम वैष्णव था, ता उसके पुत्रादि परम महाश्वर या भगवती के भक्त होते थे अंत में हिंदुओं के पांच—सूर्य, विष्णु, देवी, गुरु और शिव—मुख्य उपास्य देवता रह गए, जिन्हे सामान्य रूप से पंचायतन कहते हैं । शिव विष्णु आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी मिलते हैं और घरों में भी पंचायतन पूजा होती है । जिस देवता का मंदिर होता है उसकी भूर्ति मध्य में और चारों कोनों में अन्य चार देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं ।

यम रामकृष्णगोपात्र भांडा करकृष्ण वैष्णविजस शशिजस गुंड अदर साइवर रिलिजस पिस्टम्प, पृष्ठ १२१-१२५ ।

। पाणिनि के सूत्र २ । २ । ३४ पर पतंजलि का भाष्य ।



( १० ) यम की मूर्ति  
राजपूताना म्यूजियम्, अजमेर ]







( १३ ) नवप्रशमनं शुभसालेश्वर, राहुशिरकृतकीर्तिग  
[ गजवलिनाभुजियस्यशतमे ]



हिन्दूधर्म के इन सब संप्रदायों पर विचार करने के पश्चात् उसके कुछ सामान्य अंगों पर संक्षिप्त विचार करना आवश्यक है। हिन्दुओं के प्रमाणभूत ग्रंथ वेद हैं। हमारे निर्दिष्ट हिन्दूधर्म के सामान्य अंग काल में भी वेद पढ़े जाते थे, परंतु वेदों की वह प्रधानता वैसी न रही थी। अलबेरूनी

लिखता है—“ब्राह्मण वेदों को अर्थ समझने ही बिना कंठस्थ कर लेंते हैं और बहुत थोड़े ब्राह्मण उसका अर्थ समझने की कांशिश करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, वैश्यों और शूद्रों को नहीं\*। वैश्यों ने पहले बौद्ध होकर बहुधा वेदादि को पढ़ना छोड़ दिया था, तब से उनका संबंध वेदों से छूट गया अलबेरूनी लिखता है कि वेद लिखे नहीं जाते थे, याद किए जाते थे। इस पद्धति से बहुत सा वैदिक साहित्य नष्ट हो गया। वेदों की जगह पुराणों का प्रचार होता गया और पौराणिक संस्कारों का प्रचलन बढ़ता गया श्राद्ध और तर्पण की प्रथा बहुत बढ़ गई। यज्ञों का प्रचार कम हो गया था और पौराणिक देवताओं की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अलबेरूनी ने कई मंदिरों की मूर्तियों का भी वर्णन किया है†।

मंदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापना आरंभ कर दी गई थी। इस संबंध में हिन्दुओं ने बौद्धों का अनुकरण किया। सब संप्रदायों और उपसंप्रदायों के साधु और तपस्वी इन मठों में रहते थे। अनेक शिलालेखों में मंदिरों के साथ मठ, बाग और व्याख्यान-शालाओं के होने का उल्लेख मिलता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति और उसकी मिताक्षरा टीका में है। बौद्धों की रथ-यात्रा का अनुकरण भी हिन्दुओं ने कर लिया। इन सब परिवर्तनों के

\* अलबेरूनीज इंडिया, साचू कृत अंगरेजी अनुवाद, जिल्द १, पृष्ठ १२८।

† वही, जिल्द १, पृष्ठ १२५।

‡ चि०वि०वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिपवल् इंडिया; जिल्द ३, पृष्ठ ४३४-३५।

होने का यह आवश्यक परिणाम था कि धार्मिक साहित्य में भी परिवर्तन हो। इस काल में कई नई स्मृतियाँ बनीं, जिनमें तत्कालीन रीति रिवाजों का उल्लेख है। पुराणों के नए संस्करण होकर उनमें धौद्धों और जैनों से मिलती हुई बहुत सी बातें दर्ज की गईं। व्रतों का प्रचार भी बहुत बढ़ा। कई देवताओं के नाम से विरोध व्रत किए जाते थे। पुण्य बुद्धि से व्रत और उपवासों की प्रथा हिंदुओं में बढ़ी और जैनों से ली। एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, दुर्गाष्टमी, ऋषि-पंचमी, देवप्रवाधनी, गौरी तृतीया, रसतपचमी, अन्नय तृतीया आदि त्यौहारों पर व्रत रखने का अल्लवेरूनी ने उल्लेख किया है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनमें रामनवमी का उल्लेख नहीं किया। संभवतः उस समय पंजाब में रामनवमी का प्रचार न था। इसी तरह अल्लवेरूनी ने कई धार्मिक त्यौहारों का भी वर्णन किया है। कई त्यौहार तो विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे।

हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चित्तों का भी विशेष स्थान था। साधारण सामाजिक नियमों का भी धर्म का रूप देकर उनके पालन न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। हमारे निर्दिष्ट काल में जो स्मृतियाँ बनीं, उनमें प्रायश्चित्तों को मुख्य स्थान दिया गया। अंत्यजों के माथ खाने, अशुद्ध जल पीने, निषिद्ध और अपवित्र भोजन करने, रजस्वला और अंत्यजों के स्पर्श, उष्ट्रों के दूध पीने, शूद्र, स्त्री, गौ, चित्रिय और ब्राह्मण की हत्या, श्राद्ध में मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्रा करने, जबर्दस्ती दास बनाने, स्त्रियों के बलपूर्वक स्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसभक्षण, अपवित्र वस्तु के स्पर्श, शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत के बिना भोजन करने आदि बातों पर चाण्डायण, कृच्छ्र आदि भिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है।

अस्पृश्यता आदि बातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित हुईं । इनसे हिंदू धर्म में संकीर्णता ने बहुत प्रवेश कर लिया और यह संकीर्णता शनैः शनैः बढ़ती गई ।

### कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य

हमारे निर्दिष्ट समय के भारत के धार्मिक इतिहास में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का विशेष स्थान है । हम पहले कह चुके हैं कि बौद्धों और जैनियों ने ईश्वर के अस्तित्व कुमारिल भट्ट और उमके सिद्धांत और वेदों में ईश्वरीय ज्ञान होने को स्वीकृत नहीं किया था । इससे साधारण जनता में ईश्वर और वेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी । येही दोनों हिंदू धर्म के प्रधानभूत अंग हैं । इनके नष्ट होने से हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाता । बौद्ध धर्म का जब प्रचार कम हो रहा था और हिंदू धर्म का प्रचार पीछे तेजी से बढ़ रहा था, उम समय ( सातवीं सदी के अंतिम भाग में ) कुमारिल भट्ट उत्पन्न हुआ । उमके निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मत-भेद है । कोई विद्वान् उसे दक्षिणी मानते हैं और कोई उसे उत्तरी भारत का निवासी । हम इस विवाद में उतरना नहीं चाहते । उमने वेदों के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया और यह बतलाया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं । उम समय की अहिंसा की लहर के विरुद्ध कर्मकांड का भी पुनरुर्जावित करने का उमने यत्न किया । यज्ञों में पशु-हिंसा की भी उसने पूर्ण की । कर्मठ के लिये यज्ञ और उससे पशु-हिंसा आवश्यक थी । वह बौद्ध भिक्षुओं के वैराग्यवाद—संन्यासाश्रम—के भी विरुद्ध था । उस समय की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतों का बहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमें बहुत कठिनाइयों का

थी, बल्कि बौद्ध और ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सहिष्णुता आ चुकी थी। कन्नौज के गाहड़वालवंशी परम शैव गोविन्दचंद्र ने दो बौद्ध भिक्षुओं को विहार के लिये छः गाँव दिए थे। बौद्ध राजा मदनपाल ने अपनी स्त्री का महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण को एक गाँव दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे समय में हिंदू और बौद्धों में पहले का वैमनस्य नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी होने लग गए थे। परम शैव गोविन्दचंद्र की स्त्री बौद्ध थी। जैन और हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते थे, जो आज तक भी थोड़ा बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध है तो पुत्र वैष्णव और पिता हिंदू है तो पुत्र बौद्ध। दोनों धर्म इनने समीप आ गए थे और उनमें परस्पर इतनी समानताएँ हो गई थी कि उनकी दंतकथाओं में भेद करना भी कठिन हो गया। जैनियों और बौद्धों के प्रवर्तक भी हिंदुओं के अवतार माने गए। जैनियों, बौद्धों और हिंदुओं के धर्मों में २४ तीर्थकरों, २४ बुद्धों और २४ अवतारों की कल्पना में बहुत समानता है।<sup>१</sup> हमारे निर्दिष्ट समय में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु ब्राह्मण धर्म की सबसे अधिक प्रधानता थी। बौद्ध धर्म तो मृतप्राय हो चुका था। जैन धर्म बहुत परिमित क्षेत्र में रह गया था। हिंदू धर्म में भी शैव मत का प्रचार अधिक बढ़ रहा था। पिछले समय में बहुत से राजा शैव ही थे।

तत्कालीन धार्मिक स्थिति का हमारा अवलोकन तब तक अपूर्ण ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में नए प्रविष्ट होनेवाले इस्लाम धर्म

पर दो चार शब्द न कहे। यद्यपि मुहम्मद कासिम से पहले भी मुसलमानों की कुछ चढ़ाइयाँ भारत की तरफ हुई थी, परंतु इनका यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ। आठवीं सदी में सिंध पर मुसलमानों के अधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने लगा। उसके

भारत में इस्लाम का प्रवेश

( ३६ )

बहुत समय बाद ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में मुसलमान भारत में आए । जहाँ मुसलमान विजेताओं की तलवार ने इस्लाम फैलाने का काम किया, वहाँ हिंदू राजाओं की उदारता भी उनके फैलाने में सहायक हुई । राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद आदि बनवाने में मुसलमानों को सहायता दी । थाना के शिलारा-वंशी राजाओं ने पारसियों और मुसलमानों को पर्याप्त सहायता दी थी । मुसलमान अपने साथ नवीन भाषा, नवीन धर्म और नवीन सभ्यता को भारत में लाए\* ।

-----



## सामाजिक स्थिति

प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, जो अत्यंत प्राचीन काल से अनंत बाधाओं का सामना करते हुए भी अब तक न टूट सका। हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास हो चुका था। वर्णव्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद तक में मिलता है।

यद्यपि बौद्ध और जैन धर्म ने वर्णाश्रम-व्यवस्था का विरोध कर इसको बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकी और हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के साथ साथ इस संस्था की भी फिर उन्नति हुई। हमारे निर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी। 'द्वण्डसंग चारों वर्णों' का उल्लेख करता है\*। बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब हम क्रमशः समाज के सब विभागों पर संक्षेप से विचार करेंगे।

ब्राह्मणों का समाज में सबसे अधिक सम्मान था। शिक्षा और विद्या में यही सबसे बड़े चढ़े थे सब वर्ण इनकी प्रधानता मानते थे। बहुत से कार्य प्रायः ब्राह्मणों के प्राह्वण और उनके कर्तव्य जियें ही सुरक्षित रहते थे। वे शासन-कार्य में भी पर्याप्त भाग लेते थे। प्रायः मंत्री तो ब्राह्मण ही होते थे और कभी कभी वे सेनापति भी बनते थे। अबुज्जैद उनके विषय में लिखता है—“धर्म और विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण

कहलाते हैं। उनमें से बहुत से कवि, ज्योतिषी, दार्शनिक और दैवज्ञ राजा के दरबार में रहते हैं\* ।" इसी तरह अलूमसऊदी उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्तम और श्रेष्ठ कुल की तरह सम्मान होता है। प्रायः ब्राह्मण ही कुल-क्रम से राजाओं के मंत्री आदि होते हैं† ।

ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ करना और कराना, तथा दान देना और लेना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्ण-व्यवस्था के शिथिल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपर्युक्त कार्यों में से कई चले गए थे। यज्ञादि के बंद होने से बहुत से ब्राह्मणों की आजीविका नष्ट हो गई थी, इसलिये ब्राह्मण अन्य वर्णों के कार्य भी करने लगे। इसी के अनुसार नई स्मृतियाँ भी बनीं। वे लोग क्षत्रिय और वैश्य का भी काम करने लगे। बौद्ध मत के अनुसार कृषि पाप होने के कारण बहुत से वैश्यों ने बौद्ध होकर कृषि छोड़ दी। यह अक्सर देखकर बहुत से ब्राह्मण कृषि पर गुजारा करने लगे। पराशर स्मृति में मंत्र वर्णों को कृषि करने की आज्ञा दी गई है‡। इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सब वर्णों को शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार भी दिया गया§। इतना ही नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प, व्यापार और दुकानदारी भी करते थे,

\* इलियट हिस्ट्री आफ इंडिया, जि० १, पृ० ६।

† चि० वि० वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जिल्द २, पृष्ठ १८१।

‡ पट्टकर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च काश्येत् ॥ २ ॥

क्षत्रियोपि कृषिं कृत्वा देवान् विप्रंश्च पूजयेत् ॥ १८ ॥

वैश्यः शूद्रस्तथाकुयात् कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ॥ १९ ॥

अध्याय २ १

§ प्राणत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयानाम् ।

वसिष्ठस्मृति, अ० ३ ।

परंतु ऐसा करते हुए भी वे अपने सम्मान का पूरा खयाल रखते थे। वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम से बोया न गया हो ), दूध, शहद, शराब और मांस आदि पदार्थ नहीं बेचते थे। इसी तरह ब्राह्मण सूद-वृत्ति को भी घृणित कार्य समझकर नहीं करते थे। उनके आचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थी। उनका भोजन आदि भी अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक शुद्ध तथा सात्त्विक होता था, जिसका वर्णन हम आगे भोजन के प्रकरण में करेंगे। उनमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता का विचार बहुत था और वे अपने को अन्य वर्गों से पृथक् और ऊँचा रखने का प्रयत्न करते थे। अन्य वर्गों पर उनका प्रभाव बहुत समय तक बना रहा। राजनियमों में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, वस्तुतः उस समय वर्गों का प्राचीन कर्तव्य-विभाग बहुत शिथिल हो रहा था और सभी वर्ग अपने अपने इच्छानुसार काम करने लग गए थे। पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों को ऊँचे पदों पर नियत करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ग के ही क्यों न हों\* :

अपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदू समाज को केवल चार वर्गों और कुछ नीची जातियों में बँटा हुआ पाते हैं। ११ वीं सदी के प्रसिद्ध अलबेरूनी ने भी चार वर्गों का ही ब्राह्मण की उपजातियों उल्लेख किया है†, परंतु हमें शिलालेखों से पता लगता है कि उस समय वर्गों में उपजातियों बनने लग गई थीं। अलबेरूनी ने जो कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन स्थिति को ही देखकर नहीं, किंतु उसने जो कुछ पुस्तकों से पढ़ा था,

\* चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जिल्द २, पृष्ठ १८१—८२।

† अलबेरूनीज इंडिया; साचू कृत अंगरेजी अनुवाद, जि० १, पृ० १००—१०१।

वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्कालिक स्थिति का सच्चा परिचय नहीं देती।

ब्राह्मण ६०० ई० से १००० ई० तक भिन्न भिन्न जातियों में बँटे हुए मालूम नहीं होते। उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शाखा और गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जैसा कि १०५० ई० के चँदेलों के ताम्रपत्र में भारद्वाज गोत्र, यजुर्वेदीय शाखा के विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के कलचुरी लेख में, जो गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के नामों के साथ शाखा गोत्रादि के अतिरिक्त उनके विकास के ग्रामों का नामोऽल्लेख है। इसी तरह कई अन्य शिलालेखों में ब्राह्मणों के वामस्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़नगर की कुमारपाल-प्रशस्ति (११५१ ई०) में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोकण के बारहवीं सदी के लेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोत्र तो हैं शाखा नहीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम भी साथ दिए हैं, जो उनके पंशे या स्थानों या अन्य विशेषताओं के कारण बने हुए प्रतीत होते हैं। बारहवीं शताब्दी में ऐसे उपनामों का बहुत प्रयोग होने लगा था, जिनमें से कुछ नाम ये हैं—दीक्षित, राउत, ठाकुर, पाठक, उपाध्याय और पट्टवर्धन आदि। इस समय तक भी गोत्र और प्रवर प्रचलित थे, परंतु इन उपनामों की प्रधानता बढ़ती जाती थी। शिलालेखों में हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, आवस्थिक, माथुर, त्रिपुर, अकोला, डेडवाण आदि नाम पाते हैं, जो स्पष्ट ही उनके कार्य और वामस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं। पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न भिन्न जातियों में परिणत हो गए। यह जाति-भेद क्रमशः बढ़ता गया। इसके बढ़ने में दो तीन अन्य कारणों ने भी बहुत कुछ सहायता दी, जैसे कि भोजन में भेद हो जाना। मांसाहारी और शाकाहारी होने से भी

में ३६ वंशों का उल्लेख है। अब तक भी क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा है, जिसमें जाति-भेद नहीं है।

वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद ( व्याज-वृत्ति ) और कृषि थे। बौद्ध काल में वर्णव्यवस्था शिथिल होने से उसका रूपांतर हो गया। वैश्य और उतका वर्णव्यवस्था बौद्धों और जैनियों के मतानुसार कृषि करना पाप माना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसके अनुसार वैश्य लोगों ने न्नातवी सदी के प्रारंभ में ही कृषि का नीच कार्य समझकर छोड़ दिया था। हुएन्त्संग वैश्यों के विषय में लिखता है कि तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का है, जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता है; चौथा वर्ण शूद्रो या कृषकों का है\*।

वैश्यों ने भी कृषि कार्य छोड़कर दूसरे पेशे इस्तिथार करने शुरू किए। वैश्यों के राजकार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापति बनने और युद्धों में लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे समय के अंतिम भाग में उनमें जाति-भेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा शिलालेखों से पाया जाता है।

सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। वह वर्ण अस्पृश्य नहीं था; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की तरह शूद्रों को भी पंच महायज्ञ करने का अधिकार था। ऐसा पतंजलि-कृत महाभाष्य शूद्र और उसके टीकाकार कौयट की ( जो भर्तृहरि के पीछे हुआ ) टीका—'महाभाष्यप्रदीप'—से जान पड़ता है।

\* वाटर्स आन युवन्त्वांग, जिल्द १, पृष्ठ १६८।

। शूद्राणामनिरवसितानाम् २ । ४ । १० ॥ इस सूत्र के भाष्य में पतंजलि ने लिखा है कि एव तर्हि यज्ञात्कर्मणोऽनिरवसितानाम् । अर्थात् जो शूद्र यज्ञ कर्म से बहिष्कृत न हों, वे अबहिष्कृत समझे जावें। इसकी

शनैः शनैः इनके काम भी बढ़ते गए । इसका मुख्य कारण यह हुआ कि हिंदू समाज में बहुत से कार्यों, कृषि, दम्तकारी, कारीगरी आदि का करना तुच्छ ममभा जाने लगा और वैश्यों ने शिल्प का कार्य भी छोड़ दिया । इसलिये हाथ के सब काम शूद्रों ने ले लिए । शूद्र ही किसान, लोहार, राज, रँगरेज, धोबी, तन्त्रक, जुलाहे, कुम्हार आदि हो गए । हमारे निर्दिष्ट समय में ही भिन्न भिन्न पेशों के अनुमार शूद्रों की बहुत जातियाँ बन गईं । किमान तो शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशेवाले, भिन्न भिन्न जातियों में बँट गए । हुएन्त्संग लिखता है—बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कोई भी नहीं मानते । अलवे रूनी लिखता है—शूद्रों के बाद अंत्यजों का नंबर आता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं और जो चारों वर्गों में नहीं गिने जाते । ये अंत्यज आठ श्रेणियों ( Guilds ) में विभक्त हैं—धोबी, चमार, मदारी, टोकरी और ढाल बनानेवाले, मन्नाह, धावर, जगली पशुओं और पक्षियों का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे । चारों वर्गवाले इनके साथ नहीं रहते । शहरो, और गाँवों के पास ये लोग चारों वर्गों से अलग रहते हैं\* । ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शूद्रों के अशिक्षित होने से इनका पाच यज्ञों का अनुष्ठान भी छूटता गया ।

इन वर्गों के अतिरिक्त हिंदू समाज में दो एक अन्य विभाग भी थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो लोग लेखक अर्थात् अह्लकारी का काम करते थे वे कायस्थ कहलाते थे । पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं था । कायस्थ

टीका करते हुए कैशट न लिखते हैं—गूदाणा पचपञ्चानुष्ठानेऽधिकारोस्तातिभावः । शूद्रोऽपि त्रिभिधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवैतरस्तथा ॥ १० ॥

विष्णुस्मृति, अ० ५ ।

\* अलवेरूनीज इंडिया, जिल्द १, पृष्ठ १०१ ।

अहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि आठवीं सदी के कोटा के पास के कण्णसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये लोग राजकार्य में भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बातें मालूम हो जाती थीं। ये लोग राजकीय पद्यों और कूटनीतियों में भी भाग लेते थे, इन्हीं लिये याज्ञवल्क्य स्मृति में राजाओं को विशेषकर इनसे प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया गया है।

पीछे से अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक जाति बन गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का मिश्रण है। सूरजधज कायस्थ अपने को शाकट्यापी (भग) ब्राह्मण बतलाते हैं और वालभ कायस्थ क्षत्रिय जाति के हैं, जैसा कि सांडूल रचित 'उदयसुंदरीकथा' से पाया जाता है।

भारत में अस्पृश्य जातियाँ केवल दो ही—चांडाल और मृतप—थीं। चांडाल शहर के बाहर रहते थे; शहर में आते समय वे बाँस की लकड़ी को जमीन पर पीटते रहते थे और जंगलों में से पशुपत्तियों को मारकर उनके मांस के विक्रय से अपना निर्वाह करते थे। मृतप श्मशानों की चौकी करते और शवों के कफन आदि लेते थे।

हिंदू समाज के इन भिन्न भिन्न विभागों के मंचित्तम वर्णन के बाद इन सब वर्णों के पारस्परिक संबंध पर कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन चारों वर्णों में संबंध वर्णों का परस्पर संतध अन्ध्या था और परस्पर विवाह संबंध होते थे। सर्वर्ण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्य वर्णों से विवाह करना धर्म-शास्त्र के प्रतिकूल न था। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-कन्या से भी ब्राह्मण विवाह कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के लिये शूद्र-कन्या से विवाह का निषेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट

समय तक यह भी विद्यमान था । बाण ने शूद्र स्त्री से पैदा हुए ब्राह्मण के पुत्र पारशव का उल्लेख किया है । इसी तरह मंडोर के प्रतिहारों के वि० सं० ८६४ ( ई० स० ८३७ ) और ८१८ ( ई० स० ८६१ ) के लेखों में ब्राह्मण हरिश्चंद्र का क्षत्रिय-कन्या भद्रा से विवाह होने का उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण कवि राजशेखर ने भी चौहान कन्या अवंतिमुंदरी से विवाह किया था । दक्षिण में भी क्षत्रियों की स्त्री से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण मिलते हैं । गुलवाड़ा गाँव के पास की बौद्ध गुफा के एक लेख में बल्लूरवंशीय ब्राह्मण सोम का ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं से विवाह होने का वर्णन मिलता है\* । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं । दंडा कृत 'दशकुमारचरित' से पाया जाता है कि पाटलिपुत्र के वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कांसल के राजा कुसुमधन्वा के साथ हुआ था । उसे और भी कई उदाहरण मिलते हैं । इसी तरह वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था । सारांश यह है कि हमारे निर्दिष्ट समय में अनुलोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिलोम की नहीं । ये संबंध उन शूद्रों के साथ, जिनका पंच महायज्ञों का अधिकार नहीं था, नहीं होते थे ।

प्राचीन काल में पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण माना जाता था । ब्राह्मण का किसी भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही समझा जाता था, जैसे कि ऋषि पराशर के धीवरी से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास और रेणुका ( क्षत्रिय कन्या ) से उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण कहलाए । पीछे से यह प्रथा बदल गई, अर्थात् माता के वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाने लगा । क्षत्रिय-कन्या से

\* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण; भाग ६, पृ० १६७—२०० ।

† दशकुमारचरित; विभूत कथा ।



उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय ही माना जाता था, जैसा कि शंख और उशनस आदि स्मृतियों से पाया जाता है\* ।

परस्पर के ये विवाह-संबंध शनैः शनैः कम होते गए और फिर अपने अपने वर्णों में होने लगे । हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल अपनी उपजातियों तक ही परिमित रह गई† ।

आज की भाँति प्राचीन काल में भिन्न भिन्न वर्णों में छूतछात और साथ खाने पीने का परहेज नहीं था । ब्राह्मण अन्य सब वर्णों के हाथ

का भोजन खाते थे जैसा कि व्यास-स्मृति के छूतछात  
“नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिणा दामगोपकाः ।

शूद्राणामप्यमीषां तु भुक्त्वाऽन्न नैव दुष्यति” से पता लगता है‡ । वर्तमान भेद-भाव हमारे समय के अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं हुआ था । अलबेरूनी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्ठे रहते और एक दूसरे के हाथ का खाते पीते थे§ । संभव है कि यह कथन उत्तरी भारत से संबंध रखता हो । दक्षिणी भारत में शाकाहारियों ने मांसाहारियों के साथ खाना छोड़ दिया था । यह भेद-भाव शनैः शनैः सभी वर्णों में बढ़ता गया ।

भारतवर्ष ने केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था ।

प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचर्य्य, वानप्रस्थ आदि आश्रमों में तपस्या को मुख्य स्थान देते थे, तो गृहस्थाश्रम में जीवन के सांसारिक आनंद भी भोगते थे । संपन्न लोग बड़े बड़े आलीशान मकानों में

\* राजपूतान का इतिहास जिल्द १, पृष्ठ १४७—४८ ।

† चि० वि० वैद्य, हिस्ट्री आफ मीडिक्वल इंडिया, जि० १, पृष्ठ ६१—६३, जि० २, पृ० १७८—८२ ।

‡ व्यासस्मृति—अध्याय ३, श्लोक ५५ ।

§ अलबेरूनीज् इंडिया; जिल्द १, पृ० १०१ ।

रहते थे। खाने, पीने, सोने, बैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, वाद्य आदि के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों में वायु संचार के लिये अच्छा प्रबंध रहता था। शहर के सामाजिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, जहाँ लोग हजारों की तादाद में सम्मिलित होतें थे। हर्ष के समय हुएन्तसंग ने प्रति पांचवें वर्ष होनेवाले धर्म-सम्मेलन का वर्णन किया है, जिसमें हर्ष भिक्षुओं को दान दिया करता था। इसके अतिरिक्त अन्य शुभावसरो पर भिन्न भिन्न स्थानों में भी मंले हुआ करते थे। ऐसे धार्मिक मेले केवल आनंद के लिये नहीं होतें थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था। इन मंलों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और सामान खरीद फराखत होता था। मेलों की यह प्रथा आज भी भारत में विद्यमान है। इन मंलों में समारोह बहुत होता था। बहुत से त्यौहारों के अवसरों पर भी मेले किए जाते थे, जैसा कि रत्नावली में वसंतोत्सव के उल्लेख से पाया जाता है। हिंदुओं में त्यौहारों का प्राधान्य है, वे उन्हें बहुत समारोह से मनाते थे। इन मंलों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन में बहुत भाग था। होली के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेकने का भी रिवाज था, जैसा कि हर्ष ने रत्नावली में वर्णन किया है\*। लोगों के दिल बहुलाने के लिये नाटक-गृह या प्रेक्षागृहों का उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह गान-भवनों, चित्रशालाओं आदि का भी वर्णन मिलता है, जिनमें नागरिक जाकर आनंद करतें थे। नाटक, नृत्य, संगीत और चित्रकला का विकास कितना हो चुका था†, इस पर आगे प्रकाश डाला

\* धारायंत्रविमुक्तसंततपयः पूरण्लुतं सर्वतः ।

सद्यः सांद्रविमर्दकदंमकृतक्रीडे क्षपां प्रागण्ये ॥ ११ ॥

रत्नावली, अंक १ ।

† राधाकुमुद मुकजी, हर्ष, पृ० १७५--७६ ।

जायगा । कभी कभी उपवनो में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें बहुत से स्त्री-पुरुष सम्मिलित होते थे । लोग तोता मैना आदि पक्षियों का पालने के शौकीन थे । वे मुर्गों, तीतरों, भैंसों, मेढों और हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते थे । बड़े बड़े मल्ल कुशती भी लड़ते थे । सवारी के लिये घोड़ों, हाथियों, रथों और पालकियों का प्रयोग होता था । जल-विहार भी बहुत होता था, जिसमें नौकाओं का प्रयोग किया जाता था । जल-विहार में स्त्रियाँ और पुरुष सभी सम्मिलित होते थे । स्त्री पुरुष मिलकर भूला भूलते थे । देलोत्सव विशेषतः वर्षा ऋतु में हुआ करता था । इस प्रथा का आज भी प्रायः सारे भारत में प्रचार है । इन सब आनंदप्रद उत्सवों और प्रथाओं के अतिरिक्त शतरंज, चौपड़ आदि खेल भी खेले जाते थे । उस समय जुए का भी बहुत प्रचार था, परंतु उस पर निरीक्षण रहता था । शूत-गृहो पर सरकारी कर लगता था, जैसा कि शिलालेखों आदि में पाया जाता है\* ।

क्षत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे । राजा और राजकुमार अपने दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे । यह शिकार तीर, भालो आदि से होता था । शिकार में कुत्ते आदि भी साथ रहते थे ।

कुछ विद्वानों का खयाल है कि हर्ष के समय तक भारत में सीने की कला का प्रचार नहीं हुआ था† । वे अपने पक्ष की युक्ति में वक्ष  
हुएन्त्संग का एक कथन‡ पेश करते हैं; परंतु उनका यह मत भ्रांतिपूर्ण है । भारत में सब प्रकार के शीत, उष्ण और शीतोष्ण प्रदेश होने के कारण भिन्न भिन्न

वि० सं० १००८ ( ई० सं० १६११ ) के उदयपुर के निकट के सारथे-श्वर में लगे हुए प्राचीन शिलालेख से ।

† चि० वि० वैद्यः, हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जि० १, पृ० ८६ ।

‡ वाटर्स आन युवनच्वांग; जि० १, पृ० १४८ ।

स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे । वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में सुई का नाम 'सूचा\*' या 'वेशी†' मिलता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में सुई के तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चाँदी, और सोने की होने का उल्लेख है‡ । ऋग्वेद में कैंची को 'भुरिज§' कहा है । सुश्रुत संहिता में बारीक डोरों से सीने 'सीव्येत् सूक्ष्मेण सूत्रेण' का वर्णन है । रंशमी चोगों का 'तार्य + ' और ऊनी कुरते को 'शामूल x ' कहते थे । 'द्रापि¶' भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था । सिर्फ कपड़ा ही नहीं, चमड़ा भी सिया जाता था । चमड़े की भस्त्री ( शैली ) का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है ।

अपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों को लिखने से हमारा अभिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कला बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी ।

हमारे निर्दिष्ट समय में स्त्रियों का मामूली वस्त्र अंतरीय अर्थात् साड़ी थी, जो आधी पहनी और आधी ओढ़ी जाती थी । बाहर जाने के समय उस पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था । स्त्रियों नाचने के समय लहंगे जैसा जरी के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशम्' था॥ । मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई

\* ऋग्वेद २ । ३२ । ४ ॥

† बही, ७ । १८ । १४ ॥

‡ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ६ । ६ ॥

§ ऋग्वेद ८ । ४ । १६ ॥

+ अथर्ववेद १८ । ४ । ३१ ॥

x जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १ । ३८ । ४ ॥

¶ ऋग्वेद १ । २५ । १३ ॥

॥ ऋग्वेद २ । ३ । ६ ॥

एक शिला पर रानी और उसकी दासियों के चित्र अंकित हैं। रानी लहंगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किए हुए है\*। स्मिथ ने अपनी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो श्रावक और तीन श्राविकाओं की खड़ी मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों स्त्रियाँ लहंगे पहने हुए हैं†। ये लहंगे आज के लहंगों के समान ही हैं। दक्षिण में, जहाँ लहंगे का रिवाज नहीं है, आज भी नाचते समय स्त्रियाँ लहंगा पहनती हैं। स्त्रियाँ छाटवाले कपड़े भी पहनती थीं, जैसा कि अजंटा की गुफा में बच्चे को गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की स्त्री के सुंदर चित्र से ज्ञात होता है। उसमें स्त्री कमर से नीचे तक आधी बाँहवाली सुंदर छाट की अँगिया पहने हुई है‡। व्यापारी लोग रुई के चोगे और कुरते भी पहनते थे। दक्षिण के लोग सामान्य रूप से दो धोतियों से काम चलाते थे। धोतियों से सुंदर सुंदर किनारा भी होता था। एक धोती पहनते थे और एक ओढ़ते थे। कश्मीर आदि की तरफवाले कछनी ( Halfpant ) पहनते थे§।

इन कपड़ों में विविधता, सुंदरता और सफाई की ओर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। हुएन्त्संग ने रुई, रेशम तथा ऊन के बखों का वर्णन किया है॥। राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराए गए बखों का वर्णन करते हुए बाण लिखता है—रेशम, रुई, ऊन, साँप की केचुली के समान महीन, श्वास से उड़ जानेवाले, स्पर्श से ही अनुमेय और इंद्रधनुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया

\* स्मिथ; मथुरा-एटिक्विटीज; प्लेट १४।

† वही; प्लेट ८२।


‡ स्मिथ; आक्सफर्ड, हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० १२६।

§ राधाकुमुद मुकर्जी; हर्ष; पृ० १७०—७१।

॥ रास बील; बुद्धिस्ट रेकर्ड्स आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड; जिल्द १, पृ० ७५।



( १४ ) छोट की अगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र  
[ अजंटा की गुफा ]



( १५ ) भुवणादि से अलकृत स्त्री का मिर  
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ]







( १६ ) खाँ के पिर का केशविन्याम  
[ राजपूताना भ्यूजियस, अजमेर ]

था\* । स्त्रियों प्रायः रंगीन कपड़े पसंद करती थीं । बौद्ध साधु प्रायः लाल, हिंदू संन्यासी भगवा और जैन ( श्वेतांबर ) साधु श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे । विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े पहनती थीं । राजा लोंग सिर पर रत्नजटित मुकुट धारण करते थे । साधारण लोग पगड़ी ( उष्णीष ) बाँधते थे । बालों के शृंगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था । पुरुष बड़े बड़े बाल रखते थे । स्त्रियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर केश-विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की बनी हुई मूर्तियों से लगता है । बालों का पीछे जूड़ा भी बाँधा जाता था, जिस पर सुगंधित फूल लगाए जाते थे, सिर पर तरह तरह से मोतियों की लड़े और रत्नजटित आभरण भी धारण किए जाते थे । ब्राह्मण लोग सिर और दाढ़ी के बाल कटवाने थे । क्षत्रिय लोग लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, जैसा कि बाण के एक सेनापति के वर्णन से पता लगता है । बहुत से लोग पैरों से जूते नहीं पहनते थे† ।

शरीर को सजाने के लिये गहनों का भी बहुत प्रयोग होता था । पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही गहनों के शौकीन थे । दुष्ण्टसंग लिखता है कि राजा और संपन्न लोग विशेष आभूषण पहनते हैं । अमूल्य मणियों और रत्नों के हार, अंगूठियाँ, कड़े और मालाएँ उनके आभूषण हैं† । सोने चाँदी के रत्नजटित भुजबंद, सादे या मकराकृति सोने के कुडल आदि बहुत से आभरण पहने जाते थे । कभी कभी स्त्रियाँ कानों के नीचे के भाग

† चोमैश्च मादरैश्च दुकूलैश्च शालातन्तुजैश्चाशुकैश्च नैत्रैश्च निर्मोकनि-  
भैर्निश्वासहार्यैः स्पर्शानुमेयैः वासोभिस्सर्षत स्फुरदिद्रायुधस्य स्रैरिव संच्छा-  
दितम् ।

हर्षचरित, पृ० २०२-३ ।

† चि०वि०वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द, १, पृ० ६२—६३।

‡ वाटर्स आन युवनव्यांग, जि० १, पृ० ५१ ।

को दो विभागों में छिदवाती थी और प्रत्येक भाग में छेद कराकर उनके बीच तार डलवाती थी जिसमें सोने आदि की कई कड़ियाँ रहती थी। कान के नीचे के भाग को छेदकर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की रीति तो उनमें साधारण सी थी। ऐसे छिदे हुए कानवाली स्त्रियों की मूर्तियाँ कई अजायबघरों में संगृहीत हैं। पैरों में भी सादे या घुँघरूवाले जंवर पहने जाते थे। हाथों में कड़े और शख तथा हाथीदाँत की तरह तरह के कामवाली चूड़ियाँ, बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले में उत्तम और बहुमूल्य हार और अँगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की अँगूठियाँ पहनी जाती थी। स्तन कहीं खुले, कहीं पट्टी बंधे हुए और कहीं चोली से ढँके हुए रहते थे। संपन्न स्त्री पुरुष सुगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पहनते थे। चाँडालों की स्त्रियाँ पैरों में रत्नजटित गहने पहन सकती थीं\*। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गहने पहनता था। किसी को कुछ पहनने की मनाई नहीं थी। नथ और बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता; संभव है, यह मुसलमानों से लिया गया हो।†

विद्वान् लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा विनोद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओं या विद्वानों की मंडलियों में होती थी। बाणभट्ट अपनी 'कादंबरी' में राजसभा में कुछ साहित्यचर्चाओं—काव्यप्रबंध की रचना, आख्या-नक कथाएँ, इतिहास और पुराणों के श्रवण, संगीत, अक्षर-च्युतक, मात्राच्युतक, विदुमती, गूढ चतुर्थपाद, प्रहेलिका—आदि का वर्णन करता है‡।

\* कादंबरी में चाँडाल-कथा का वर्णन।

† चि०वि०वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जिल्द २, पृ० १८७-८८।

‡ कादंबरी; पृ० १४, निर्णयसागर संस्करण।

भोजन मे शुद्धि और सफाई का बहुत खयाल रखा जाता था । इस्तिग ने इस संबंध मे बहुत कुछ लिखा है । हुएन्संग ने लिखा है कि—“भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, किसी दबाव के कारण नहीं । भोजन को पूर्व वे स्नान करते हैं । उच्छिष्ट भोजन पीछे किसी को नहीं खिलाया जाता । भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे को नहीं दिए जाते । मिट्टी और लकड़ी के पात्र एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं होते । सोने, चाँदी, ताँबे आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं\* ।” यह शुद्धि आज भी पर्याप्त रूप से ब्राह्मणों आदि मे विद्यमान है, यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है ।

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, दूध, घी, गुड़ और शक्कर था । अल् इदरिसी अनहिलवाड़े के प्रसंग मे लिखता है—‘वहाँ के लोग चावल, मटर, फलियाँ, उड़द, मसूर, मछली और अन्य पशुओं को, जो स्वयं मर गए हों, खाते हैं, क्योंकि वे कभी पशु-पक्षियों को मारते नहीं। महात्मा बुद्ध से पूर्व मांस का भी प्रचार बहुत था । जैन और बौद्ध धर्म के कारण शनैः शनैः यह कम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के समय जब बहुत से बौद्ध हिंदू हुए, तो अहिंसा और शाकाहार का धर्म भी साथ लाए । हिंदू धर्म ने मांसाहार पाप समझा जाने लगा । मांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी । ममऊदी लिखता है कि ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते । स्मृतियों मे भी ब्राह्मणों के मांस न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछली स्मृतियों मे श्राद्ध के समय मांस खाने की आज्ञा दी गई है । इस पर व्यास-स्मृति मे तो यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध मे मांस न खानेवाला

\* वाटर्स आन युवनच्चांग, जिल्द १, पृष्ठ १५२ ।

† चि० वि० वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिलएज्ज इंडिया, जि० २, पृष्ठ १६२ ।

ब्राह्मण पतित हो जाता है\* । शनैः शनैः मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई और ब्राह्मणों के एक भाग ने मांसभक्षण आरंभ कर दिया । क्षत्रिय और वैश्य भी मांस खाते थे । हरिण और भेड़ बकरी के मांस के अतिरिक्त प्रायः अन्य मांस निषिद्ध थे । कभी कभी मछली भी खाई जाती थी । प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित था और उनके खानेवाले प्रायश्चित्त के भागी समझे जाते थे ।

उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार बहुत कम था । चांडाल मत्र प्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे सबसे अलग रहते थे ।

मद्य-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था । द्विजों को तो शराब बेचने की भी आज्ञा नहीं थी । ब्राह्मण तो मद्य विलकुल नहीं पीते थे । अलू मसऊदी ने राजाओं के विषय में लिखा है कि यदि कोई राजा मदिरा पी ले, तो वह राज्य करने के योग्य नहीं समझा जाता था, परंतु शनैः शनैः क्षत्रियों के मदिरा का प्रचार बढ़ता गया । अरबी यात्री सुलेमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते । इसका कथन है कि जो राजा शराब पी ले, वह वास्तव में राजा नहीं है । आसपास में आपस के लड़ाई बखंडे हांते रहते हैं, तो वह राजा जो कि मतवाला हां, भला क्याकर राज्य का प्रबंध कर सकता है† । वात्स्यायन के काममुत्र से मालूम होता है कि श्रीमंत नागरिक लोग बाग बगीचों में जाते और वहाँ शराब भी पीते थे ।

उस समय स्वच्छता का विचार अवश्य था, परंतु परस्पर का भोजन निषिद्ध न था । छूतछात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ पीछे से बढ़ा ।

\* नाशनीयाद्ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन ।

क्रतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनजन् पतति द्विजः ॥

† सुलेमान सौदागर; पृ० ७८ (नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) ।

ऊपर लिखे हमारे वर्णन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भारतीय केवल भौतिक जीवन की तरफ बढ़े हुए थे। उनका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था। बहुत सी धार्मिक बातें उनके जीवन का अंग बनी हुई थीं। पंच महायज्ञ गृहस्थी के लिये आवश्यक कर्तव्य थे। अतिथि-सत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था। यज्ञों में पशु-हिंसा बौद्ध धर्म के कारण कम हो चुकी थी। उसके साथ यज्ञों का होना भी अवश्य कम हो गया था, परंतु हिंदू धर्म के अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ हो गए थे। हमारे निर्दिष्ट काल में बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख बहुधा नहीं मिलता।

हिंदू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत था, वहाँ उम्म, किसी न किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी। दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट

समय से बहुत काल पूर्व से चली आती थी।

दास-प्रथा

मनु और याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में दास-प्रथा

का वर्णन है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ( बारहवीं शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार के—गृहजात ( घर की दासी से उत्पन्न ), क्रीत ( खरीदा गया ), लब्ध ( दानादि में मिला हुआ ), दायदुपागत ( वंशपरंपरागत ), अनाकालभृत ( दुर्भाग्य में मरने से रक्षित ), आहित ( धन दंकर अपने पास रखा हुआ ), ऋणदास ( कर्ज में रखा हुआ ), युद्धप्राप्त ( लड़ाई में पकड़ा हुआ ), पणजित ( जुए आदि में जीता हुआ ), पत्र-यावसित ( साधु होने के बाद बिगड़कर दास बना हुआ ), कृत ( समय की शर्त के साथ रखा हुआ ), वडवाहत ( घर की दासी के लोभ से आया हुआ ) और आत्मविक्रेता ( अपने आपको बेचनेवाला )—दासों का उल्लेख किया है\*। दास लोग जो कुछ कमाते थे उस पर उनके स्वामी

\* गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायदुपागतः ।

अनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥

का ही अधिकार होता था । कुछ लोग दासों की चोरी करके उनको बेचते भी थे ।

यहाँ की दास-प्रथा अन्य देशों की दास-प्रथा की भाँति क्लृप्त, घृणित और निन्दनीय नहीं थी । ये दास घरों में परिवार के एक अंग की तरह रहते थे । त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों पर भी विशेष कृपा होती थी । जो दास अच्छा कार्य करते थे, उन पर स्वामी बहुत अधिक कृपा करते थे । राज्य की ओर से दासों के लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे । याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि जबर्दस्ती दास बनाए हुए और चोरो द्वारा खरीदे गए दासों को यदि स्वामी मुक्त न करे तो राजा उन्हें स्वतंत्र करा दे । किसी कठिन अवसर पर स्वामी को प्राण बचानेवाला भी मुक्त कर दिया जाता था\* । नारदस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि स्वामी के प्राण बचानेवाले को पुत्र की तरह जायदाद का भाग भी दिया जाय । जो कर्ज आदि लेकर दास बनते थे, वे स्वामी से लिया हुआ सब ऋण चुकाकर चाहें जब मुक्त हो सकते थे । इसी तरह अन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते थे । अनाकालभृत दान गौवे देकर, आहित धन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्न और पण्डित दास कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर मुक्त हो

---

मोक्षितो महतश्चर्णाद्युद्धप्राप्तः पण्डितः ।

नवाहमित्युपगत प्रयज्यावमित् कृतः ॥

भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव वडवाहनः ।

विक्रेता चामन शास्त्रे दासाः पञ्चदशस्मृताः ॥

मिताक्षरासहित, पृ० २४६ ।

- बलाहासीकृतश्चौरैर्विक्रीतश्चापि गुच्यते ।

स्वामिप्राणप्रदो भक्त त्यागात्तन्निष्क्रयादपि ॥

वही, पृ० २४६ ।

सकते थे\* । मिताक्षरा में उस समय दास के मुक्त करने की विधि का भी उल्लेख है । स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ घड़ा उठाता और उसे तोड़कर अक्षत, पुष्प आदि दास पर फेंकता तथा तीन बार 'अब तू दास नहीं है', यह कहकर उसे मुक्त कर देता† । यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक समझे जाते थे, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता था । ऐसी स्थिति में चीनी या अरब यात्रियों को हमारे यहाँ के सेवकों और दासों में अंतर मालूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दाम-प्रथा का उल्लेख नहीं किया ।

साहित्य और विज्ञान की अत्यंत उन्नति होते हुए भी साधारण जनता में बहम बहुत थे । लोग भिन्न भिन्न जादू टोनों तथा भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे । जादू टोनों की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में विद्यमान थी । अथर्ववेद में अभिचार, सम्मोहन, पीडन, वशीकरण, मारण आदि का वर्णन है । राजा के पुरोहित अथर्ववेद के विद्वान् होते थे । शत्रुओं को नष्ट करने के लिये राजा जादू और टोनों का भी प्रयोग कराते थे । हमारे समय में भी इनका बहुत प्रचार था । बाण ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय लोगों का पिशाच-बाधा मानना और उनका उपाय करना भी लिखा है‡ । कादंबरी में भी बाण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये विलासवती का जादू के मंडलों में

\* मिताक्षरा सहित, पृष्ठ २४६—२० ।

† स्वं दासमिच्छेद्यः कतुं मदासं प्रीतमानसम् ।

स्कंधादादाय तस्यायौ निंद्यात्कुम्भं सहाम्भसा ॥

साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्याङ्गरवाकिरेत् ।

अदाम इत्यथोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमदासृजेत् ॥

वही; पृ० २२० ।

‡ हर्षचरित; पृ० १२४, निर्णयसागर संस्करण ।



दिक्पालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने और गंडे बाँधने, गीदड़ों को मांसपिंड खिलाने तथा शकुन जाननेवालों का आदर करने का उल्लेख किया है\* । ऐसे ही गर्भ कं समय उसकी भूतों से रक्षा करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरौचन से भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र बाधने, कात्यायनी से रक्षा के लिये मोरपंखों के उरसने, सफेद सरसों के बिखेरने आदि क्रियाओं का का भी बाण ने वर्णन किया है† । भवभूति ने 'मालतीमाधव' में इष्टसिद्धि के लिये अघोरघंट द्वारा बलिदान के लिये मालती को देवी के मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है । 'गौडवहो' में भी देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों और पशुओं की बलि का वर्णन है । इन सब बातों से पाया जाता है कि हमारे निर्दिष्ट समय में जादू टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि पर विश्वास करते थे । राजा लोग अपने शत्रु पर क्रुत्या ( मारण ) और मंत्रों द्वारा घावों के आराम कराने का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि सोमेश्वर कवि के सुरथोत्सव काव्य से जान पड़ता है । देवियों की तुष्टि के लिये पशुओं और मनुष्यों की बलि देने की घृणित और निर्दय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी ।

इस विषय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के चरित्र पर भी दो चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा । प्राचीन काल से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्वल और प्रशंसनीय रहा है । मेगस्थनीज ने भारतीयों के विषय में लिखा है कि "वे सत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे । वीरता में भारतीय एशियावासियों से बड़े चढ़े थे । वे गंभीर और श्रमशील थे ।

\* कादंबरी, पृ० १२८—३०, निर्णयसागर संस्करण ।

† वही, पृष्ठ १३६—३७ ।

उन्हें मुकद्दमा कराने की आवश्यकता कभी न होती थी।<sup>१</sup> यह उच्च चरित्र अत्यंत प्राचीन समय में ही नहीं थे किंतु हमारे समय के यात्रियों ने भी ऐसे ही वर्णन किए हैं। हुएन्त्संग लिखता है कि भारतीय सरलता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। वे अन्याय से धन-संचय नहीं करते। अल इदरिसी लिखता है कि भारतीय लोग सदा न्यायपरायण रहते हैं और उससे विमुख कभी नहीं होते। उनके व्यवहार में भलाई, प्रामाणिकता और निष्कपटता प्रसिद्ध है और इन विषयों में वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशों के लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं और इससे उनका देश समृद्ध हो गया है\*। तेरहवीं सदी का शम्सुद्दीन अबु अब्दुल्ला बेदी इब्न जर्मा के फौसले को उद्धृत करते हुए लिखता है कि भारत की धनी बहुत धनी है। वहाँ के लोग धोखे और जबरदस्ती में अलग रहते हैं। वे जीने मरने की कुछ परवाह नहीं करते†। मार्को पोलो ( तेरहवीं सदी ) का कथन है कि ब्राह्मण उत्तम व्यापारी और सत्यवादी हैं। वे मद्य-मांस का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। वे चिरायु होते हैं‡। उम समय क्षत्रिय खाट पर मरना अपने लिये निदनीय समझते थे। युद्धों में मरने के लिये वे लालायित रहते थे, परंतु ऐसा अबसर न मिलने पर वे कभी कभी पर्वत से लुढ़ककर ( भृगुपतन ), अग्नि में बैठकर जल मरते या जल में डूबकर मर जाते थे। बल्लाल सेन तथा धंगदेव के पानी में डूबने और मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक आदि के आग में जल मरने के उदाहरण मिलते हैं। कई ब्राह्मण जब देखते थे कि वे वृद्ध हो गए हैं, तब वे स्वयं अग्नि में जल मरने या पानी में कूद पड़ते थे।

\* इलियट; हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्द १, पृ० ८८।

† मैक्समूलर; इंडिया, पृष्ठ ३७५।

‡ मार्को पोलो (मिग बूल द्वारा संपादित), जिल्द २, पृ० ३५० और ३६०।

सिकंदर के समय में भी अग्नि में बैठकर मरनेवाले एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है । मार्को पोलो भी इस प्रथा का वर्णन करता है\* ।

### भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान

किसी समाज की उन्नति तब तक पूर्ण नहीं समझी जा सकती जब तक उसमें स्त्रियों का उच्च स्थान न मिले । अत्यंत प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों का आदर होता था इसलिये उन्हें अर्धाङ्गिनी का नाम दिया गया था । घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था । यज्ञ यागादि में पति के साथ उनका बैठना आवश्यक समझा जाता था । रामायण और महाभारत में ही नहीं किंतु उनके बाद के नाटकों में भी स्त्रियों की स्थिति को अत्यंत उच्च बताया गया है । हमारे निर्दिष्ट समय तक भी समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था । भवभूति और नारायण भट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि उस समय स्त्रियों का यथेष्ट मान और आदर किया जाता था ।

पिछले समय की तरह उम्र समय में 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयताम्' प्रचलित न था । स्त्रियाँ भी पढ़ती थीं । बाण ने लिखा है कि राज्यश्री का बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिये स्त्री-शिक्षा दिवाकरमित्र नियुक्त किया गया था । बहुत सी स्त्रियाँ बौद्ध भिक्षु भी होती थीं, जो निरसंदेह बौद्ध सिद्धांतों से भली भाँति परिचित होंगी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने-वाली मंडनमिश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने शंकराचार्य को भी निरुत्तर कर दिया था । प्रसिद्ध कवि राजशेखर की चौहान पत्नी अवंति-सुंदरी बहुत विदुषी थी । राजशेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए जहाँ और विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर अवंति-सुंदरी का भी भिन्न मत दिया है । उस ( अवंति-सुंदरी ) ने प्राकृत कविता

\* चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया, जिल्ड २, पृ० १६१ ।

में आनेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी बनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। हेमचंद्र ने अपनी देशी नाममाला में दो जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाहरण में उसकी कविता उद्धृत की है। स्त्री-शिक्षा के विषय में राजशेखर अपने विचार इस तरह प्रकट करता है—“पुरुषों की तरह स्त्रियों भी कवि हों। संस्कार तो आत्मा में होता है वह स्त्री या पुरुष के भेद की अपेक्षा नहीं करता। राजाओं और मंत्रियों की पुत्रियों, वेश्याएँ, कौतुकियों की स्त्रियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली और कवयित्री देखी जाती है\*। हमारे समय में बहुत सी स्त्रियाँ भी संस्कृत की कवि हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—इंदुलेंखा, मारुला, मोरिका, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा और लक्ष्मी। इतना ही नहीं, स्त्रियों को गणित की शिक्षा भी दी जाने के उदाहरण मिले हैं। भास्कराचार्य ( बारहवीं सदी के अंत में ) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का अध्ययन कराने के लिये ‘लीलावती’ ग्रंथ लिखा। स्त्रियों को ललित कलाओं की तो विशेष शिक्षा दी जाती थी। राज्यश्री को संगीत, नृत्य आदि सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्लेख वाण ने किया है। हर्ष की रत्नावली में रानी का वर्तिका ( ब्रह्म ) से रंगीन चित्र बनाने का वर्णन है। उर्मी में रानी को गीत, नृत्य, वाद्यादि के विषय में सलाह देनेवाली बताया है। गंवाज करने से इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं।

उस समय पर्दा प्रचलित न था। राजाओं की स्त्रियाँ दरबारों में आती थीं। ह्युपन्त्संग लिखता है कि जिस समय हृण मिहिर-

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग २, पृ० ८०-८१।

। रत्नावली, अंक २।

कुल हारकर पकड़ा गया था, उस समय बालादित्य की राजमाता उससे मिलने गई थी\* । हर्ष की माता राजदरवारियों से मिलती थी । बाण ने कादंबरी में विलासवती का भिन्न भिन्न शकुन जाननेवाले ज्योतिषियों, मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मणों से मिलने और महाकाल के मंदिर में जाकर महाभारत की कथा सुनने का वर्णन किया है । राज्यश्री हुएन्त्संग से स्वयं मिली थी । तत्कालीन नाटकों में भी पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है । यात्री अजुजैद ने भी राज दरवारों में देशियों और विदेशियों के सामने स्त्रियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया है । मेलों और उपवनों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के जाने का उल्लेख कामसूत्र आदि में मिलता है । स्त्रियाँ राजा के संवक का कार्य भी करती थीं और दरबार, हवाखारी, लड़ाई आदि में उनके साथ रहती थीं । वे शस्त्र धारण कर घोड़ों पर सवार होती थीं । कहीं कहीं युद्ध के समय गानियों और अन्य स्त्रियों के पकड़े जाने का भी उल्लेख मिलता है । दक्षिण के पश्चिमी सोलंकी विक्रमादित्य की बहिन अक्कादेवी वीर प्रकृति की और राजकार्य में निपुण थी और चार प्रदेशों पर शासन भी करती थी । एक शिलालेख से पाया जाता है कि उसने गोकामे ( गोकक, बेलगाँव जिले में ) के किले पर भी घेरा डाला था । इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पर्दे की प्रथा विद्यमान नहीं थी । इतना निश्चित है कि राजाओं के अंतःपुर में सर्व साधारण का प्रवेश नहीं होता था । मुसलमानों के आने के बाद से पर्दे का प्रचार हुआ । उत्तरीय भारत में मुसलमानों का जोर अधिक होने से वहाँ शनैः शनैः पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े घरों में चली, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ

\* वाटर्स आन युवनचर्वांग, जिल्द १, पृ० २८८—८९ ।

पर्दा या घूँघट नहीं चला। आज भी राजपूताने से दक्षिण के सारे भारतवर्ष में पर्दे की प्रथा नहीं है और कहीं है भी तो नाम मात्र को।

मनुस्मृति में, जो हमारे समय से पूर्व बन चुकी थी, आठ प्रकार के—ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच—विवाहों का उल्लेख है। बहुत संभव विवाह है, उस समय विवाह के ये प्रकार थोड़े बहुत प्रचलित हो, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। याज्ञवल्क्य ने इन आठों का उल्लेख कर पहले चार को ही करने योग्य बताया है। विष्णु और शंख स्मृतियों में भी पहले चार को ही ग्राह्य बताया है। हारीत स्मृति में तो केवल ब्राह्म विवाह को ही उचित कहा गया है।

कुलीन घरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी। राजा, सरदार आदि धनाढ्य लोग प्रायः कई विवाह करने थे। एक शिलालेख में कलचुरी राजा गांगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी स्त्रियों के सती होने का उल्लेख है। उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा आरंभ नहीं हुई थी। कालिदास ने शकुंतला के माथ दुष्यंत के मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शकुंतला बड़ी हो गई थी। गृह्यसूत्रों में विवाह के कुछ समय बाद गर्भाधान करने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय तक बड़ी हो जाती थी। मनुस्मृति में कन्या की आयु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की भी विवाह के समय १४ वर्ष की अवस्था थी। कादंबरी में वर्णित महारवेता या कादंबरी की आयु भी विवाह योग्य हो गई थी। हाँ, हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम समय में बाल-विवाह की प्रथा आरंभ अवश्य हो गई थी। मुसलमानों के आने के बाद इस प्रथा का अधिक प्रचार हुआ। विधवा-विवाह की प्रथा यद्यपि पहले की तरह उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम अभाव न था।

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी विधवा-विवाह का वर्णन है। विष्णु ने तो यहाँ तक लिखा है कि असंभुक्त विधवा के दूमरी बार विवाह से उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है कि यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो, या साधु बन गया हो, लापता हो गया हो या नपुंसक या पतित हो गया हो तो वह पुनर्विवाह कर सकती है\*। प्रसिद्ध जैनमंत्रां वस्तुपाल तेजपाल का विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है। इस प्रथा का प्रचलन शनैः शनैः कम होता गया और अंत में द्विजों में यह प्रथा बिलकुल नष्ट हो गई। अलबेरुनी लिखता है कि एक स्त्री दूमरी बार विवाह नहीं कर सकती। विधवाओं के वस्त्र वेशभूषा आदि भी सब दूमरी तरह के थे, जैसा कि राज्यश्री के विधवा होने पर वाण के 'बध्नातु वैधव्यवेषा' लिखने से पाया जाता है। आज भी प्रायः उच्च कुलों में विधवा-विवाह नहीं होता, परंतु बहुत सी जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित है।

सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व से चला आता था। यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती गई। हर्ष की माता के स्वयं अग्नि में जल सती प्रथा मरने का वृत्तांत हर्षचरित में मिलता है। राज्यश्री भी अग्नि में कूदने को तैयार हो गई थी, परंतु उसे हर्ष ने रोक लिया। हर्ष रचित प्रियदर्शिका में विध्यकेतु की स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है। इससे पूर्व छठी सदी के एक शिलालेख से भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उदाहरण मिलता है। अलबेरुनी लिखता है—“विधवाएँ या तो तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती हैं या अग्नि में जल जाती हैं। राजाओं

\* नष्टे मृते प्रप्रजिते बलीबे च पतिते पते ।

पञ्चम्बापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥

की स्त्रियाँ, यदि वे वृद्ध न हो, सती हो जाती हैं\* ।” सब विधवाओं के लिये सती होना आवश्यक नहीं था। जिस किसी की इच्छा होती, वही सती हुआ करती थी।

यं प्रथाएँ होते हुए भी साधारणतः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत उच्च थी। उनका पूर्ण आदर होता था उनकी जो दिन-चर्या वेदव्यास स्मृति में दी गई है, वह पढ़ने लायक है। उसका सारांश नीचे दिया जाता है—पत्नी पति से पूर्व उठकर घर साफ करे, स्नान करे और भोजन बनावे। पति को भोजन कराकर वैश्वदेव यज्ञ करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेष दिन आय व्यय की चिंता करे। सायंकाल को फिर घर में झाड़ू चौका देकर भोजन बनावे और पति को खिलाए। घरों में स्त्रियों का पूरा सम्मान था। मनुस्मृति में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वही देवता रहते हैं। उसी में लिखा है—आचार्य उपाध्याय से, और पिता आचार्य से दस गुना सम्मान्य है, परंतु माता, पिता से हजार गुनी सम्माननीय है। उनकी कानूनी स्थिति भी कम नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिये राज-नियम बने हुए थे। उन्हें भी जायदाद मिल सकती थी। इस विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा जायगा।

---

\* अलबेरूनीज इंडिया; जिल्द १, पृ० १२५ ।





द्वितीय व्याख्यान  
साहित्य



## द्वितीय व्याख्यान

### साहित्य

प्राचीन भारत का वाङ्मय बहुत विस्तृत, गंभीर तथा उन्नत था। सभी विषयों की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, कलाकौशल आदि सभी विषय उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे। हम यहाँ क्रमशः इन विषयों की उन्नति का कुछ परिचय देने का यत्न करेंगे। यहाँ एक बात कह देना आवश्यक है कि प्राचीन काल में साहित्य से केवल ललित साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, अलंकार आदि विषय ही अभिप्रेत थे, परन्तु आजकल साहित्य शब्द बहुत व्यापक होकर वाङ्मय के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, जिससे विद्या संबंधी समस्त विषय उसके अंतर्गत हो जाते हैं।

हमारे निर्दिष्ट समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

१—संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक संपन्न है। उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थी। राज्यकार्य इसी में होता था। शिलालेख, ताम्रपत्र आदि भी प्रायः इसी में लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त संस्कृत संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इस कारण भी संस्कृत का प्रचार प्रायः संपूर्ण भारत में था।

२—प्राकृत भाषा का सर्व साधारण में प्रचार था । यही बोल-चाल की भाषा थी । इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था ।

३—दक्षिण भारत की तर्फ यद्यपि पंडितों में संस्कृत का प्रचार था, तथापि वहाँ की बोलचाल की भाषा द्राविड़ी थी, जिसमें तमिल, तेलगू, मलयालम, कनाड़ी आदि भाषाओं का समावेश होता है । इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत हुआ । अब हम क्रमशः इन तीनों भाषाओं के साहित्य पर विचार करते हैं ।

### ललित साहित्य

साहित्य की दृष्टि से हमारा निर्दिष्ट समय बहुत उन्नत है । हमारे समय से बहुत पूर्व संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था पर इसकी वृद्धि हमारे समय में भी जारी रही । हम इस समय अन्य भाषाओं के विकास की प्रगति के विकास की तरह संस्कृत में भाषा-नियम संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवर्तन नहीं पाते । इसका एक कारण है । इस समय से बहुत पूर्व—६०० ई० पूर्व के आसपास—आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण के जटिल नियमों द्वारा संस्कृत को जकड़ दिया । पाणिनि के इन नियमों को तोड़ने का माहस संस्कृत के किसी कवि ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज पाणिनि को एक महर्षि समझते थे और उममें उनकी अगाध भक्ति थी । उसके नियमों को तोड़ना वे पाप समझते थे । यह प्रवृत्ति हम लोगों में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, तभी तो महाभाष्यकार ने पाणिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने को पाणिनि के रहस्यों को समझ सकने में असमर्थ कहकर उसका आदर किया है । इस समय संस्कृत में ललित्य लाने की बहुत कोशिश की गई । इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा । संस्कृत की

भिन्न भिन्न लेखन-शैलियों आविष्कृत हुईं । यह विक्रम ६०० ई० से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हो चुका था । कविकुल-चूड़ामणि कालिदास, भास, अश्वघोष आदि भी अपने काव्यों द्वारा तत्कालीन साहित्य को सुस्पष्ट कर चुके थे । महाभारत और रामायण भी उनसे पूर्व बन चुके थे, परंतु यह विकास यही तक नहीं रुक गया था । यह उन्नति बहुत समय तक जारी रही और हम देखते हैं कि ६०० ई० के बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी तरह चलता रहा । हमारे निर्दिष्ट काल में सैकड़ों काव्य ( गद्य और पद्य ), नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं आख्यायिकाएँ लिखी गईं ।

भारतीय साहित्य के जितने ग्रंथ आज विद्यमान हैं, केवल उन्हें देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उन्नति का ठीक ठीक अनुमान नहीं कर सकते । उस समय के लिखे हुए सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ-रत्न नष्ट हो चुके हैं और बहुत से ऐसे गुप्त स्थानों में पड़े होंगे, जिनका अभी तक किसी का पता भी नहीं । आज जो ग्रंथ दैव की कृपा से बच गए हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । फिर भी हमारे पास तत्कालीन संस्कृत साहित्य की स्थिति का जानने के लिये जो ग्रंथ बचे हैं, वे पर्याप्त हैं ।

इस समय उपलब्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पता लगता है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महाभारत की घटनाओं से भरा हुआ है । यदि हम रामायण और महाभारत की कथाओं से संबद्ध सब पुस्तकों को अलग कर दें, तो अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत थोड़ी रह जायगी । यहाँ हम संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट काव्यों का परिचय देते हैं ।

किरातार्जुनीय—इसका कर्ता भारवि सातवीं सदी में हुआ था । इसका संबंध महाभारत की घटनाओं से है । यह काव्य केवल

साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, नीतिशास्त्र की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। अर्थ-गौरव इसका विशेष गुण है। इसके अंतिम भाग में कवि ने शब्द-वैचित्र्य के बहुत अद्भुत और उत्तम उदाहरण दिए हैं। एक श्लोक में तो 'न' के सिवा और कोई अक्षर ही नहीं, सिर्फ अंत में एक 'त' है\*।

अमरुशतक भी एक उच्चकोटि का काव्य है। इसमें विषय में प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर मंकडानल ने लिखा है कि इस पुस्तक का लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता और दुःख, क्रोध तथा भक्ति के भावों को दिखाने में सिद्धहस्त है।

भट्टिकाव्य—इसे भट्टिनं, जो बलभी के राजा धरसेन का आश्रित था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ राम की कथा का वर्णन किया है।

शिशुपाल वध—इसने कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। इसका कर्ता माघ कवि सातवीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस काव्य में रचना-सौंदर्य के साथ उपमा, अर्थ-गौरव एवं पदलालित्य का अच्छा चमत्कार है। इसकी कविता के विषय में प्रसिद्ध हैं—

उपमा कालिदासभ्य भारवेरर्थगौरवम् ।

दण्डिनः पदलालित्यं माघं संति त्रया गुणाः ॥

नलोदय—इसमें नलदमयंती की कथा है। इसकी वर्णनशैली और छंदों की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार इसकी एक विशेषता है। वे केवल अंत में नहीं मध्य में भी आए हैं। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में एक नई चीज है।

\* न नोननुन्नो नुन्नाना नाना नानानना ननु ।

नुन्नेनाऽनुन्नेना ननुन्नेने नानेनानुन्ननुन्ननुत् ॥

राघवपांडवीय—इसका कर्ता कविराज ( ८०० ईस्वी के करीब ) हुआ । इस ग्रंथ में रामायण और महाभारत की घटनाओं का साथ साथ वर्णन किया गया है । प्रत्येक श्लोक के दो अर्थ होते हैं । एक रामायण की कथा बतलाता है, तो दूसरा महाभारत की । इस शैली को और भी काव्य मिलते हैं ।

पार्श्वभ्युदय काव्य—यह ग्रंथ जैन आचार्य जिनसेन ने दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ध ( नवी सदी ) के समय में लिखा । इसकी विशेषता यह है कि पार्श्वनाथ के चरित के साथ कहीं अंतिम पंक्ति, कहीं पहली और चौथी, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहीं दूसरी और तीसरी पंक्ति मंघदूत से ली गई है । इस प्रकार अपने बृहत् काव्य में उसने संपूर्ण मंघदूत का समावेश कर लिया है; और अपनी कथा में कोई अंतर पड़ने नहीं दिया । इस पुस्तक से समस्त मंघदूत को तत्कालीन पाठ का निर्णय हो सकता है ।

वैसे तो संस्कृत का प्रायः संपूर्ण पद्य साहित्य गाया जा सकने के कारण गेय काव्य ( Lyric poetry ) कहा जा सकता है, परंतु जयदेव का बारहवीं शताब्दी में बनाया हुआ 'गीतगोविंद' गेय कविता का उत्कृष्ट ग्रंथ है । कवि ने इसमें कठिन छंदों में अत्यंत उत्तम शब्द-विन्यास की पूर्णता दिखाई है । अपनी अनुपम चतुरता से अनुप्रास और तुकों से उसने कविता को बहुत ही अधिक मधुर और भावोत्तेजक बना दिया है, जो भिन्न भिन्न रागों में गाई जा सकती है । इस काव्य की बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और कइयों ने तो इसमें गेय कविता की परा-काष्ठा मान ली है ।

इनके अतिरिक्त बहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय में लिखे गए, जिनमें से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं । प्रसिद्ध कवि चैमेद्र ने 'रामायण-मंजरी,' 'भारत-मंजरी,' 'दशावतार-



चरित,' 'समय-मातृका,' 'जातकमाला,' 'कविकंठाभरण,' 'चतुर्वर्ग-संग्रह' आदि छांटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे । कुमारदास का 'जानकी-हरण,' हरदत्त-विरचित 'राघवनैषधीय,' मंखकवि-लिखित 'श्रीकंठ-चरित,' हर्ष-कृत 'नैषधचरित,' वस्तुपाल विनिर्मित 'नरनारायणानंद काव्य,' राजानक जयरथ-प्रणीत 'हरचरित-चितामणि,' राजानक रत्नाकर का 'हरविजय महाकाव्य,' दामोदर-विरचित 'कुट्टिनीमत,' वाग्भट-कृत 'नेमि-निर्वाण,' धनंजय श्रेष्ठ का 'द्विसंधान महाकाव्य,' संध्याकरनंदी का 'रामचरित,' विल्हण-प्रणीत 'विक्रमांकदेवचरित,' पद्मगुप्त-प्रणीत 'नवसाहस्रिक चरित,' हेमचंद्र का 'द्वयाश्रय महा-काव्य,' जयातक-रचित 'पृथ्वीराजविजय,' सोमदंभ-कृत 'कीर्ति-कौमुदी' और कल्हण-विनिर्मित 'राजतरंगिणी' आदि मैकड़ों काव्य हैं । इनमें से अंतिम सात ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ।

हमारे समय में सुभाषितों—भिन्न भिन्न विषयों के उत्तम श्लोकों—के कई संग्रह भी हो चुके थे । अमितगति ( १८३ ई० ) के 'सुभाषित-रत्नसंदोह' और बल्लभदेव ( ११वीं शताब्दी\* ) सुभाषित संग्रह का 'सुभाषितावलि' के अतिरिक्त एक बौद्ध विद्वान् का सुभाषितसंग्रह भी मिला है, जो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० टामस ने 'कवीद्रवचनममुच्चय' नाम से प्रकाशित किया है । इस ग्रंथ की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है । इस ग्रंथ का तथा ग्रंथ के लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है ।

साहित्य में कथाओं और आख्यायिकाओं का भी एक विशेष स्थान है । हम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल में इस ओर भी

कई विद्वान् इस ग्रंथ को १४ वीं शताब्दी का बना हुआ जानते हैं, परंतु यह ठीक नहीं । सर्वानंद ने, जो १०८५ शक सत्र ( ११२६ ई० ) में हुआ था, अमरकोश की 'टीकासर्वस्व' नाम की टीका में सुभाषितावलि के अंश उद्धृत किए हैं ।

संस्कृत के विद्वान् कवियों ने उपेक्षा नहीं की। छोट्टी छोट्टी कथाओं की पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। वैद्यों और जैनों के धर्मग्रंथों के निर्माण-काल तक इस पद्धति का पूर्ण विकाम हो चुका था। ६०० ई० से पूर्व बहुत सी कथाएँ बन चुकी थीं, जिनका महाभारत और पुराणों आदि में समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भी बन चुका था। इसके बनने का निश्चित समय हम नहीं बतला सकते, हाँ ५७० ईस्वी में इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके अरबी और सीरियन भाषा में भी अनुवाद हो गए। इसके सिवा हमारे समय के बहुत पूर्व गुणाढ्य नामक विद्वान् द्वारा पैशाची में लिखी गई 'बृहत्कथा' भी विद्यमान थी, गंगा दंडी, सुबंधु और वाण के निर्देशों से पाया जाता है। क्षेमेद्र ने 'बृहत्कथामंजरी' के नाम से १०३७ ईस्वी के आसपास इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। पंडित सोमदेव ने भी 'कथासरित्सागर' के नाम से इसका अनुवाद ( १०६३—१०८१ के बीच में ) किया था। 'बृहत्कथा' का तीसरा रूप भी 'बृहत्कथा-श्लोक-संग्रह' के नाम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 'वैताल-पंचविंशति' और 'मिहागन-द्वात्रिंशतिका', 'शुक-सप्तति' आदि कथाओं के कई छोटे छोटे संग्रह मिलते हैं, जो हमारे समय में भी प्रसिद्ध थे। इन अनुवादों से भारतीय कथाओं का यूरोप में भी प्रवेश हो गया और वहाँ भी ये कथाएँ प्रचलित हो गईं। यही कारण है कि हम बहुत सी अरबी कथाओं में भारतीय कथाओं से काफी समानता पाते हैं।

छोट्टी छोट्टी कथाओं के इन संग्रहों के अतिरिक्त कई एक गद्य उपन्यास या आख्यायिकाएँ भी लिखी गईं। यद्यपि ये ग्रंथ गद्य में हैं तथापि इनकी वर्णन-शैली प्रायः पद्य कान्यों की ही है। अलंकार,

शब्दवैचित्र्य तथा अनुप्रासादि की इसमें भी बहुलता है। ममास और श्लेषादि अलंकार बहुत हाने के कारण इनकी भाषा कहीं कहीं छिष्ट हो गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, रहन सहन आदि पर बहुत प्रकाश पड़ता है। दंडी कवि के बनाए हुए 'दशकुमारचरित' से हमें तत्कालीन रीति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा आदि विशिष्ट पुरुषों के व्यवहार संबंधी बहुत सी ज्ञातव्य बातें मालूम होती हैं। सुबंधु-रचित 'वामवदत्ता' भी संस्कृत साहित्य में एक अनाखा ग्रंथ है, परन्तु बहुधा प्रत्येक शब्द पर श्लेषों की भरमार होने के कारण वह विशेष छिष्ट हो गया है। कहीं कहीं तो एक ही वाक्य या वाक्यखंड के ६-७ या उनसे भी अधिक अर्थ होते हैं। कवि ने अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये भले ही उसकी ऐसी रचना की हो, परन्तु साधारण पाठकों के लिये तो वह बहुत नीरम ग्रंथ है और टीका के बिना तो उन्हें जगह जगह पर रुकना पड़ता है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध कवि वाण के 'हर्षचरित' और 'कादंबरी' को देखते हैं। 'हर्षचरित' एक ऐतिहासिक ( हर्षचरित संबंधी ) गद्य काव्य है। इससे हर्षकालीन इतिहास जानने में बहुत सहायता मिली है। इसकी भाषा छिष्ट और समामवहुल है। इसका शब्दभांडार बहुत ही अधिक है। काव्य और भाषा की दृष्टि से 'कादंबरी' सर्वोत्कृष्ट है। इसकी भाषा छिष्ट नहीं और इसमें लालित्य पहले ग्रंथ से अधिक है। इसे पूर्ण करने से पहले ही वाण का देहांत हो गया। उसका उत्तरार्ध वाण के पुत्र पुलिन भट्ट ( पुलिद ) ने लिखकर पूरा किया। वाण और उसके पुत्र ने संस्कृत गद्य लिखने में जो भाषा का सौष्ठव प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के ग्रंथ में नहीं पाया जाता। इसी से पंडितों में यह कहावत प्रसिद्ध है—“वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्।” सोदृढल की 'उदयसुंदरी कथा' और धनपाल की 'तिलकमंजरी' भी उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं।

संस्कृत साहित्य में चंपू ग्रंथों (गद्य-पद्यात्मक काव्यों) का भी विशेष स्थान है। सबसे प्रसिद्ध चंपू 'नल चंपू' है जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने ६१५ ई० के आस पास बनाया था। सोम-चंपू देव का 'यशस्तिलक' भी उत्कृष्ट चंपू है। राजा भोज ने 'चंपूरामायण' की रचना की पर उसके केवल पाँच कांड ही लिखे जा सके।

नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से था और पाणिनि से, जो ई० मन् पूर्व की छठी शताब्दी में हुआ, पूर्व ही उनके नियम-ग्रंथ भी बन चुके थे। पाणिनि ने नाटक शिलाली और वृशाश्व के नट-सूत्रों का नाम भी दिया है। पीछे से भर्तृ ने 'नाट्यशास्त्र' भी लिखा। हमारे काल में पूर्व भाम, कालिदास अथर्वोपादि प्रसिद्ध नाटकलेखक हो गए थे। हमारे समय में भी बहुत से नाटक बने।

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ 'मृच्छकटिक' भी बहुत उच्च कोटि का नाटक है। इसमें जीवन-शक्ति और कर्मण्यता के भाव बहुत अच्छी तरह दिखाए गए हैं। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्द्धन ने 'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका' नाम के नाटक लिखे। इनमें पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वर्णु का विन्यास बहुत उत्तमता से किया गया है। उसका तीसरा नाटक 'नागानंद' है, जिसकी प्रोफेसर मैकडानल आदि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। नाटक लिखने में महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा करनेवाला भवभूति भी इसी निर्दिष्ट काल ( आठवीं शताब्दी ) में हुआ। भवभूति वरार का रहनेवाला एक ब्राह्मण था। उसके तीन नाटक—'मालतीमाधव', 'महावीर-चरित' और 'उत्तररामचरित'—मिलते हैं। इन तीनों नाटकों में अपनी अपनी विशेषता है। मालतीमाधव में 'शृंगार रस', महावीर-चरित में 'वीर रस' और उत्तररामचरित में 'करुण रस' का उत्कर्ष

है, परंतु करुण रस के प्रदर्शन में भवभूति सबसे बढ़ गया है। उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रशंसनीय है। बड़े बड़े वाक्य होने के कारण उसके नाटक रंगभूमि के लिये वैसे अच्छे नहीं हैं, जैसे कि भास और कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर भी भट्टनारायण का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सका। उसका 'वेणी-संहार' एक उत्तम नाटक है। इसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है। वीर रम इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 'मुद्राराक्षस' का कर्ता विशाखदत्त भी ८०० से पीछे नहीं हुआ। यह नाटक अपने ढंग का एक ही है। यह बिलकुल राजनीतिक है। राजशंखर ने भी, जो कन्नौज के राजा महेंद्रपाल और महिपाल के पास रहता था, कई नाटक लिखे। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रकांड पंडित था। उसने अपने नाटकों में कई नए लंदों की रचना की है। कहावतों का भी उसने बहुत जगह प्रयोग किया है। उसके बालरामायण और बालभारत नाटकों का विषय तो नाम से ही स्पष्ट है। उसका तीमरा ग्रंथ 'विद्वशाल-भंजिका' एक उत्तम हास्य-रसपूर्ण नाटिका है। कवि दामोदर ने, जो ८५० ई० से पूर्व हुआ था, 'हनुमन्नाटक' या 'महानाटक' लिखा, जिस नाटक कहने की अपेक्षा काव्य कहना अनुचित न होगा। इसमें प्राकृत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कृष्णमिश्र कवि ( ११०० ई० ) ने 'प्रबोधचंद्रोदय' नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा। यह अलंकारात्मक तथा भावात्मक नाटक है। नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम है। इसमें शांति, क्षमा, काम, लोभ, क्रोध, दम, अहंकार, मिथ्यादृष्टि आदि पात्र रक्खे गए हैं। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी है।

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से मुरारि-कृत 'अनर्घराघव',

विल्हण-रचित 'कर्णसुंदरी' ( नाटिका ), चंदेल राजा परमर्दिदेव के मंत्रो वत्सराजकृत छः रूपक—'किरातार्जुनीय' ( व्यायोग ), 'कर्पूर-चरित' ( भाण ), 'रुक्मिणीपरिणय' ( ईहामृग ), 'त्रिपुरदाह' ( डिम ), 'हास्यचूडामणि' ( प्रहसन ) और 'समुद्रमथन' ( समवकार ); चौहान राजा विग्रहराज का लिखा हुआ 'हरकेलि नाटक', सोमेश्वर-विरचित 'ललितविग्रहराज नाटक', परमार राजा धारावर्ष के भाई प्रल्हादन देव का 'पार्थपराक्रम' ( व्यायोग ) आदि द्रष्टव्य हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिख गए, जिनके नाम हम विस्तार-भय से नहीं देते।

साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की उन्नति हमारे समय तक हां चुकी थी। ध्वनि, अलंकार, रस आदि साहित्य के उपयोगी और आवश्यक अंगों पर भी हमारे समय में कई ग्रंथ लिखे गए थे। श्रीमम्मटाचार्य ने 'काव्यप्रकाश' लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न कर सका, इसलिये उसका शेष भाग अलम्ब ( अल्लट ) सूरि ने लिखा। इसके सिवा भी कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से गोवर्धनाचार्य का 'ध्वन्यालोक', भामह का 'अलंकार शास्त्र', 'राजशेखर-कृत 'काव्य-मीमांसा', हेमचंद्र-रचित 'काव्यानुशासन', वाग्भट-लिखित 'काव्यानुशासन' और 'वाग्भटालंकार', उद्भट-निर्मित 'काव्यालंकार-संग्रह', रुद्रट का 'काव्यालंकार-संग्रह' और भोज-रचित 'सरस्वती-कंठाभरण' मुख्य हैं। छंदशास्त्र तो वेद का अंग समझा जाता है। इस पर भी अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पिगलाचार्य का 'पिगल-छंद-सूत्र' सबसे अधिक प्राचीन है। हमारे समय में भी इस प्रशस्ति से संबंध रखनेवाले कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से दामोदर मिश्र का 'वाग्मीभूषण', हेमचंद्र-कृत 'छंदोऽनुशासन', और चामेद्र कृत 'सुवृत्त-तिलक' उल्लेख्य हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपन्यासादि इस ग्रंथकारमय दीर्घकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के राजत्वकाल में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमने कुछ का परिचय मात्र दिया है। संभव है, खोज से कई उत्तम और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथों का और भी पता लगे।

६०० से १२०० ई० तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर डालने से पता लगता है कि वह समय संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था। तत्कालीन काव्य काव्य, अलंकार, छंदःशास्त्र, नाटक आदि साहित्य का सिंहावलोकन सभी अंग उन्नति करते हुए नजर आते हैं। इन साहित्य-ग्रंथों में केवल प्रेम की कथाएँ ही नहीं, किंतु वीर, करुण आदि अन्य रसों का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति और शिक्षा की दृष्टि से भी ये ग्रंथ कम महत्त्व के नहीं हैं। भारवि का 'किरातार्जुनीय' राजनीति शास्त्र की दृष्टि से अपूर्व ग्रंथ है। वाण के 'कादंबरी' और 'हर्षचरित' में दिए गए उपदेश अपना मानी नहीं रखते। काव्य-चमत्कार तो हम प्रायः प्रत्येक काव्य में थोड़ा बहुत अवश्य पाते हैं।

कविता भारतीय आर्यों की अत्यंत प्रिय वस्तु थी। केवल काव्य से संबंध रखनेवाले ग्रंथ ही कविता में नहीं लिखे गए, परंतु वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, अंकगणित, बीजगणित ( इनके प्रश्न और उदाहरण तक ) आदि अनेक विषयों के ग्रंथ भी छंदों में ही लिखे गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गुप्तवंशी राजाओं के सिक्कों पर भी कविता-बद्ध लेख अंकित हैं। इतने प्राचीन काल में संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर कविताबद्ध लेख नहीं लिखे जाते थे।

## व्याकरण

प्राचीन काल में व्याकरण को बहुत महत्व दिया जाता था। वेद के छः अंगों में व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समझा जाता था। ६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत हो चुका था। पाणिनि के व्याकरण पर कात्यायन और पतंजलि अपने वार्त्तिक और महाभाष्य लिख चुके थे। शर्ववर्मा का 'कातंत्र व्याकरण' भी, जो प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिये लिखा गया था, बन चुका था। इस पर मात टीकाएँ मिल चुकी हैं। हम देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा। पंडित होने के लिये व्याकरण का प्रकांड विद्वान् होना आवश्यक समझा जाता था। हमारे इम निर्दिष्ट काल में भी व्याकरण विषयक कई उत्तमोत्तम ग्रंथ लिखे गए। सबसे प्रथम पंडित जयादित्य और वामन ने ६६२ ई० के आसपास 'काशिकावृत्ति' नाम से पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी ग्रंथ है। भर्तृहरि ने भाषाशास्त्र की दृष्टि से व्याकरण पर 'वाक्यप्रदीप' नाम का बृहद् ग्रंथ तथा 'महाभाष्य-दीपिका' और 'महाभाष्य-त्रिपदी' व्याख्यान लिखे। उस समय तक उणादि सूत्र भी बन चुके थे, जिनकी टीका १२५० ई० में उज्ज्वलदत्त ने की। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखे गए ग्रंथों के अतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकरण बने। चंद्रगोमिन ने ६०० ई० के करीब 'चांद्रव्याकरण' लिखा। उसने इममें पाणिनि के सूत्रों और महाभाष्य का भी कुछ उपयोग किया है। इसी तरह जैन शाकटायन ने नवीं शताब्दी में एक व्याकरण लिखा। प्रसिद्ध जैन-आचार्य हेमचंद्र ने अपनी तथा अपने समय के राजा सिद्धराज की स्मृति स्थिर रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भी अधिक विस्तृत 'सिद्ध-हेम' नामक व्याकरण लिखा। जैन होने के कारण उसने वैदिक-भाषा संबंधी नियमों का वर्णन नहीं किया। इनके सिवा व्याकरण



से संबंध रखनेवाले कुछ और भी छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—वर्धमान-प्रणीत 'गणरत्न-महोदधि', भास्वर्ज-कृत 'गणकारिका', वामन-विरचित 'लिगानुशासन', हेमचंद्र-लिखित 'उणादि-सूत्रवृत्ति', 'धातुपाठ', 'धातुपारायण', 'धातुमाला', 'शब्दानुशासन' आदि ।

### कोष

हम ऊपर लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के विकाम की दिशा भाषा-परिवर्तन की ओर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भांडार बढ़ाने, भाषा में लालित्य तथा अलंकार लाने की तरफ थी। इस काल में संस्कृत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया। उसमें बढ़ने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि संस्कृत के कोष भी बने। कुछ कोष ऐसे हैं, जिनमें एक नाम के तमाम पर्यायवाची शब्द इकट्ठे दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के सब अर्थ इकट्ठे दिए हैं। कई कोषों में शब्दों के लिंग भी बताए गए हैं। अमर-मिह का बनाया हुआ लंदोबद्ध 'अमरकोष' बहुत प्रसिद्ध है, जो हमारे समय के प्रारंभ के आसपास का बना हुआ है। यह कोष इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर करीब ५० टीकाएँ लिखी गईं। उनमें से अब कुछ का ही पता लगता है, जिनमें से भट्ट चौरस्वामी की, जो संभवतः १०५० ई० के करीब हुआ, टीका विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने 'त्रिकांडशंष' के नाम से अमर-कोष का एक परिशिष्ट लिखा। यह बहुत ही उपयोगी कोष है, क्योंकि इसमें बौद्ध संस्कृत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं के भी शब्द हैं। इसके लेखक ने 'हारावली' नामक भी एक कोष लिखा, जिसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का समावेश किया गया जिनका

उससे पहले के ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता । इसका भी समय ७०० से पीछे नहीं माना जा सकता । शाश्वत का लिखा 'अनेकार्थ-ममुच्चय' भी बहुत उपयोगी कोष है । हलायुध ने ६५० ई० के करीब 'अभिधान-रत्नमाला' लिखी । इसमें कुल ६०० श्लोक हैं । दक्षिणी विद्वान यादवभट्ट का 'वैजयंती कोष' भी बहुत अच्छा है । इसमें शब्द, अक्षरों की संख्या और लिग के साथ साथ अकारादि क्रम के अनुसार लिखे गए हैं । इनके अतिरिक्त धनंजय-कृत 'नाम-माला', महेश्वर-विनिर्मित 'विश्वप्रकाश' और मंगकवि-रचित 'अनेकार्थ कोष' आदि कोष लिखे गए । हेमचंद्र का 'अभिधान-चिन्तामणि कोष' भी बड़े महत्त्व का है, जो उर्मी के कथनानुसार उसके व्याकरण का परिशिष्ट है । फिर उसने इस कोष के परिशिष्ट के रूप में वनस्पति शास्त्र संबंधी शब्दों का ३६६ श्लोकों में 'निवृत्त कोष' लिखा । उसने अनेकार्थ संग्रह भी लिखा । १२०० के करीब केशवस्वामी ने 'नानार्थ-संकल्प' नामक एक कोष लिखा ।

## दर्शन

हमारा निर्दिष्ट काल दार्शनिक दृष्टि से उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था । इस समय से पूर्व भारत में दर्शन के छः प्रसिद्ध संप्रदायों—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ( वेदान्त )—का पूर्ण विकास हो चुका था । पाणिनि ने न्याय से नैयायिक शब्द बनने का निर्देश किया है । सभी संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे । इनके अतिरिक्त बौद्ध और जैन दर्शन भी बहुत बड़े चढ़े थे । राष्ट्र की समृद्धि, राज्य में सुख और शांति तथा जनता को पेट भरने की चिन्ता न रहने आदि का यह तो स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नति हो ।

६०० ई० से पूर्व तक छहो संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र ग्रंथों का निर्माण हो चुका था और उन पर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे ।

न्यायदर्शन वह शास्त्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिये विचारों की उचित योजना का निरूपण रहता है । न्यायदर्शन

के अनुसार सोलह पदार्थों—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान—के सम्यक् ज्ञान के द्वारा अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति होती है । प्रमाण चार है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त (साक्षात्कृत-धर्मा) का शब्द ही प्रमाण है । अदृष्टार्थ में केवल वेद ही प्रमाण है । वेद ईश्वरकृत है, इसमें उनके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय हैं । प्रमेय ( जानने योग्य पदार्थ ) वारह है—

( १ ) आत्मा—सब वस्तुओं का देखनेवाला, भोग करनेवाला, जाननेवाला और अनुभव करनेवाला ।

( २ ) शरीर—भोगों का आयतन ।

( ३ ) इंद्रियों—भोगों के साधन ।

( ४ ) अर्थ—भोग्य पदार्थ ।

( ५ ) बुद्धि ।

( ६ ) मन ।

( ७ ) प्रवृत्ति—मन, वचन और शरीर का व्यापार ।

( ८ ) दाप—जिसके कारण सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है ।

( ९ ) पुनर्जन्म ।

( १० ) फल—सुख या दुःख का अनुभव ।

( ११ ) दुःख ।

( १२ ) अपवर्ग या मोक्ष ।

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान आत्मा के लिंग ( अनुमान के माधन-चिह्न या हेतु ) हैं । आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है । संसार का बनानेवाला आत्मा ही ईश्वर ( परम आत्मा ) है । ईश्वर में भी आत्मा के समान संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से । पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है । पचभूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं के योग से सृष्टि ।

ऊपर लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय में ज्ञात होता है कि हमारा न्यायशास्त्र केवल तर्कशास्त्र नहीं है, किंतु प्रसंगों का विचार करनेवाला दर्शनशास्त्र है । पाश्चात्य तर्कशास्त्र ( Logic ) से इसका यही भेद है ।

आचार्य गौतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन के न्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रारंभ में लिखी । यह टीका नैयायिक संप्रदाय में बहुत अधिक प्रामाणिक मानी जाती है । वासवदत्ताकार मुवंधु ने मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति और उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उल्लंघन किया है । संभवतः ये सब सातवीं सदी के प्रारंभ के आस पास हुए होंगे । उद्योतकर की टीका वाचस्पति मिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयनाचार्य ने तात्पर्य-परिशुद्धि नाम से लिखी । ८८४ ई० के आसपास अन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमांजलि' लिखा । इसमें उसने न्याय के दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है । आस्तिकवाद के लिखे हुए संसार के उत्तम ग्रंथों में यह भी एक माना जाता है । उदयन की तर्कशैली और प्रतिपादनविधि अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और आश्चर्यजनक है । इसमें उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के सिद्धांत तथा वेदांतियों, सांख्यों और बौद्धों के सत्कार्यवाद ( कारण से कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, जिसको परिणामवाद भी कहते

हैं, बहुत अच्छी तरह खंडन किया है। उसने बौद्धदर्शन के विरोध में भी एक पुस्तक ( बौद्धधिकार ) लिखी। ये सब ग्रंथ प्राचीन न्याय से संबंध रखते हैं।

६०० ई० के करीब से नैयायिक संप्रदाय से जैन और बौद्ध दार्शनिकों ने भी पर्याप्त उन्नति शुरू कर दी थी। इनकी न्याय-शैली प्राचीन शैली से भिन्न थी। इसका विकास आठवीं सदी के आस-पास हुआ। यह 'मध्यकालीन न्याय' कहा जाता है। बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग ने इसे प्रचलित किया। नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति ने सातवीं सदी में 'न्यायविदु' नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर धर्मोत्तर ने ८०० ई० के आसपास एक टीका लिखी। जैन विद्वान् हंमचंद्र ने सूत्र-शैली पर 'प्रमाणमीमांसा' लिखी। इस मध्यकालीन संप्रदाय की अधिक पुस्तकें नहीं मिलती, परंतु तिब्बत में बौद्धों के न्याय संबंधी कई संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद मिलते हैं, जिनके मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं।

नवीन न्याय संप्रदाय का अभ्युदय १२०० ई० के आसपास शुरू होता है। बंगाल के नवद्वीप में गंगेश ने 'तत्त्वचिंतामणि' लिखकर इस संप्रदाय को प्रचलित किया। नवीन न्याय में भाषा की क्लृप्ता और बाह्य शब्द-ज्ञान की अधिक प्रधानता है। पीछे से नदिया में इस संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, परंतु न उसमें तत्त्व-निर्णय रहा, न तत्त्व-निर्णय का सामर्थ्य, किंतु शब्दाडंबर बहुत बढ़ गया। अब तक बंगाल में यह प्रचलित है।

वैशेषिक उस दर्शन का नाम है, जिसमें पदार्थों का विचार तथा द्रव्यों का निरूपण हो। महर्षि कणाद का 'वैशेषिक दर्शन,' न्याय दर्शन से बहुत कुछ समानता रखता है। वैशेषिक दर्शन सिद्धांत पक्ष में न्याय कहने से दोनों का बोध होता है, क्योंकि गौतम के न्याय में प्रमाण-पक्ष प्रधान है और इसमें

प्रमेय-पक्ष । ईश्वर, जगत्, जीव आदि के संबंध में दोनों के सिद्धांत एक हैं । न्याय में मुख्यतः तर्कपद्धति और प्रमाण-विषय का निरूपण किया गया है, परंतु वैशेषिक में उससे आगे बढ़कर द्रव्यों की परीक्षा की गई है । नौ द्रव्यों—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ( और परमात्मा ) और मन—की विशेषताएँ बताने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा । इनमें से प्रथम चार परमाणु अवस्था में नित्य और स्थूलावस्था में अनित्य हैं । दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक हैं । मन नित्य है, परंतु व्यापक नहीं । वैशेषिक के अनुसार पदार्थ केवल छः—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ही हैं । पीछे से अभाव भी मातृवा पदार्थ माना गया । रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, पृथक्त्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि चौबीस गुण हैं । उत्त्पेण, अवत्तेपण आदि पांच प्रकार की गतियाँ कर्म हैं ।

वैशेषिक का परमाणुवाद प्रसिद्ध है । परमाणु नित्य और अक्षर (अविनाशी) है । इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं और सृष्टि होती है । जब जीवों के कर्मफल के भोग का समय आता है, तब ईश्वर की उम भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है । इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुओं में गति या लोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं ।

इसका जैन दर्शन से भी बहुत कुछ साम्य है । इस पर कोई प्राचीन भाष्य नहीं मिलता । प्रशस्तपाद का 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' बहुत संभवतः ७०० ई० के करीब बना था । यह वैशेषिकसंप्रदाय का प्रामाणिक ग्रंथ है । श्रांघर ने ६६१ ई० में 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' की बहुत उत्तम व्याख्या की । ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, न्याय और वैशेषिक संप्रदाय भी परस्पर अधिक समीप आते गए ।

सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की गई है । सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत् का मूल है और

सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब पदार्थों का विकास हुआ है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्ता, साक्षी और प्रकृति से भिन्न है। आत्मा या सांख्य पुरुष अनुभवात्मक हैं। सांख्य के अनुसार परमात्मा ( ईश्वर ) कोई नहीं है। इस मंत्रदायवाले २५ तत्त्व मानते हैं—पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, ( पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन ), पाँच गुण और पाँच महाभूत। सृष्टि का प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परिणामवाद भी कहते हैं।

सांख्य दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह बहुत पुराना है। बुद्ध के समय इसका बहुत अधिक प्रचार था। सांख्य दर्शन के प्रकृतिवादी होने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा की। वाचस्पति मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' नामक एक प्रामाणिक टोका लिखी। इस संप्रदाय के अधिक ग्रंथ नहीं मिलते, जा मिलते भी हैं वे हमारे निर्दिष्ट काल के नहीं। यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्याग्रहवी मदी में भी बहुत था। अरब के विद्वान् अलबेरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सांख्य के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उस समय तक भी ईश्वरकृष्ण की बनाई हुई 'सांख्यकारिका' का प्रचार बहुत था, जैसा कि अलबेरूनी के इमसे दिए हुए कई उद्धरणों से पता चलता है। उपनिषदों में मिलनेवाला सांख्य संश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वरकृष्ण और उसके वाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर माना है।

योग वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। योग दर्शन में आत्मा और जगत् के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है, परंतु पञ्चोस तत्त्वों की जगह

योग में छब्बीस तत्त्व माने गए हैं। छब्बीसवाँ तत्त्व क्लेश, कर्मविपाक आदि से पृथक्, ईश्वर है। इसमें योग के उद्देश, अंग तथा ईश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। योग संप्रदाय के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पाँच प्रकार के क्लेश मनुष्य को हाते हैं; और कर्मों के फलानुसार उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे लचन और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग है। क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ईश्वर नित्य, मुक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है। संसार दुःखमय और हेय है। योग के आठ अंग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योगसिद्धि के लिये इन आठों अंगों का साधन आवश्यक और अनिवार्य है। सृष्टि तत्त्व आदि के सवध में योग का भी प्रायः वही मत है, जो सांख्य का है। इससे सांख्य को ज्ञानयोग और योग को कर्मयोग कहते हैं।

इस दर्शन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा। बहूनों ने योग की शिक्षा प्राप्त की। योग सूत्रों के 'व्यासभाष्य' की वाचस्पति मिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी। विज्ञानभिक्षु का 'योगसार-संग्रह' भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। राजा भोज ने योग सूत्रों पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी। पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत मेल मिलाकर कायव्यूह का विस्तार किया गया और शरीर के अंदर कई चक्र कल्पित किए गए। हठयोग, राजयोग, लययोग आदि विषयों पर भी पीछे से कुछ ग्रंथ लिखे गए।

कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमांसा का नाम न्याय था।

वैदिक वाक्यों के परस्पर समन्वय और समाधान के लिये जैमिनि ने पूर्व मीमांसा में जिन युक्तियों और तर्कों का व्यवहार किया, वे पहले न्याय के नाम से



प्रसिद्ध थे। आपस्तंब धर्म सूत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही अभिप्रंत है। मध्वाचार्य ने पूर्व मीमांसा विषय का 'सार-संग्रह' ग्रंथ लिखा, जो 'न्यायमालाविस्तार' नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह वाचस्पति ने 'न्यायकणिका' नाम से मीमांसा विषयक ग्रंथ लिखा।

मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादक है और वेद के क्रियात्मक भाग की व्याख्या करता है। इसमें यज्ञकांड संबंधी मंत्रों में विनियोग, विधि आदि का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ, बलिदान और संस्कारों पर विशेष जोर दिया गया है। अतः मीमांसक पौरुषेय और अपौरुषेय सभी वाक्यों को कार्य विषयक मानते हैं। मीमांसा में आत्मा, ब्रह्म, जगत् आदि का विवेचन नहीं है। यह केवल वेद या उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार वेदमंत्र ही देवता है। मीमांसकों का कथन है कि सब कार्य फल के उद्देश्य से ही होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है। अतः कर्म और उसके प्रतिपादक वचनों के आतिरिक्त ऊपर से किसी ईश्वर का मानने की आवश्यकता ही नहीं। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य। सांख्य और पूर्व मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हैं; वेद की प्रामाणिकता भी दोनों मानते हैं, भेद यही है कि सांख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे नित्य कहते हैं।

जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शंकर स्वामी का उपलब्ध होता है, जो मंभवतः पाँचवीं सदी में लिखा गया है। कुछ समय पीछे मीमांसकों के दो भेद हो गए। उनमें एक का प्रवर्तक कुमारिल भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख धर्म के प्रकरण में किया जा चुका है। उसने मीमांसा पर 'कातत्रवार्तिक' और 'श्लोकावार्तिक' लिखे, जिनमें उसने वेद की प्रामाणिकता स्वीकार न करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया। मध्वाचार्य ने इस विषय

पर 'जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तार' नाम से एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा। इस शास्त्र का नाम पूर्व मीमांसा इमलियं रखा गया है कि कर्मकांड और ज्ञानकांड में से पूर्व ( कर्मकांड ) का इममे विवेचन है, इमलियं नहीं कि यह उत्तर मीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना।

उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का हमारे इम निर्दिष्ट समय में सबसे अधिक विकास हुआ। व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन-सूत्र-ग्रंथों की तरह बहुत पहले बन चुके थे। इसका उत्तर मीमांसा सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य आज उपलब्ध नहीं है। दूसरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है।

शंकराचार्य ने इम युग में धार्मिक और दार्शनिक क्रांति पैदा कर दी। धार्मिक क्रांति का संक्षिप्त वर्णन हम अन्यत्र कर चुके हैं।

शंकराचार्य और उनका अद्वैतवाद उन्होंने वेदांत में अद्वैतवाद ( आत्मा और परमात्मा में भेद न मानना ) और मायावाद के सिद्धांत का इतनी प्रबलता और विद्वत्ता से प्रतिपादन किया कि प्रायः सभी विद्वान् दंग रह गए। वेदांतसूत्रों में इम मायावाद का विकास नहीं देख पड़ता। पहले पहल शंकराचार्य के गुरु ( गण्डिदाचार्य ) के गुरु गौड़पाद की कारिकाओं में माया का कुछ वर्णन मिलता है, जिसे शंकराचार्य ने बहुत विकसित कर दार्शनिक जगत् में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। एक तरह से वे ही अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल पर प्रस्थानत्रयी—वेदांतसूत्र, उपनिषदों और गीता—का अद्वैतप्रतिपादक भाष्य लिखकर दार्शनिक-मंडली में इम सिद्धांत का बहुत प्रचार किया। शंकराचार्य की अकाट्य तर्कशैली ललित भाषा में प्रतिपादन-पद्धति और प्रगाढ़ विद्वत्ता ने बहुत से विद्वानों को अद्वैतवादी बना दिया। अद्वैतवाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, किंतु संपूर्ण भारत में घूम घूमकर सभी

दार्शनिक मंत्रदायों के बहुत से विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। इससे उनकी विद्वत्ता का सिक्का जम गया। शंकराचार्य-प्रतिपादित वेदांत ही आजकल का वेदांत है।

इसके सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक है। न्याय और वैशेषिक ने ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानकर ईश्वर का जगत् का कर्ता ठहराया है। मांख्य ने दो ही नित्य तत्त्व स्थिर किए—पुरुष और प्रकृति। वेदांत ने और भी आगे बढ़कर अद्वैतवाद—विशुद्ध ब्रह्म—की स्थापना की। ब्रह्म ही जगत् का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। जगत् में जो विविध दृश्य दीखते हैं वे सब परिणामी और अनित्य हैं। ब्रह्म चित्स्वरूप या आत्मस्वरूप है। सब ज्ञेय पदार्थ भी ब्रह्म के ही मगुण, संपाधि या मायात्मक रूप हैं। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जगत् और सृष्टि के संबंध में वेदांतियों की कल्पना है कि जगत् ब्रह्म का विवर्त (कल्पित) रूप है। रग्गी में सर्प की कल्पना की तरह नित्य और शुद्ध ब्रह्म में भ्रमात्मक और नामरूपात्मक जगत् की कल्पना की जाती है। यह जगत् न तो ब्रह्म का वास्तविक रूप है और न उसका कार्य या परिणाम ही। माया के कारण ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दीखता है। ब्रह्म के साथ माया का संयोग होने से ही जीव बनता है। ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है और विशुद्ध ब्रह्म रह जाता है। यह माया अनिर्वचनीय है।

इस अद्वैतवाद या मायावाद पर बौद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, इसी से बहुत से दार्शनिक शंकराचार्य का 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं। यद्यपि 'बौद्ध धर्म' के हान्म के साथ बौद्ध दर्शन भी लुप्त हो गया था, तथापि उसका संसार का मिथ्या मानने का विचार शंकराचार्य ने उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म और वेद की नित्यता आदि मानने तथा बौद्धों के जगत् के मिथ्यावाद के मानने से हिंदुओं और बौद्धों

के लिये यह वाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचार्य के भाष्यों पर उनके शिष्यों ने भी कई विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखीं, जिनका वर्तमान वेदांत संप्रदाय में बहुत महत्त्व है। इस दार्शनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण हुआ कि उन्होंने इसे धार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णन अन्यान्यत्र किया गया है। इन मठों के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार बहुत हुआ। शंकराचार्य के पीछे आनेवाले वेदांतियों ने वेदांत का माहित्य बहुत उन्नत किया।

शंकराचार्य का यह अद्वैतवाद बहुत समय तक वेदांत संप्रदाय के नाम से चलता रहा। इसमें किसी ने बाधा उपस्थित न की, परंतु १२ वीं सदी में रामानुज ने वेदांत संप्रदाय में एक नवीन भेद प्रचलित किया। यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न था। इसे हम विशिष्टाद्वैतवाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवात्मा और जगत् ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वास्तव में भिन्न नहीं है। इस सिद्धांत में यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा और जगत् तीनों मूलतः एक ही माने जाते हैं तो भी तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म का वही संबंध है, जो किरण और सूर्य का है। किरण जिस प्रकार सूर्य से निकलती है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निकला हुआ है। ब्रह्म एक भी है और अनेक भी। ब्रह्म केवल निमित्त कारण है। जीव उपादान है। इसके बाह्य जगत् संबंधी विचार सांख्य दर्शन के आधार पर अवलंबित हैं। वास्तव में द्वैत और अद्वैत दोनों के मध्य का यह मार्ग है। इसे 'भेदाभेदवाद' या 'द्वैताद्वैतवाद' भी कहते हैं।

रामानुज ने वेदांतसूत्रों, गीता और उपनिषदों का द्वैतवादसूचक 'श्रीभाष्य' लिखा। उन्होंने भी शंकराचार्य की तरह दक्षिण में एक

संप्रदाय ( आस्तिक वैष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यद्यपि उनका संप्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय के समान नहीं बढ़ा तो भी उसका अच्छा प्रचार हुआ।

रामानुज के समय में ही मध्वाचार्य ने भी द्वैतवाद का प्रचार कर माध्व संप्रदाय जारी किया। उन्होंने सात प्राचीन उपनिषदों, वेदांत-सूत्रों, भगवद्गीता और भागवतपुराण के द्वैत-मध्वाचार्य और प्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय स्वतंत्र पुस्तकें उनका द्वैतवाद लिखी। उपर्युक्त सब ग्रंथों का उन्होंने द्वैत-प्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य और वेदांत को सम्मिलित कर दिया। अपने द्वैत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तत्त्वसंख्यान' नामक ग्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को पृथक् पृथक् माना है। वेदांत संप्रदाय में शंकराचार्य के वे पूरे विरोधी रहे। इस संप्रदाय ने भी दार्शनिक संप्रदाय की अपेक्षा धार्मिक संप्रदाय का रूप ही अधिक पकड़ा।

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का बहुत अधिक विकास हुआ। भिन्न भिन्न आचार्यों ने वेदांत सूत्रों का अपनी अपनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए। यद्यपि ये संप्रदाय आज भी विद्यमान हैं तो भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सबसे अधिक प्रचार है और उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभी प्राचीन ग्रंथ एक नए दृष्टि-कोण ( अद्वैतसूचक ) से देखे जाने लगे। मायावाद के इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं के, जो पहले ही बौद्ध धर्म के कारण जगत् को मिथ्या माने हुए थे, दिलों में घर कर लिया, जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया।

इन छहों दार्शनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उस समय कई और संप्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक संप्रदाय भी बहुत प्राचीन है। इसके सूत्रों का कर्त्ता बृहस्पति प्राचीन काल में हो चुका था। बौद्धों

ने इस नास्तिक और प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया। नहीं कहा जा सकता कि यह संप्रदाय कब तक सुसंगठित रूप में विद्यमान रहा। इतना निश्चित चारवाक है कि शंकराचार्य के समय में भी यह मत ऐसी हीन स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ था कि उसकी उपेक्षा की जा सके।

बौद्ध धर्म के हास का प्रारंभ हो चुका था, परंतु उसका दर्शन बहुत समय तक स्थिर रहा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ ही उमका दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे बौद्ध विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन हम पहले कर चुके हैं।

जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतों को दार्शनिक रूप देने में कम यत्न नहीं किया। कुछ समय में ही जैन दर्शन भी पर्याप्त उन्नत और विकसित हो गया। इसके जैन दर्शन सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत 'स्याद्वाद' का उल्लेख करना आवश्यक है।

मनुष्य का ज्ञान अनिश्चित है। वह किसी वस्तु के स्वरूप को निश्चित रूप में नहीं जान सकता। अपनी इंद्रियों तथा अंतःकरण की दूरबीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का स्वरूप निर्माण करता है। इंद्रियों ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं कि उसका निर्णीत रूप सत्य हो, यद्यपि वह उसे सत्य समझ रहा हो। इसी सिद्धांत के आधार पर जैनियों के 'स्याद्वाद' का प्रारंभ हुआ है। वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त करते हैं। वे ये हैं—( १ ) स्यादस्ति ( संभवतः हो ), ( २ ) स्यान्नास्ति ( संभवतः न हो ), ( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च ( संभवतः किसी रूप

में हो, किसी रूप में न हो ), ( ४ ) स्यादवक्तव्यं ( संभवतः शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), ( ५ ) स्यादस्ति चावक्तव्यं ( संभवतः हो और शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), ( ६ ) स्यान्नास्ति चावक्तव्यं ( संभवतः न हो और उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), ( ७ ) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं ( संभवतः किसी रूप में हो, किसी रूप में न हो पर अवर्णनीय हो ) । हर एक कोटि संभावना या संशयावस्था में ही हमारे ज्ञान की बोधक है ।

यदि हम भारतवर्ष के इन छः सौ वर्षों के दार्शनिक इतिहास पर दृष्टिपात करे तो हम देखते हैं कि सभी संप्रदाय विकास पर हैं ।

यदि अद्वैतवाद अपने शिखर पर है, तो द्वैत-वाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है । एक तत्कालीन दार्शनिक उन्नति का सिंहावलोकन और यदि मोक्ष, ईश्वर आदि आध्यात्मिक बातों की चर्चा ज़ोरों पर थी तो दूसरी ओर चारवाकों का यह कथन-

यावज्जीव सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

चल रहा था । उधर वेदांत, न्याय, योग आदि संप्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे थे, तो उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वर-वाद के प्रचार में लगा हुआ था । पूर्व मीमांसक यदि कर्मकांड का प्रतिपादन कर रहे थे, तो वेदांती ज्ञान द्वारा ही मोक्ष-प्राप्ति सिद्ध कर रहे थे ।

भारत की इस दार्शनिक उन्नति का युरोपीय दर्शन शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्तृत विषय है और हमारे विषय

से यह कुछ बाहर भी है । हमें तो केवल युरोपीय दर्शन पर ६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार भारतीय दर्शन का प्रभाव करना है और हमारे दर्शनशास्त्र का जो प्रभाव युरोपीय दर्शन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष संबंध नहीं

रखता। फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा।

प्राच्य दर्शन शास्त्र का ग्रीक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। दोनों के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। जेनोफिनस और परमैनिडस के सिद्धांतों तथा वेदांत में बहुत कुछ साम्य है\*। सुकरात और प्लैटो का आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत प्राच्य दर्शन का ही सिद्धांत है। सांख्य का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव स्पष्ट और बहुत संभय है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् पैथागोरस तो भारतवर्ष में दर्शन पढ़ने के लिये आया था। वही नहीं, अनेक्मर्चिस, पिरोह और अन्य कतिपय ग्रीक विद्वान् भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिये यहाँ आए थे†। पैथागोरस ही पुनर्जन्म का सिद्धांत सीखकर ग्रीस में उसका प्रवर्तक हुआ। ग्रीस में प्रचलित प्राचीन कथाओं के अनुसार चेल्स, एंपि-डोक्लिस, डिमॉक्रिटस आदि विद्वानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूर्व की यात्रा की थी‡। नॉस्टिक ( Gnostic ) मत पर भी सांख्य का प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ा§।

अंत में हम प्राच्य दर्शन के विषय में कुछ विद्वानों के कतिपय उद्धरण देकर इस विषय का समाप्त करते हैं।

श्लेगल ने लिखा है कि युरोप का उच्च से उच्च दर्शन, भारतीय दर्शन के दीपहर के प्रकाशमान सूर्य के सामने एक छांटे से टिमटिमाते हुए दीपक के समान है॥।

∴ ए० ए० मैकडानल; इंडियाज पास्ट, पृ० १२६।

† डाक्टर एनफील्ड, हिस्ट्री आफ फिलॉसफी; जि० १, पृ० ६५।

‡ प्रो० मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४२२।

§ वही; पृ० ४२३।

॥ हिस्ट्री आफ लिटरेचर।



सर डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान और कर्म की, धर्म और अधर्म की समस्या; जड़ चेतन और आत्मा की समस्या, स्वतंत्रकर्तृत्व और परतंत्रता का विचार, ईश्वर और जीव की समस्या, तथा अन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवन में सुख दुःख का विषम विभाग आदि पर भी बहुत विचार किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था और विकास के संबंध में भिन्न भिन्न कल्पनाएँ प्रादुर्भूत हुई थीं। वर्तमान विद्वानों के विचार कपिल के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही हैं\*।

श्रीमती डाक्टर बेसेंट लिखती हैं—भारतीय मनोविज्ञान यूरोपीय मनोविज्ञान से अधिक संपूर्ण है।।

प्रोफेसर मैक्स डंकर ने लिखा है कि हिंदुओं की तार्किक गवेषणाएँ वर्तमान समय की किसी जाति के तर्कशास्त्र से कम नहीं हैं†।

## ज्योतिष

अन्य शास्त्रों की तरह ज्योतिष शास्त्र भी भारत में प्राचीन काल से अत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्योतिष के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्य वस्तुतः उदय और अस्त नहीं होता, परंतु पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं§। प्राचीन काल में यज्ञ यागादि की अधिकता होने से उसके लिये नक्षत्र और काल-निर्णय का ज्ञान सर्व-साधारण में भी प्रचलित था। ज्योतिष भी वेद का एक अंग माना जाता था, जिससे इसका अध्ययन बहुत

: हंटर, इंडियन गैजेटियर; इंडिया; पृ० २१३—१४।

† लैक्चर आन नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया (कलकत्ता) जनवरी १९०६।

‡ हिस्ट्री आफ एटिकिटी; जि० ४, पृ० ३१०।

§ ए० ए० मैकडानल, इंडियाज पास्ट; पृ० १८१।

होता था। ईसा से भी पूर्व वृद्ध-गर्ग-संहिता और जैनियों की सुरीय-पन्नति आदि ज्योतिष के ग्रंथ बन चुके थे। आश्वलायनसूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र, महाभारत और मानवधर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में ज्योतिष की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में आती हैं। ईसा के बाद का सबसे प्रथम और पूर्ण ग्रंथ सूर्य-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं है। उसका पूरा वर्णन वराहमिहिर ने अपनी 'पंचसिद्धांतिका' में किया है, वही उपलब्ध है। वर्तमान सूर्य-सिद्धांत उससे भिन्न और नवीन है। वराहमिहिर ने ( ५०५ ई० ) अपनी 'पंचसिद्धांतिका' में प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धांतों—पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सार (सूर्य) और पितामह—का करण रूप से ( जिसमें अंकगणित की सहायता से ही ज्योतिष गणना हो सकती है और ज्याचाप कर्म की आवश्यकता नहीं रहती ) वर्णन किया है और लाटाचार्य, सिहाचार्य तथा उसके गुरु, आर्यभट, प्रद्युम्न और विजयनंदी के मतों को उद्धृत किया है, जिससे पाया जाता है कि ये विद्वान् उससे पूर्व के हैं, परंतु खेद है कि अब आर्यभट के अतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता। आर्यभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० में हुआ था, 'आर्यभटीय' लिखा। उसने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा पृथिवी को घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन किया है। उसने पृथिवी की परिधि ४६६७ योजन अर्थात् २४८३५ मील बताई है। उसने सूर्य और चंद्र के ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके बाद एक दूसरा आर्यभट भी हुआ, जिम्हने 'आर्यसिद्धांत' लिखा और जिसका भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है।

वराहमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रोमक सिद्धांत बहुत संभवतः ग्रीक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष में बहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन है कि किसने किससे कितना सीखा।

वराहमिहिर के बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान् ब्रह्मगुप्त हुआ ।  
 उमने ६२८ ई० के आसपास 'ब्राह्मस्फुट सिद्धांत' और 'खंडखाद्य'  
 लिखे । उसने प्रायः अपने पूर्व के विद्वानों  
 ६०० ई०—१२०० का समर्थन किया है । उसकी प्रतिपादन-शैली  
 ई० तक का ज्योतिष अधिक विस्तृत और विधियुक्त है । उसने  
 माहिन्य ग्यारहवे अध्याय में आर्यभट्ट की आलोचना की  
 है । इसके कुछ वर्षों बाद प्रसिद्ध लल्ल हुआ, जिसने अपने 'लल्ल-  
 सिद्धांत' में आर्यभट्ट के भूभ्रमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा  
 है—'यदि पृथ्वी घूमती होती तो वृत्त पर से उड़ा हुआ पत्ती अपने  
 घोंसले पर फिर नहीं जा सकता\*' । लेकिन लल्ल को यह मालूम  
 नहीं था कि पृथ्वी अपने को घेरे हुए वातावरण सहित घूमती है ।  
 यदि उसको यह ज्ञात होता तो वह भूभ्रमण के सिद्धांत का विरोध  
 न करता । लल्ल के बाद हमारे समय में चतुर्वेद पृथ्वी स्वामी  
 ने ६७८ ई० के आसपास ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुट सिद्धांत' की टीका  
 लिखी । १०३८ ई० के करीब श्रापति ने 'सिद्धांतशेखर' और  
 'धीकोटिद' ( करण ); वरुण ने ब्रह्मगुप्त के 'खंडखाद्य' पर टीका  
 और भोजदेव ने 'राजभूगांक' ( करण ) लिखे । ब्रह्मदेव ने ग्यार-  
 हवीं सदी के अंत में 'करणप्रकाश' नामक ग्रंथ लिखा ।

हमारे समय के अंत में प्रसिद्ध ज्योतिषी महेश्वर का पुत्र भास्करा-  
 चार्य हुआ । उसने 'सिद्धांतशिरोमणि', 'करणकुतूहल', 'करण-  
 केसरी', 'ग्रहगणित', 'ग्रहलाघव', 'ज्ञानभास्कर', 'सूर्यसिद्धांत व्याख्या'  
 और 'भास्कर-दीक्षितीय' लिखे । सूर्यसिद्धांत के बाद 'सिद्धांत-  
 शिरोमणि' एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है । इसके चार भाग

यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमापनुयुः खगा ।

इषवोऽभिनभ. समुज्ज्वला नियतंतः स्युरपीपतेर्दिशि ॥

लल्लसिद्धांत ।

लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय हैं। पहले दो तो गणित संबंधी हैं और पिछले दो ज्योतिष से संबंध रखते हैं। भास्कराचार्य ने इस ग्रंथ में पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकर्षण-शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया है। वह लिखता है—

“गोले की परिधि का सौवाँ भाग एक मीठी रखा प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह चपटी दीखती है\*।”

“पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसी लिये सभी पदार्थ उस पर गिरते हुए नजर आते हैं।”

न्यूटन से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचार्य ने आकर्षण का यह सिद्धांत ( Theory of gravitation ) इतनी उत्तमता से लिख दिया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। इसी तरह उसने ज्योतिष के अन्य सिद्धांतों का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है।

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत हो चुका था। अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में हमारे ज्योतिष शास्त्र की उन्नति तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर के कथनानुसार ८ वीं सदी में अरब के विद्वानों ने भारत से ज्योतिष सीखी और सिद्धांतों का ‘सिंहिद’ नाम से

। समो घतः श्यात्परिधेः शतांशं पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान् ।

नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कुम्भता समेय तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥

सिद्धांतशिरोमणि-गोलाध्याय १।

† आकृष्टशक्तिश्च मही तथा यत् स्वर्गं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ।

आकृष्टते तत् पतनीव भाति समे भ्रमन्तान् क पतस्विय स्वे ॥

अरबी में अनुवाद किया\* । खलोफा हारूँ रशीद और अलमामू ने भारतीय ज्योतिषियों को अरब में बुलाकर उनके ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। हिंदू भी ग्रीकों की तरह अरबों के गुरु थे । आर्यभट्ट के ग्रंथों का अनुवाद कर 'अर्जवहर' नाम रखा गया † । चीन में भी भारतीय ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ । प्रोफेसर विन्सन ने लिखा है—'भारत में मिलनेवाली, क्रांतिवृत्त का विभाग, सौर और चांद्रमासों का निरूपण, ग्रहगति का निर्णय, अयनांश का विचार, सौराशिमंडल, पृथ्वी की निराधार अपनी शक्ति से स्थिति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर दैनिक गति, चंद्र का भ्रमण और पृथ्वी से उसका अंतर, ग्रहों की कक्षा का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐसी बातें हैं, जो अशिक्षित जातियों में नहीं पाई जाती' ‡ ।

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फलित ज्योतिष पर विश्वास रहा है । ब्राह्मणों और धर्मसूत्रों में भी इसका कहीं कहीं फलित ज्योतिष उल्लेख पाया जाता है । इसके प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलते । बहुत संभव है कि वे नष्ट हो गए हों । बृद्धगर्ग-संहिता में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है । वराहमिहिर के कथनानुसार ज्योतिष शास्त्र तंत्र, होरा और शाखा तीन विभागों में विभक्त है । तंत्र या मिद्धान्त ज्योतिष का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । होरा और शाखा का संबंध फलित ज्योतिष से है । होरा में जन्म-कुंडली आदि से मनुष्य के जीवन संबंधी फलाफल का विचार रहता है । शाखा या संहिता में धूम्रकेतु, उल्कापात, शकुन, और मुहूर्त आदि का विवेचन होता है । वराहमिहिर

\* हटर, इंडियन गैजेटियर-इंडिया, पृ० २१८ ।

† मिल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया; जिल्द २, पृ० १०७ ।

‡ वेबर, इंडियन लिटरेचर, पृ० २५५ ।

§ मिल; हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि० २, पृ० १०७ ।

की बृहत्संहिता फलित ज्योतिष के लिये मुख्य ग्रंथ है। इसमें मकान बनाने, कूप और तालाब खोदने, बाग लगाने, मूर्ति-स्थापना आदि के लिये बहुत से शकुन दिए हैं। विवाह और दिग्विजय के लिये प्रस्थान के संबंध में उसने कई ग्रंथ लिखे। फलित ज्योतिष पर 'बृहज्जातक' नाम से भी उसने एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य वताना इस पुस्तक का मुख्य विषय है। ६०० ई० के करीब बराह-मिहिर के पुत्र पृथुयशा ने 'हारापट्पंचाशिका' नामक फलित ज्योतिष संबंधी एक पुस्तक लिखी। दसवीं शताब्दी में भट्टारक ने उपर्युक्त पुस्तक तथा बराहमिहिर के ग्रंथों पर बहुत उत्तम और विस्तृत टीकाएँ लिखीं। श्रीपति ( १०३६ ई० ) ने भी इस संबंध में 'रत्न-माला' और 'जातकपद्धति' ग्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विषय के बहुत से ग्रंथ लिखे गए।

## गणित

ज्योतिष के इस विकास के साथ गणित शास्त्र का विकास भी होना आवश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ई० तक भारतवर्ष गणित शास्त्र में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। भारतीय गणित शास्त्र उसने ऐसे-ऐसे उच्च सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया था, जिनका यूरोपियन विद्वानों को कई सदियों पीछे ज्ञान हुआ। प्रसिद्ध विद्वान काजोरी ने अपनी "हिस्ट्री ऑफ मैथे-मैटिक्स" में लिखा है—“यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय गणित ने हमारे वर्तमान विज्ञान में किम हद तक प्रवेश किया है। वर्तमान बीजगणित और अंकगणित दोनों की विधि और भाव भारतीय हैं, यूनानी नहीं। गणित के उन संपूर्ण और शुद्ध चिह्नों,

भारतीय गणित की उन क्रियाओं, जो आज प्रचलित क्रियाओं की तरह संपूर्ण हैं और उनके बीजगणित की विधियों पर विचार तो करा और फिर सोचा कि गंगा के तीर पर रहनेवाले ब्राह्मण किस श्रेय के भागी नहीं हैं? दुर्भाग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार यूरोप में बहुत पोछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दो तीन सदी पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता” ।

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है—“हिंदू गणित यूनानी गणित से बहुत उच्च कोटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम आज प्रयुक्त करते हैं।”

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व अंक विद्या पर विचार करना अधिक लाभप्रद और उपयोगी होगा ।

भारतवर्ष ने अन्य देशवासियों को जो अनेक बातें सिखलाई, उनमें सबसे अधिक महत्त्व अंक-विद्या का है। संसार भर में गणित, ज्यामिति, विज्ञान आदि में आज जो उन्नति पाई अंक-क्रम का विकास जाती है उसका मूल कारण वर्तमान अंक-क्रम है, जिसमें एक से नौ तक के अंक और शून्य, इन दस चिह्नों से अंक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाला और उसे सारे संसार ने अपनाया। हिंदों के पाठकों में से कदाचित् थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस अंक-क्रम के निर्माण से पूर्व संसार का अंक-क्रम क्या था और वह गणित ज्यामिति एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना बाधक था? इसलिये यहाँ संक्षेप से संसार के प्राचीन अंक-क्रम का विवेचन कर वर्तमान अंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना अनुचित न होगा ।

भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा हस्त-लिखित पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल

( १०६ )

मे हमारे यह का अंक-क्रम वर्तमान क्रम से बिलकुल ही भिन्न था । उसमें १ से ६ तक के अंकों के नौ चिह्न, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और ९० के नौ चिह्न तथा १०० और १००० के लिये एक एक चिह्न नियत थे । इन्हीं बीस चिह्नों से ६६६६६ तक की संख्या प्रदर्शित की जाती थी । उस काल में लाख करोड़ आदि के लिये क्या चिह्न थे, इसका निश्चित रूप से अब तक कोई पता नहीं लगा । इन अंकों के लिखने का क्रम १ से ६ तक तो वैसा ही था जैसा अब है । १० के लिये नवीन शैली की तरह १ के साथ ० नहीं, वरन् एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था । ऐसे ही २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० और १००० के लिये भी अपने अपने नियत चिह्न ही रहते थे । ११ से ६६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का अंक लिखा जाता था, जैसा कि १५ के लिये १० का चिह्न लिखकर उसके आगे ५, और ३३ के लिये ३० और ३ इत्यादि; २०० के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसका दाहिनी ओर कभी ऊपर कभी मध्य और कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रेखा जोड़ी जाती थी । ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह्न के साथ वैसी ही दो लकीरें जोड़ी जाती थी । ४०० से ९०० तक के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसके साथ क्रमशः ४ से ९ तक के अंक एक छोटी सी आड़ी लकीर से जोड़ दिए जाते थे । १०१ से ६६६ तक लिखने में सैंकड़ों के अंक के आगे दहाई और इकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २० और ६, ६५५ के लिये ६००, ५० और ५ । यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक न हो तो सैंकड़ों के बाद इकाई का अंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३०० और १ । २००० के लिये १००० के चिह्न की दाहिनी ओर ऊपर की एक छोटी सी सीधी आड़ी ( या नीचे की



मुड़ी हुई ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३०० के लिये वैसी ही दो लकीरे, ऐसे ही ६६६६ लिखने हों तो ६००००, ६०००, ६००, ६० और ६ लिखते थे ।

भारतवर्ष में अंकों की यह प्राचीन शैली कब से प्रचलित हुई, इसका पता नहीं चलता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम और रूपनाथ के लंखों में इस शैली के २००, ५० तथा ६ के अंक मिलते हैं, जिनमें २०० का अंक तीनों लंखों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है और ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं ।

भारतवर्ष के इम जटिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिस्र का सबसे पुराना अंक-क्रम हिरोग्लिफिक ( चित्रलिपि ) अधिक जटिल था । उसमें मूल अंकों के चिह्न केवल तीन अर्थात् १, १० और १०० के थे । इन्हीं तीन चिह्नों को कई बार लिखने से ६६६ तक के अंक बनते थे । १ से ६ तक के अंक एक के चिह्न ( खड़ी लकीर ) का क्रमशः १ से ६ बार लिखने से बनते थे । ११ से १६ तक के लिये १० के चिह्न के बाईं ओर क्रमशः १ से ६ तक खड़ी लकीरे खींचते थे । २० के लिये १० का चिह्न दो बार और ३० से ६० तक के लिये क्रमशः तीन से नौ बार लिखा जाता था । २०० बनाने के लिये १०० के चिह्न को दो बार लिखते थे । उसी तरह तीन सौ के लिये तीन बार लिखते थे । इस क्रम में १००० से १०००० के लिये भी एक एक चित्र था और लाख के लिये मेटक और दस लाख के लिये हाथ फैलाए हुए पुरुष का चित्र था । मिस्र का सबसे पुराना अंक-क्रम यही था, जो हमारे अंक-क्रम से भी अधिक जटिल और गणना की बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था ।

फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल दस के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये नवीन चिह्न बनाया

गया, जिससे ३० के लिये २० और १०, ६० के लिये २०, २० २०, २० और १० लिखने पड़ते थे :

पीछे से मिस्रवालों ने किसी सरल विदेशी अंक-क्रम को देखकर अथवा अपनी बुद्धि से अपने भड़े हिपेरॉग्लिफिक अंक-क्रम को सरल करने के लिये भारतीय अंक-क्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, जिससे १ से ६ तक के लिये नौ, १० से ६० तक दहाइयों के लिए नौ और १०० तथा १००० के लिये एक एक चिह्न स्थिर किया। इस अंक-क्रम को हिपेरेटिक कहते हैं और इसमें भी ऊपर के दोनों क्रमों के समान अंक दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखे जाते थे।

डिमांटिक अंक हिपेरेटिक से ही निकले हैं और इन दोनों में अंतर बहुत कम है, जो समय के साथ हुआ हो।

यूरोप में भी प्राचीन काल में ग्रीक लोग केवल दस हजार तक की संख्या जानते थे और रोमन लोग एक हजार तक की। उनके अंक-क्रम का प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकों में सब लिखने में, भूमिका में पृष्ठ-संख्या बतलाने के लिये अथवा घड़ियों में अंक बतलाने में प्रचलित है। उसमें १, ५, १०, ५०, १०० तथा १००० के चिह्न हैं, जिनका रोमन अंक कहते हैं। आजकल सब पढ़े लिखे मनुष्य रोमन अंको से परिचित हैं, इसमें उनके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब प्राचीन अंक-क्रमों से ज्यातिष, गणित और विज्ञान की विगण उन्नति होने की कोई संभावना नहीं थी। संसार की वर्तमान उन्नति इन्हीं नवीन अंक-क्रमों से हुई है। यह उपयोगी अंक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण किया। इस क्रम में दाहिनी से बाईं ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छहों अंक १ के ही हैं, परंतु पहले में (दाहिनी ओर से लेने से) १, दूसरे से १०, तीसरे से १००, चौथे से १०००, पाँचवें से १००००

श्रौर छठे से १००००० का बोध होता है। इसी से इस संख्या-सूचक क्रम को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान समय में बहुधा संसार का अंक-क्रम यही है। यह अंक-क्रम भारतवासियों ने कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। प्राचीन शिलालेखों और दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढर्रे पर चलकर ई० स० की छठी शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैली से ही अंक दिए हैं। सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक के शिलालेखादि लिखनेवालों में से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शैली का अनुकरण किया है; परंतु गणितकार नवीन क्रम का व्यवहार छठी शताब्दी के बहुत पहले से करने लगे थे। वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका' में सर्वत्र अंक नवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० की पाँचवीं शताब्दी के अंत में तो ज्यातिषी लोग नवीन शैली के अंकों का व्यवहार करते थे। भट्टोत्पल ने 'बृहत्संहिता' की टीका में कई जगह 'पुलिशसिद्धांत' से, जिसका वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है, वचन उद्धृत किए हैं। उसमें एक और स्थान पर 'मूल पुलिशसिद्धांत' के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है। उन दोनों में अंक वर्तमान शैली में ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता है कि वराहमिहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था।

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने ( ई० स० ३०० के आसपास ) दशगुणोत्तर अंक-क्रम का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया है। जैसे एक का अंक '१', सैकड़ों के स्थान पर १०० के लिये, दहाई के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये प्रयुक्त होता है। बखशाली गाँव ( युमुफजई जिले, पंजाब में ) से भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक जमीन में गड़ी हुई मिली है, जिसमें अंक नवीन शैली से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर हार्नेली ने उसका रचना-काल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी होना

अनुमान किया है। इस पर डा० बूलर ने लिखा है कि यदि अंक-गणित की प्राचीनता का हॉर्नली का यह बहुत संभावित अनुमान ठीक हो तो उम ( अंक-क्रम ) के निर्माण का समय ई० स० के प्राग्भकाल अथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा। अभी तक तो नवीन शैली के अंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चला है।

शून्य की याचना कर नौ अंकों से गणित शास्त्र को सरल करने-वाले नवीन शैली के अंकों का प्रचार पहले पहल किम विद्वान् ने किया इसका कुछ पता नहीं चलता। केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ। इससे पहले एशिया और यूरोप की चाल्डियन, हिब्रू, ग्रीक, अरब आदि जातियाँ वर्षभाला के अक्षरों से अंकों का काम लेती थीं। अरबों ने खलीफा बलीद के समय (ई० स० ७०५-७१५) तक अंकों का प्रचार नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिए\*।

इस विषय में अँगरेजी विश्वकोष 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में लिखा है "इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ( अँगरेजी ) वर्तमान अंक-क्रम ( दशगुणोत्तर ) की उत्पत्ति भारतीय है। संभवतः खगोल-संबंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत ई० स० ७७३ में बगदाद में लाया, इन अंकों का प्रवेश अरब में हुआ। फिर ई० स० की नववीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अचुजफर मुहम्मद अल खारिज्मी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया और उसी समय से अरबों में उसका प्रचार बढ़ने लगा।"

"यूरोप में शून्य सहित यह संपूर्ण अंक-क्रम ई० स० की बारहवीं शताब्दी में अरबों से लिया गया और इस क्रम से बना हुआ

\* प्राचीन और नवीन अंक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखें भारतीय प्राचीन लिपिमाळा, पृ० ११०-११८।

अंकगणित अल्गोरिद्मस ( अल्गोरिथम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह ( अल्गोरिद्मस ) विदेशी शब्द 'अल्वारिज्मी' का अक्षरांतर मात्र है, जैसा कि रेनाड ने अनुमान किया था और उक्त अरब गणित शास्त्रज्ञ की अनुपलब्ध अंकगणित की पुस्तक के कॅत्रिज से मिले हुए अद्वितीय हस्तलिखित अनुवाद के, जो सभवतः एडलहर्ड का किया हुआ है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( अनुमान ) प्रमाणित हो गया है । खारिज्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्वीय विद्वानों ने सरल किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी युरोप पीसा के लिओनार्डो ने और पूर्वी में माक्सिमस् (लैनुडेन्स) ने प्रचार किया । 'जीरो' शब्द की उत्पत्ति अरबी के 'सिफर' से, लिओनार्डो के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरो' शब्द द्वारा प्रतीत होती है\* ।

प्रसिद्ध विद्वान् अलवरूनी ने लिखा है—“हिंदू लोग अपनी वर्ण-माला के अक्षरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते, जैसे कि हम हिब्रू वर्णमाला के क्रम से अरबी अक्षरों का काम में लाते हैं । भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में जैसे अक्षरों की आकृतियाँ भिन्न हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिह्नों की भी आकृतियाँ, जिनको अंक कहते हैं, भिन्न हैं । जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सुंदर अंकों से लिए गए हैं । . . . . . जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा सपर्क रहा, उन सब की भाषाओं के संख्यासूचक क्रम के नामों ( इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि ) का मैंने अध्ययन किया है, जिससे मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती । अरब लोग भी एक हजार तक ( नाम ) जानते हैं । . . . . . इस विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है । अपने अंक-क्रम में, जो हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू हैं । . . . . . वे संख्यासूचक क्रम को अठारवे स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परार्द्ध कहते हैं । अंक-

गणित में हिंदू लोग अंको का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं\* ।”

गणित-विषयक जो पुस्तके उपलब्ध होती हैं, वे प्रायः ज्यातिष्य के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

अकगणित

आर्यभट्ट की पुस्तक के प्रथम दो भाग, ‘ब्राह्म-स्फुटसिद्धांत’ में गणिताध्याय और कुतुकाध्याय तथा ‘सिद्धांतशिरोमणि’ में लीलावती और बीजगणित नामक अध्याय गणित से संबंध रखते हैं। इन पुस्तकों को देखने से पता लगता है कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गणित के आठों नियमों—याग, ऋण, गुणा, भाग, वर्गीकरण, घनीकरण, वर्गमूल और घनमूल—का उनमें पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद भिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, क्षेत्रफल, कार्य-संबंधी, त्रैशिक, श्रेढी, कुट्टक तथा अनंत राशियों के मान-संबंधी अर्थात् शून्य गणित और व्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन मिलता है।

केवल अंक गणित ही नहीं, ज्यातिष्य के लिये बीजगणित का भी उपयोग बहुत किया जाता था। उपर्युक्त पुस्तकों में हम बीजगणित

के बहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी

बीजगणित

यहाँ विकसित हुआ था। श्रीयुत काजोरी ने

लिखा है कि ‘बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान् डायोफैट ने भी भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया।’ भारत ने बीजगणित यूनान से सीखा, यह ठीक नहीं है। भारतीय और यूनानी बीजगणित में बहुत से भेद हैं। भारत ने बारहवीं सदी तक बीजगणित संबंधी जो नियम आविष्कृत किए थे, वे यूरोप में सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में प्रचलित हुए। भारतीयों ने बीजगणित में

बहुत से मुख्य नियम आविष्कृत कर लिए थे जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- १—ऋण राशियों के समीकरण की कल्पना ।
- २—वर्ग-समीकरण का सरल करना ।
- ३—अंक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे ) ।
- ४—एक वर्ष और अनेक वर्ष समीकरण ।
- ५—केन्द्र फल का निर्णय करना, जिसमें व्यक्त और अव्यक्त गणित का विकास हो ।

भास्कराचार्य ने यह भी सिद्ध किया है—

$$\sqrt{x} \times 0 = \sqrt{x}, 0 \cdot 0 = 0, \sqrt{0} = 0, \sqrt{-0} = 0$$

भारतवर्ष से ही बीजगणित भी अरबों के द्वारा यूरोप में गया । प्रो० मोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगणित और ज्यामिति तथा खगोल में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही आविष्कृत किया है\* । मूसा और याकूब ने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब में किया था । अरब से यूरोप में इसका प्रचार हुआ † ।

इसी तरह रेखागणित में भी भारत ने बहुत उन्नति की थी । भारत का प्राचीनतम रेखागणित ब्रह्मसिद्ध और आपस्तम्ब के शुल्बसूत्रों में पाया जाता है । यज्ञवेदियों और कुंडों के रेखागणित बनाने में इसका बहुत उपयोग होता था । यज्ञ और संस्कार करानेवाले पुरोहित जानते थे कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग में और वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त में किस तरह लाया जाता है । यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल मुक्त था । रेखागणित की कुछ सिद्धियाँ हम नीचे देते हैं, जो हमारे समय तक ज्ञात हों चुकी थी—

\* इंडियन विजडम, पृ० १८५ ।

† विनयकुमार सगार; हिंदू एचीवमेन्ट्स इन एक्यूजैक्ट साइंसेज़, पृ० १२—१५ ।

१—पैथागोरस की सिद्धि अर्थात् समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है ।

२—दो वर्गों के योग या अंतर के समान वर्ग बनाना ।

३—किसी भी आयत को वर्ग में परिणत करना ।

४—✓ का वास्तविक मान और राशियों का मध्यमाहरण ।

५—वर्गों का वृत्त में परिणत करना ।

६—वृत्त का क्षेत्रफल ।

७—विषम चतुर्भुज में करणानयन की विधि ।

८—त्रिभुज वृत्त और विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ।

९—ब्रह्मगुप्त ने वृत्तखंड की ज्या तथा उस पर से विंचे हुए कोदंड तक के लंब के मालूम होने पर व्यास और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के नियम भी दिए हैं ।

१०—शंकु और वर्तुलाकार पदार्थों का क्षेत्रफल ।

भास्कराचार्य ने अपने पूर्व के बहुत से गणित के विद्वानों—आर्यभट, लल्ल, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर (८५० ई०), श्रीधर (८५३ ई०), आर्यभट (द्वितीय) और उत्पल (९७० ई०)—के स्थिर किए हुए नियमों का भाग देकर उनकी कृति बतलाई है । बीजगणित की भाँति याकूब ने ही भारतीय रेखागणित का प्रचार अरब में किया\* ।

प्राचीन भारतीय त्रिकोणमिति से भी पूर्णतया परिचित थे । उन्होंने ज्या ( Sine ) और उत्क्रम ज्या ( Versed sine ) की सारणियाँ बना ली थीं । इन सारणियों में वृत्तपाद के त्रिकोणमिति चौबीसवें भाग तक का प्रयोग है । दोनों सारणियों में अभिन्न मान से ज्या और उत्क्रम ज्या का परिदर्शन मिलता है । इस त्रिकोणमिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था ।

विनयकुमार नरकार, हिंदू एर्चीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साइंसेज़, पृ०



वाचस्पति ने चापीय घनक्षेत्र निकालने का साधन बिलकुल मौलिक रीति से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पाँच शताब्दों पूर्व चलन गणित का आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रयुक्त किया था। श्रीयुत ब्रजेन्द्रनाथ सील के कथनानुसार भास्कराचार्य राशियों के तात्कालिक गणित साधन में आर्किमीडिस से अधिक शुद्ध और प्रबल हैं। भास्कराचार्य ने ग्रह की क्षणिक गति की गणना करते हुए एक सेकड़ के ३३७५ वें भाग—त्रुटि—का भी उल्लेख किया है।

भारतीय, भूगोल और ग्रहमंडल-संबंधी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। स्थितिशास्त्र ( Statics ) और गतिशास्त्र ( Dynamics ) से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य थे\* ।

## आयुर्वेद

आयुर्वेद भी बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में अत्यंत उन्नत था। वैदिक साहित्य में हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या और स्वच्छता का मूल देखते हैं। अथर्ववेद में रोगों के नाम और आयुर्वेद का साहित्य उनके लक्षण तक ही नहीं, किन्तु मनुष्य के शरीर की हड्डियों तक की पूरी सख्या दी है। बौद्ध काल में वैद्यक का बहुत विकास हुआ। अशोक के पार्वतीय लेखों के दूसरे प्रज्ञापन में पशु-चिकित्सा और मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों और पशुओं के उपयोग की औपधियों का उल्लेख है। चीनी तुर्किस्तान से ३५० ई० के आसपास के भाजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से तीन आयुर्वेद संबंधी हैं। आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चरक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय और निवास स्थान के

विषय में ऐतिहासिकों में मतभेद है। उसकी 'चरकसंहिता' अग्निवेश के आधार पर लिखी गई है। 'चरकसंहिता' वैद्यक का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। 'सुश्रुत-संहिता' भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका कम्बोडिया में नवी तथा दसवीं शताब्दी में प्रचार हो चुका था। यह ग्रंथ पहले सूत्रों में लिखा गया था। ये दोनों ग्रंथ हमारे समय के पूर्व के हैं।

हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के ग्रंथ 'अष्टांग-संग्रह' और 'अष्टांग-हृदय-संहिता' हैं। वृद्ध वाग्भट्ट ने 'अष्टांग-संग्रह' संभवतः सातवीं सदी के आस पास लिखा था। दूसरे ग्रंथ का कर्ता भी वाग्भट्ट ही है, जो पहले से भिन्न है और संभवतः ८०० ई० के आस पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माधवकर ने 'हृत्विनिश्चय' या 'माधवनिदान' नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ आज भी निदान के संबंध में बहुत प्रामाणिक समझा जाता है। इसमें रोगों के निदान आदि पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। बृंह के 'सिद्धियांग' में ज्वर आदि के समय विषों के परिणाम आदि पर अच्छा विचार किया गया है। १०६० ई० में बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने 'सुश्रुत और 'चरक' की टीका लिखने के अतिरिक्त 'सिद्धियांग' के आधार पर 'चिकित्सा-सार-संग्रह' नामक ग्रंथ लिखा। हमारे समय के अंत में १२०० ई० के करीब शाङ्गधर ने 'शाङ्गधर संहिता' लिखी। उसमें अफीम और पारं आदि औषधियों के वर्णन के अतिरिक्त नाड़ी विज्ञान के भी नियम दिए हैं। पारं का उस समय बहुत प्रचार था अलबेकनी ने भी पारं का वर्णन किया है। वनस्पति शास्त्र के संबंध में कई कांश भी लिखे गए, जिनमें 'श-दप्रदीप' और 'निर्वंडु' प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ शरीर-विद्या (Anatomy) बहुत उन्नत थी। उस समय के ग्रंथों में हड्डियाँ, नाड़ियाँ और सूक्ष्म शिराओं आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है।

शल्यविद्या का भी उस समय आश्चर्यजनक विकास हो चुका था। 'सुश्रुत' में शल्यविद्या का बहुत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में शल्यविद्या का विकास आयुर्वेद के जन्मदाता तीन आचार्यों—दिवोदास, भारद्वाज और अश्विनी—का उल्लेख है\*।

महाभारत में भी भोष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्योधन का शल्य निकालनेवाले वैद्यों के लाने का उल्लेख है। विनयपिटक के महावग्ग में लिखा है—“अश्वघोष ने एक भिक्षु के भगंदर रोग पर शल्य-कर्म का प्रयोग किया था।” उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिक्षु आयुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान् हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन महावग्ग में मिलता है। उसने भगंदर, शिरोरोग कामला आदि विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी। भोज-प्रबंध में बंधोष कर शल्य कर्म करने का उल्लेख है। चौर फाड़ के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाए जाते थे, परंतु राजा एवं संपन्न लोगों के लिये स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के भी प्रयुक्त होते थे। यंत्रों के लिये लिखा है कि वे तंज, खुग्दर, परंतु चिकने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले और सुगमता से पकड़ जाने के योग्य होने चाहिएँ। भिन्न भिन्न कार्यों के लिये शस्त्रों की धार, परिमाण आदि भिन्न भिन्न होते थे। शस्त्र कुंठित न हो जायें, इस-लिये लकड़ी के शस्त्रकोश ( Cases ) भी बनाए जाते थे, जिनके ऊपर और अंदर कोमल रेशम या ऊन का कपडा लगा रहता था। शस्त्र आठ प्रकार के—छंद, भेद्य, वेध्य ( शरीर के किमी भाग में से पानी निकालना ), एष्य ( नाड़ी आदि में व्रण का हूँदना ), आर्घ्य ( दाँत या पथरी आदि का निकालना ) विम्लाव्य ( रुधिर

\* यद् यत् दिवोदामाय वर्त्ति भारद्वाजायश्विनाहयंता ।

ऋग्वेद, म० १-१२-१६

† एंश्यंठ सर्जिकल इस्ट्यूमेण्ट्; जि० १ ।

का विखण्डन करना ), सीव्य ( दो भागों को सीना ) और लैव्य ( चेचक के टीके आदि में कुचलना )—हैं । हमारे समय के वाग्भट्ट ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं । सुश्रुत ने यंत्रों ( औजार जो चीरने के काम में आते हैं ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्भट्ट ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित हैं, इसलिये यंत्र-संख्या भी अनिश्चित है; वैद्य अपने आवश्यकतानुसार यंत्र बना सकता है । शस्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी है । इन यंत्रों और शस्त्रों का विस्तृत वर्णन भी उन ग्रंथों में दिया है । अर्श, भगंदर, योनि-रोग, मूत्रदोष, आर्तव दोष, शुक्रदोष आदि रोगों के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे । ब्रणवस्ति, वस्ति-यंत्र, पुष्पनेत्र ( लिग में औषध प्रविष्ट करने के लिये ), शलाका-यंत्र, नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंकु ( जीवित शिशु को गर्भाशय से बाहर करने के लिये ), सर्पमुख ( सीने के लिये ) आदि बहुत से यंत्र हैं । ब्रणो और उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टी बाँधने का भी वर्णन किया गया है । गुदभ्रंश के लिये चर्म-बंधन का भी उल्लेख है । मनुष्य या घोड़े के बाल सीने आदि के लिये प्रयोग में आते थे । दूषित रुधिर निकालने के लिये जोक का भी प्रयोग होता था । जोक की पहले परीक्षा कर ली जाती थी कि वह विपैली है अथवा नहीं । टीके के समान मूर्छा में शरीर को तीक्ष्ण अस्त्र से लेखनकर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था । गतिब्रण ( Sinus ) तथा अर्बुदों की चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग होता था । त्रिकूर्चक शस्त्र का भी कुष्ठ आदि में प्रयोग होता था । आजकल लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइयोंवाले औजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चक है । वर्तमान काल का Tooth-elevator पहले दंतशंकु के नाम से प्रचलित था ।

प्राचीन आर्य कृत्रिम दाँतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बनाकर सीना भी जानते थे । दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता है । मोतियाबिंद ( Cataract ) के निकालने के लिये भी शस्त्र था । कमल-नाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा वमन कराने के लिये होता था, जो आजकल के Stomach Pump का कार्य देता था\* ।

इसी तरह सर्प-विद्या का भी प्रचार कम नहीं था । सिकंदर का सेनापति नियार्कम लिखता है कि यूनानी लोग सर्प-विष दूर करना नहीं जानते, परंतु जो मनुष्य इस दुर्घटना में पड़े, उन सबको भारतीयों ने दुरुस्त कर दिया† । दाहक्रिया और उपवाम-चिकित्सा से भी भारतीय पूर्णतया परिचित थे । शोथ रोग में नमक न देने की बात भी भारतीय चिकित्सक हजार वर्ष पूर्व जानते थे ।

पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी । इस विषय के भी बहुत ग्रंथ मिलते हैं । पालकाप्य कृत 'गजचिकित्सा', 'गजायुर्वेद', 'गजदर्पण' (इसका हेमाद्रि ने उल्लेख किया है), 'गजपरीक्षा', पशु-चिकित्सा बृहस्पति-रचित 'गजलक्षण', 'गोवैद्यशास्त्र', जयदत्त-कृत 'अश्वचिकित्सा', नकुल-लिखित 'शालिहोत्रशास्त्र' 'अश्वतंत्र' (इसका उल्लेख रायमुकुट ने अमरकोष की टीका में किया है), गण-रचित 'अश्वायुर्वेद' (सिद्धयोगसूत्र), 'अश्वलक्षण', 'हयलीलावती' ( मत्तिनाथ ने इसे उद्धृत किया है ) आदि के अनिश्चित भी बहुत से अन्य ग्रंथ मिलते हैं । अधिकांश में ये ग्रंथ हमारे ही समय के हैं ।

\* जो प्राचीन शल्यचिकित्सा के विषय में विशेष दखना चाहें व नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, अंश १, २ में प्रकाशित 'प्राचीन शल्यतंत्र' लेख देखें ।

† वाहच, हिस्ट्री आफ मेडिसिन, पृ० ६ ।

तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसमें निम्न लिखित ग्यारह अध्याय हैं—

- १—घोड़ों की जाति।
- २—उनकी सवारी और उनकी पैदाइश।
- ३—अस्तत्रल का प्रबंध।
- ४—घोड़ों के रंग और जानियाँ।
- ५—उनके दाप।
- ६—उनके अंग-प्रत्यंग।
- ७—उनकी बीमारी और चिकित्सा।
- ८—उनका दूषित रक्त निकालना।
- ९—उनका भोजन।
- १०—उनका दृष्ट पुष्ट व्रतानं कं माधन।
- १—दाँतों से आयु का जानना\*।

पशु-चिकित्सा के साथ साथ पशु-विज्ञान और कृषिशाल्म भी अत्यंत उन्नत था। भारतीय विद्वान् पशुओं के स्वभाव, प्रकृति आदि से पूर्णतया परिचित थे। पशुओं के शरीर-विज्ञान को भी वे भली भाँति जानते

थे। घोड़ों के दाँतों का देखकर उसकी आयु का पता लगाने की प्रथा भारत में पुरानी है। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। भविष्य पुराण से पाया जाता है कि वे वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हैं और अनुमान ६ मास के बाद सर्पिणी २४० अंडें देती है। बहुत से अंडें तो माता-पिता खा जाते हैं और बचे हुए अंडों से दो मास में बच्चे स्वयं निकल आते हैं। मातृके दिन वे काले हो जाते हैं और १५-२० दिन में उनके दाँत निकल आते हैं। तीन महीने में उनमें विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास में सर्प

\* हरविलास साहडा, हिंदू सुपीरिओरिटी, पृष्ठ २२६-२७।

कँचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियाँ होती हैं। डल्लासा ने सुश्रुत की टीका करते हुए लाट्र्यायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह कृमियों और सरीसृपों ( रेगनेवाले जंतुओं ) के विषय में प्रामाणिक विद्वान् है। उसने कृमियों के भिन्न भिन्न अंगों पर भी विचार किया है\*।

हमारे समय के आसपास का जैन पंडित हंसदेव का लिखा हुआ 'मृगपक्षिशाल्' भी अपने विषय का बहुत उपयोगी और प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें सिंहे का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद—सिंह, मृगेंद्र, पंचास्य, हर्यक्ष, केसरी और हरि—बताकर उनकी विशेषताएँ बताई हैं। सिंह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह के लंबी पूँछ और गर्दन पर घने बाल होते हैं, जो कद के छोटे, सुनहरे वर्णवाले और पीछे की ओर कुछ सफेद होते हैं। बदन पर सर्वत्र कोमल बाल रहते हैं। सिंह बदन के बड़े मजबूत और भागने में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर अत्यंत भयंकर और यौवन काल में विशेष कामुक होते हैं। वे प्रायः गुफाओं में रहते और प्रसन्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। इसी तरह अन्य भी शेर के भेदों का विस्तृत वर्णन करने के बाद शेरनी का वर्णन किया गया है। उसके गर्भ, गर्भकाल, स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रंथ में बहुत प्रकाश डाला गया है।

शेर के वर्णन के अनंतर ग्रंथकर्ता हंसदेव ने व्याघ्र, जरख, भालू, गेंडे, हाथी, घेड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, हरिण, गीदड़, बंदर, चूहा आदि अनेक पशुओं और गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौआ, उल्लू, तोता, कोयल आदि नाना पक्षियों का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें उनकी किस्में, वर्ण, युवाकाल, संभोग

योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु तथा उनके भोजन, निवाम संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी का भोजन गन्ना बतलाया है। हाथी की उम्र सब से बड़ो १०० वर्ष बतलाई गई है और चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष\*।

भारतीयों ने ही सब से पहले औपधालय और चिकित्सालय बनाने प्रारंभ किए थे। फाहियान ( ई० स० ४०० ) ने पाटलिपुत्र के एक औपधालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ सब गरीब और असहाय रोगी आकर इलाज कराते हैं; उन्हें आवश्यकतानुसार औषध दिया जाता है। उनके आराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में सब से पहला औषधालय, विमेंट स्मिथ के कथनानुसार, दसवीं सदी में बना था। हुएन्त्संग ने भी तत्तशिला, मतिपुर, मथुरा और मुल्तान आदि की पुण्यशालाओं के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबों और विधवाओं को मुफ्त औषध, भोजन और वस्त्र दिए जाते थे†।

वर्तमान युरोपियन चिकित्सा-शास्त्र का आधार भी आयुर्वेद है। लार्ड एंपथिल ने एक भाषण में कहा था कि मुझे यह निश्चय है कि आयुर्वेद भारत से अरब में और वहाँ से यूरोप में भारतीय आयुर्वेद का गया‡। अरब का चिकित्सा-शास्त्र संस्कृत ग्रंथों यूरोपीय चिकित्सा पर के अनुवाद पर निर्भर था। खलीफाओं ने कई प्रभाव संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन में परिवर्तित होकर अब भी विद्यमान है§। नेशेरवों का समकालीन बर्जोह्येह ( Barzouhyeh )

---

\* यह पुस्तक अभी प्राप्त हुई है और पब्लिश वी० विजयराववाचार्य जी पुरातत्त्वज्ञ, तिरुपति ( मद्रास ) से मिल सकती है।

† नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, पृ० १६-२०।

‡ हरविलास सारडा, 'हिंदू सुपीरियैरिटी'; पृ० २५८

§ वही, पृ० २५६।



भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया था\* । प्रो० साचू के कथनानुसार अलबेरुनी के पास वैद्यक और ज्योतिष विषयक संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद विद्यमान थे । अल्मनसूर ने आठवीं सदी में भारत के कई वैद्यक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया । प्राचीन अरब-लेखक सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्णन किया है† । हास्करशीद ने कई भारतीय वैद्यों को अपने यहाँ बुलाया था । अरब से ही यूरोप में आयुर्वेद गया, यह निश्चित है । उस तरह भारतीय आयुर्वेद का यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा ।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब प्रकार से बहुत उन्नत था । नीचे कुछ विद्वानों की गम्मतियाँ उद्धृत की जाती हैं । लार्ड एम्थिल ने एक भाषण में कहा था—हिंदुओं के कानून बनानेवाले मनु संसार के सबसे बड़े स्वच्छता के सुधारकों में से एक थे । मर विलियम हटर लिखते हैं कि भारतीय औषधशास्त्र शस्त्र विज्ञान के सारे क्षेत्र का वर्णन करता है । इसमें शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी त्रययो, मांसपेशियों, पुट्टों, धमनियों और नाड़ियों का भी विवरण है । हिंदुओं के निबंद में खनिज, जांतव ( Organic ) एवं वनस्पतिज औषधियों का बहुत विशद वर्णन मिलता है । उनकी औषधि-निर्माण-विद्या के तरीके कामिल और ठोठ के हैं, जिनमें औषधियों के वर्गीकरण आदि का बहुत सुंदर वर्णन है । स्वच्छता और पश्यापशय पर भी इसमें विचार किया गया है । प्राचीन भारतीय अंग-हंड करतें थे, रुधिर-स्राव को रोक सकतें थे और पथरी निकालतें थे । अंत्रवृद्धि ( Hernia ), भगंदर, नाड़ी-त्रण एवं अर्श को वे ठोक कर देतें थे । वे मूढ-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूक्ष्म से सूक्ष्म आपरेशन करतें

\* हिस्ट्री आफ हिंदू कमिस्ट्री, भूमिशा भाग, पृ० ७६ ।

† रौले; एश्यंट हिंदू मैडिसिन, पृष्ठ ३८ ।

थे\* । डाक्टर सील लिखते हैं कि विशार्थियों को शिक्षा देने के लिये शक्छेद होता था, तथा गर्भ-विमोचन और मूढ-गर्भ के आप-रेशन भी होते थे । श्रीयुत वेबर भारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—‘आज भी पाश्चात्य विद्वान् भारतीय शल्य-चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कटी हुई नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी’† ।

### कामशास्त्र

भारत में जहाँ भौतिक प्रौढ़ दार्शनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नत थे, वहाँ कामशास्त्र का भी ब्रह्मज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका था । चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष माने गए हैं । धर्म के संबंध में ऊपर कुछ लिखा जा चुका है । कामशास्त्र पर उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन वात्स्यायन-प्रणीत ‘कामसूत्र’ है । वात्स्यायन ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रणेतारों के नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं—श्रीहालकि ( उहालक का पुत्र ) श्वेतकंतु, वाभ्रव्य ( पांचाल ), दत्तक, सुवर्णनाभ, घोटकमुख, गोनर्दीय, कुचुमार आदि । इन सबके ग्रंथों का मार लेकर वात्स्यायन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा । इसमें याग्य, अयाग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री पुरुषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रति को उत्पन्न करने और स्थिर रखने के उपाय बताए गए हैं । पुरुष-स्वभाव से अपरिचित कन्याओं को मनुष्य किन्तु अपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विशद वर्णन मिलता है । पति के प्रति स्त्री के कर्तव्यों तथा गृहस्थ के

इंडियन गेजटियर इंडिया, पृ० २२१ ।

† वेबर, इंडियन लिटरेचर, पृ० २७० ।

योग्य सभी कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सहन और वार्तालाप पर भी प्रकाश डाला गया है ।

कामसूत्र में रज और वीर्य का भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया है । संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, वैशिक और औपरिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं । इस वर्णन से यह पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, उन्नत और वैज्ञानिक था ।

इस ग्रंथ के बाद इस विषय पर कई और पुस्तकें लिखी गईं । हमारे समय के पिछले भाग में ककोक ( कोका पंडित ) नामक विद्वान् ने 'रतिरहस्य' लिखा । आजकल के हिंदी 'कोकशास्त्र' इसी कोका पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त करनाटक के राजा नरसिंह के समकालीन ज्योतिरीश्वर ने 'पंचमायक' लिखा । बौद्ध पद्मश्री का लिखा हुआ 'नागरसर्वस्व' भी इस विषय का अच्छा ग्रंथ है । हमारे समय के बाद भी इस विषय की बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं, जिनका उल्लेख हमने नहीं किया ।

---

## संगीत

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में संगीत शास्त्र में भी बहुत उन्नति की । संगीत में गान, वाद्य और नृत्य का समावेश होता था ।

संगीत साहित्य सामवेद का एक भाग गान है, जो सामगान के नाम से प्रसिद्ध है । वैदिक यज्ञों में प्रसंग प्रसंग पर सामगान होता था । हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व के बहुत से संगीत के विद्वानों—सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप मत्तंग, याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, नारद, तुवरु, विशाखिल, रंभा, रावण, क्षेत्र-राज आदि—के नाम 'संगीत-रत्नाकर' में शार्ङ्गदेव ने उद्धृत किए

( १२६ )

हैं। वे संगीत के पुराने आचार्य माने गए हैं। अपने समय से पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास हो चुका था।

हमारे निर्दिष्ट काल से भी संगीत पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जो आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचार्य शार्ङ्गदेव के 'संगीतरत्नाकर' से लगता है। वह उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त हमारे काल के रुद्रट ( ६५० ई० ), नान्यदेव ( १०६६ ई० ), राजा भोज ( ११ वां शताब्दी ), परमर्दा ( चंदेल, ११६७ ई० ), सोमेश ( ११७० ई० ), जगदेकमल्ल ( ११३८ ई० ), लोल्लट, उद्भट ( ८०० ई० ), शंक्रुक, अभिनवगुप्त ( ६६३ ई० ) और कीर्तिधर तथा दूसरे संगीताचार्यों का भी उल्लेख करता है। 'संगीतरत्नाकर' देवगिरि के यादव राजा सिधण के, जिनका राज्याभिषेक ई० स० १२०७ में हुआ था, दरबार के गायनाचार्य शार्ङ्गदेव ने लिखा था अतएव वह हमारे काल की संगीत की स्थिति का बोधक है। उसमें शुद्ध सात और विकृत वारह स्वर, वाशादि के चार भेद, स्वरों की श्रुति और जाति, ग्राम, मूर्च्छना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण दोष, ताल, नर्तन और इस समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम आदि संगीत-संबंधी अनेक ज्ञातव्य एवं उपयोगी बातों का वर्णन किया गया है, जिनसे हमारे निर्दिष्ट समय के संगीत-ज्ञान की उन्नत अवस्था का पता चलता है।

संगीत के तीसरे अंश नृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण विकास हो चुका था। अष्टाध्यायीकार पाणिनि ( ६०० ई० पूर्व ) के समय में भी शिलाली और कृशाश्व के नट-सूत्र

नृत्य

विद्यमान थे। भरत का नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध है।

उसके अतिरिक्त दंतिल, कोहिल आदि के नाट्य-नियमों के ग्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि

अनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' और पार्वती आदि का सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया।

## राजनीति

राजनीति शास्त्र पर भी कई प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। इसे नीति-शास्त्र या दंडनीति कहा जाता था। अर्थशास्त्र भी पहले नीति-शास्त्र के लिये प्रयुक्त होता था। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र का भी बहुत विकास हो चुका था। 'महाभारत' का शांतिपर्व राजनीति का एक उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रंथ कहा जा सकता है। इस विषय पर सबसे अधिक प्राचीन और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे प्रकाशित हुए अर्थात् १५ वर्ष से अधिक नहीं हुए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके प्रकाशित होते ही भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार नहीं करते। हमारे समय के आमपास कामंदक ने 'नीतिमार' नामक छंदोवद्ध ग्रंथ लिखा। कामंदक ने कौटिल्य को गुरु माना है। दसवीं सदी में मोमदंभ मूरि ने 'नीतिवाक्यामृत' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र ने 'लघुअर्हंत नीतिशास्त्र' नाम से राजनीति पर एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। नीति विषयक इन ग्रंथों में राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के मात्स्यन्याय आदि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य के मात अंग—स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कांप, दंड और मित्र—तथा राजा के कर्तव्य और अधिकार, मंधि और युद्ध आदि अनेक ज्ञातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर विचार किया गया है।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त माहित्य के बहुत से ग्रंथों में राजनीति के उत्तम सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 'दशकुमार-चरित', 'किरा-तार्जुनीय', 'मुद्राराक्षस' आदि मुख्य हैं।



( १७ ) शिव का तांडव नृत्य  
| मद्रास म्यूजियम् |



## कानूनी साहित्य

काव्य, दर्शन, कला-कौशल संबंधी साहित्य के विकास के अतिरिक्त राजनीति और नियम ( कानून, धर्म ) विषयक साहित्य भी बहुत उन्नत था। राजनीतिक दृष्टि से भारत का पर्याप्त उन्नत देखते हुए कानूनी साहित्य का विकास स्वाभाविक जान पड़ता है। भारत की राजनीतिक उन्नति पर आगे चलकर विचार करेंगे।

धर्म शब्द बहुत व्यापक है। अंगरेजी के 'रिलिजियन' और 'ला' (Religion and law) दोनों इसके अंतर्गत हैं। धर्मशास्त्रों में धार्मिक नियम ही नहीं, किंतु राजनीतिक और सामाजिक नियम भी विस्तारपूर्वक लिखे हुए हैं। हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व आप-स्तम्ब और बौधायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गौतम और वशिष्ठ के सूत्र भी बन चुके थे। प्राचीन ग्रंथों में से मनुस्मृति को समान किर्मा ग्रंथ का सम्मान और प्रचार नहीं हुआ। इस पर कई टीकाएँ भी लिखी गईं। हमारे समय की टीकाओं में मेधातिथि ( नवीं शताब्दी ) और गोविंदराज ( ग्यारहवीं सदी ) की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रत्युत बर्मा, जावा और बालि द्वीप में भी हुआ था। हमारे समय के आमपास याज्ञवल्क्य स्मृति बनी। इसमें मनु की अपेक्षा अधिक उन्नत पद्धति मिलती है। इसमें तीन विभाग—आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय—हैं। आचाराध्याय में वर्णाश्रम धर्म, भक्ष्याभक्ष्य विचार, दान, शुद्धि, ग्रहशांति, राजधर्म आदि बातों पर विचार किया गया है। व्यवहाराध्याय में कानून संबंधी सभी बातों का विस्तृत विवेचन है। इसमें न्यायालय और उसके नियम, अभियोग, गवाही, सफाई, ऋण का लोन देना, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, तमस्तुक आदि, दिव्यसाक्षि, उत्तराधिकार-संबंधी प्रश्न, स्त्री के सपत्ति-संबंधी अधिकार, सीमाविवाद-संबंधी निर्णय, स्वामी और सेवकों तथा जमींदारों और



किमानों के पारम्परिक विवाद, वेतन, श्रूत, कठोर वचन कहने, कठोर दंड देने, चेरी, व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अपराध करने पर दंड और सह कारी सधों के नियम तथा कर आदि का अच्छा तरह से विवेचन किया गया है। प्रायश्चित्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार किया गया है। इस उत्तम ग्रंथ की टीका विज्ञानेश्वर (ग्यारहवीं सदी) ने 'मिताक्षरा' नाम से की। मिताक्षरा का उसकी टीका कहने की अपेक्षा उसके आधार पर एक स्वतंत्र ग्रंथ कहना अधिक अच्छा होगा। विज्ञानेश्वर ने प्रत्येक धातु पर बहुत विचार किया है। स्थल स्थल पर उसने हारीत, शंख, देवल, विष्णु, वसिष्ठ, यम, व्यास, बृहस्पति, पराशर आदि अनेक स्मृतिकारों के भी प्रमाण उद्धृत किए हैं। इनमें से कुछ स्मृतियाँ हमारे समय में बनीं। लक्ष्मीधर ने बारहवीं शताब्दी में 'स्मृतिकल्पतरु' नामक एक ग्रंथ लिखा। ये स्मृतियाँ धर्मस्मृतियों का भी काम देती थीं। पिछली स्मृतियों में छूत-छात आदि का प्राधान्य दिया जाने लगा था।

## अर्थशास्त्र

वार्ता ( Economics ) का भी, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहते हैं, पहले कम उन्नति नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके लिये वार्ता नाम मिलता है। युरोप के वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पात्ति (Production), विनिमय (Exchange), वितरण (Distribution), और व्यय (Consumption) मुख्य विषय हैं परंतु पहले केवल उत्पात्ति ही मुख्यतः अर्थशास्त्र समझा जाता था। वार्ता में भी उत्पात्ति का मुख्यता दी जाती थी। कृषि, शिल्प, व्यवसाय और पशुपालन प्राचीन वार्ता के मुख्य अंग थे। व्यापार और कुसीद (Money lending) की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। वार्ता शास्त्र के नाम से हमें कोई

ग्रंथ नहीं मिलता, इससे यह अभिप्राय नहीं है कि इस विषय का कोई ग्रंथ था ही नहीं। आन्वौचित्य, त्रयी और दंडनीति के नाम से भी कोई ग्रंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर भिन्न भिन्न ग्रंथ पाए जाते हैं। इसी तरह वार्ता या अर्थशास्त्र के संबंध में भी उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध में 'पादपविवक्षा', 'वृक्षदाहद', 'वृक्षायुर्वेद', 'शम्यान्द', 'कृषिपद्धति' और 'कृषिमग्रह' आदि ग्रंथ मिलते हैं। भवननिर्माण शास्त्र तथा शिल्प पर 'वास्तुसंख्य', अपराजित 'वान्तुशास्त्र', 'धामादानुकीर्तन', 'चक्रशास्त्र', 'चित्रपट', 'जलसल', 'पत्तिमनुष्यालयलक्षण', 'रथ-लक्षण', 'विमानावचा', 'विमानलक्षण' (यें दोनों ध्यान देने योग्य हैं), 'विश्वकर्माय', 'कौतुकलक्षण', 'नूर्तिलक्षण' प्रतिमाद्रव्यादिवचन', 'मरुलाधिकार', 'मानस्वताय 'शिल्पशास्त्र', 'विश्वविद्याभरण', 'विश्व-कर्मप्रकाश' और 'ममरागणमृत्रधार' ( इसके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है ) के आन्वित 'सर्वाशिल्प' और 'विश्वकर्माय शिल्प' ग्रंथ मिलते हैं। सर्वाशिल्प में शिल्प के लक्षण, भूमिपरीक्षा, भूमिमापन, दिशानिर्णय, धाम और नगर का विस्तार, भवनों के भिन्न भिन्न अंग, दुर्गजिल तिमजिले मकान, द्वार आदि, और विश्वकर्माय शिल्प में मंदिरों, भिन्न भिन्न मूर्तियों तथा उनके आभूषणों आदि पर विचार किया गया है। इन ग्रंथों में से बहुतों का समय अज्ञात या अनिश्चित है, परंतु संभवतः इनमें से अनेक हजार समय के बने हुए होंगे।

रत्नपरीक्षा पर भी भिन्न भिन्न ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से 'रत्नादि-परीक्षा', 'रत्न-परीक्षा', 'मणि-परीक्षा', 'ज्ञानरत्नकोष', 'रत्नदीपिका' और 'रत्नमाला' आदि ग्रंथ मुख्य हैं। धातु-विज्ञान (Metallurgy) भी कम उन्नत नहीं था। इस विषय पर भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं—'लोहरत्नाकर', 'लोहारणव' और 'लोहशास्त्र'। भूमि-मापन ( Survey ) के संबंध में भी एक ग्रंथ 'क्षेत्रगणित-

शास्त्र' मिलता है। नौ-निर्माण ( Ship-building ) पर भी 'नौशास्त्र' आदि ग्रंथ मिलते हैं। व्यापार के संबंध में द्रविड़ भाषा में 'वैश्यारपेरूमई' ग्रंथ मिलता है, जिसमें व्यापार-विषयक बहुत सी उपयोगी बातों का विवेचन किया गया है।

### प्राकृत

पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत भाषा का हमारे निर्दिष्ट समय में बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का राज-दरबारों में समुचित सम्मान होता था। अब यहाँ सत्त्व में प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे।

प्राकृत भाषा का साहित्य हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत उन्नति की अवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत भाषा कई शाखाओं में

विभक्त है। ये विभाग प्रायः देश-भेद या काल-भेद से हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश का विकास लौकिक अर्थान् उस समय की प्रचलित भाषा में

दिए थे, जिसे पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा बहुधा संस्कृत का कुछ बिगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाले लोग बोला करते थे। कई एक विद्वान् उसे पाली भाषा भी कहते हैं और लंका, बर्मा, स्याम आदि देशों के हीनयान बौद्धों के धर्मग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। इसका सब से प्राचीन व्याकरण कच्चायन (कात्यायन) नामक विद्वान् ने बनाया था। अशोक की धर्माज्ञाएँ भी उस समय की प्रचलित प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। संभव है, उनकी मूल प्रतियाँ उस समय की राजकीय भाषा में लिखी गई हों, परंतु उसके राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में भेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने अपने अपने प्रदेश के लोगों के ठीक ठीक समझने के लिये शब्दों में

कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में, कहीं कहीं पर्वतीय चट्टानों, स्तंभों आदि पर खुदवाया। अशोक के समय तक भी प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उन भाषाओं के विकास के साथ उनमें परस्पर अंतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद के अनुसार उनके अलग अलग नाम स्थिर किए गए, जो ये हैं—  
मागधी, शौरसेनी, महारार्षि, पैशार्चा, आर्वंतिक और अपभ्रंश।

मागधी मगध और उसके आसपास के प्रदेशों की जनता की भाषा थी। प्राचीन मागधी अशोक के लेखों में मिलती है। उसके

पीछे की मागधी का कोई ग्रंथ अब तक उप-  
मागधी लब्ध नहीं हुआ साधारणतः संस्कृत के नाटकों में छंटे दर्जे के सेवक, धीवर, मिपाही, विदेशी, जैनसाधु और बच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। 'अभिज्ञान शाकुंतल', 'प्रबोधचंद्रोदय', 'वेणीसंहार' और 'ललितविप्रहराज' आदि में प्रसंगवशान् यह भाषा मिलती है। इस भाषा में भी पीछे से कुछ भेद हो गए, जिनमें मुख्य अर्धमागधी है, जो मागधी और शौरसेनी का मिश्रण होने में ही अर्धमागधी कहलाई। जैनों के आगम नामक धर्म ग्रंथ इर्मी अर्धमागधी में मिलते हैं। 'पउमचरीय' नामक पुराना जैनकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा उदयन की कथा भी इसी भाषा में है।

शौरसेनी प्राकृत शूरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की भाषा थी, और संस्कृत नाटकों में स्त्रियों तथा विद्वपकों के संभाषण

में ( गद्य ) 'रत्नावली', 'अभिज्ञान शाकुंतल'  
शौरसेनी और 'मृच्छकटिक' आदि में उसका प्रयोग मिलता है। इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाटक नहीं मिलता। दिगंबरी जैनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें मुख्य ग्रंथ 'पवयनसार' और 'कत्तिकेयानुपेक्खा' आदि हैं।

महाराष्ट्री प्राकृत का नाम महाराष्ट्र देश से पड़ा । इस भाषा का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था । हाल की महाराष्ट्री ( सप्तशती ), प्रवरसेनकृत 'रावणवहो' ( सेतुबंध ), वाक्पतिराज का 'गौड़वहो' तथा हेमचंद्र का 'प्राकृतद्वयाश्रय' आदि काव्य तथा 'वज्रालम्ब' नामक प्राकृत का सुभाषित ग्रंथ इर्मा भाषा में लिखे गए हैं । राजशंखर की 'कर्पूर-मंजरी' में, जो विशुद्ध प्राकृत का मट्टक है, हरिउद्ध ( हरिवृद्ध ) और नंदिउद्ध ( नंदिवृद्ध ), पतिप आदि प्राकृत लेखकों के नाम मिलते हैं, परंतु उनके ग्रंथों का पता नहीं चला । महाराज भोज-रचित 'कूर्मशतक' तथा दृमरा 'कूर्मशतक', जिनके कर्ता का नाम मालूम नहा हुआ और जो दोनों शिलालेखों पर खुद हुए धार में भोज की बनवाई हुई 'सरस्वती-कंठाभरण' नामक पाठशाला से मिले हैं, महाराष्ट्री से हैं । महाराष्ट्री का एक भेद जैसे महाराष्ट्रा है, जिसमें श्वेतांबरों की कथा, जीवन-चरित आदि के संबंध में ग्रंथ मिलते हैं । जांधपुर राज्य के बटियाला गाव से मिला हुआ मंडांग के प्रतिहार राजा कक्कुका का ई० स० ८६१ का शिलालेख भी इसी भाषा में लिखा गया है ।

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर विभाग की लौकिक भाषा थी । इसका प्रसिद्ध ग्रंथ गुणाक्षर की 'बृहत्-कथा' है, जो अब तक उपलब्ध नहीं हुआ । पैशाची संस्कृत में उसके दो कवितावद्ध मंचित अनु-वाद काश्मीर में हुए, जो चेमेद्र और सोमदेव-द्वारा किए गए थे । आवंतिक भाषा अवंती देश अर्थात् मालवा की थी । इसको चूलिका-पैशाची या भूतभाषा भी कहते थे, जिसका प्रयोग 'मृच्छ-कटिक' आदि में पाया जाता है राजशंखर एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करता है, जिसमें

भूतभाषा ( चूलिका-पैशाची ) के अवंती ( उज्जैन ), पारियात्र (बेतवा और चंबल का निकास) और दशपुर (मंदसोर) में प्रचार होने का उल्लेख है\* । ईसवी सन् पूर्व की दूसरी शताब्दी के आसपास पंजाब में रहनेवाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए अवंती देश पर अपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम मालव प्रसिद्ध हुआ । संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले मालव लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो और समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन होने के कारण उसका नाम चूलिका-पैशाची रखा गया हो । इसको पैशाची का एक भेद ही कहना चाहिए ।

अपभ्रंश भाषा का प्रचार लाट ( गुजरात में ), सुराष्ट्र, त्रवण ( मारवाड़ में ), दक्षिणी पंजाब राजपूताना, अवंती, मंदसोर आदि में था । वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देश की अपभ्रंश भाषा नहीं, किंतु ऊपर लिखी हुई मागधी आदि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश या बिगड़े हुए रूप-वाली मिश्रित भाषा का नाम है । उसका प्रायः भारत के दूर दूर के विद्वान प्रयोग करते थे । राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ और कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं । पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है । इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कवितावद्ध है । इसमें दोहा छंद प्रधान है । इस भाषा का सबसे बृहत् और प्रसिद्ध ग्रंथ 'भविष्यत्तकहा' है, जिसे धनपाल ने दसवीं सदी में लिखा । महेश्वरसूरि-कृत 'सजममंजरी' पुष्पदंत ( पुष्पदंत ) विरचित 'तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकार', नयनंदी निर्मित 'आराधना', योगीन्द्रदेव-लिखित 'परमात्मप्रकाश', हरिभद्र का 'नेमिनाहचरित', वरदत्त-रचित 'वैरसामिचरित', 'अंतरंगसधि', 'सुलसा-

खायन', 'भवियकुटुंबचरित्र', 'संदेशशतक' और 'भावनासंधि' आदि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं\* इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रंथो—सोमप्रभ का 'कुमारपालप्रबोध', रत्नमंदिरमणि की 'उपदेशतरंगिणी', लक्ष्मणगारी-कृत 'सुपामनाहचरियम्', 'दाहाकोष', कालिदास का 'विक्रमोर्वशीय' ( चतुर्थ अंक ), हेमचंद्र-लिखित 'कुमारपालचरित', ( प्राकृत द्वाराश्रयकाव्य ), 'कालकाचार्यकहा' और 'प्रबंधचितामणि' आदि—में स्थल स्थल पर अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो १७५ उदाहरण दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम पड़ता है कि अपभ्रंश में हित्य बहुत विस्तृत और उन्नत था। उन उदाहरणों में शृंगार, वीरता, रामायण और महाभारत के अंश, हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते हैं। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैनियों ने बहुत परिश्रम किया।

प्राकृत भाषा की उन्नति के साथ उसके व्याकरण का भी उन्नत होना आवश्यक था। हमारे समय से कुछ पूर्व वररुचि ने 'प्राकृत-प्राकृत व्याकरण प्रकाश' नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। उसमें लेखक ने महाराष्ट्र, पैशाची, मागधी और शौरसेनी के नियमों का वर्णन किया है। लंकेश्वर-कृत 'प्राकृतकामधेनु', मार्कंडेय-कृत 'प्राकृतमर्वस्व' और चंडकृत 'प्राकृतलक्षण' आदि भी प्राकृत व्याकरण के उत्तम ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध विद्वान् हेमचंद्र ने संस्कृत व्याकरण 'सिद्धहेमचंद्रानुशासन' लिखते हुए उसमें अंत में प्राकृत व्याकरण लिखा। उसमें 'सिद्धांत-कौमुदी' की तरह विषय-विभाग से सूत्रों का क्रम है। हेमचंद्र ने पहले महाराष्ट्र के नियम लिखे। आगे शौरसेनी के विशेष

भविष्यत्कहा, भूमिका, पृ० २२-४६ ( गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में प्रकाशित संस्करण )।

नियम लिखकर लिखा कि 'शेषं प्राकृतवत्'। फिर मागधों के विशेष नियम लिखकर लिखा—'शेषं शौरसेनीवत्'। इसी तरह पेशाची, चूलिका-पेशाची और अपभ्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में सब प्राकृतों को लक्ष्य में रखकर लिखा कि 'शेषं संस्कृतवत्सिद्धम्'। संस्कृत और दूसरी प्राकृतों के व्याकरण में तो उसने अपनी वृत्ति में उदाहरणों की तरह प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अपभ्रंश के अंश में उसने बहुधा पूरी गाथाएँ, पूरे छंद और अवतरण दिए हैं।

प्राकृत भाषा के कई कोष भी लिखे गए धनपाल ने ६७२ ई० में 'पाड्यलच्छानाममाला' लिखा। अवन्तिसुंदरी (राजशंखर की स्त्री) ने प्राकृत कविता में आनेवाले देशी शब्दों का कोष बनाया था और उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। यह कोष अब उपलब्ध नहीं है। हेमचंद्र ने अपने कोष में उसका मत भी उद्धृत किया है। हेमचंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संग्रह का 'देशीनाममाला' नामक ग्रंथ लिखा। कविताबद्ध होने के अतिरिक्त उमकं शब्द अकारादिक्रम से रखे गए हैं और उनमें भी पहलें दं दं अक्षरों के, फिर तीन तीन के, तदनंतर चार चार अक्षरों के शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी कोष है। पाली का भी एक कोष मौगलायन ने 'अभिधानपदीपिका' नाम से १२०० ई० के करीब लिखा, जिसमें अमरकोष की शैली का अनुकरण किया गया है।

## दक्षिण भारत की भाषाएँ

उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य का विवेचन करने के बाद दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं का वर्णन करना भी आवश्यक है। द्रविड़ भाषाओं के साहित्य में हमें विरल सामग्री नहीं मिलती, इसलिये हम बहुत संक्षेप से इन पर विचार करेंगे।



दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में सबसे मुख्य और प्रथम तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में बोली जाती है। इसकी प्राचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से तामिल नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन व्याकरण 'तोलकाप्पियम' है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाओं के आधार पर ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास था। इस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ 'नालदियार' मिलता है। यह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, अब इसके कुछ अंश ही रह गए हैं। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिरुवल्लुकर का 'कुरल' है, जो वहाँ वेद की तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें तीनों वर्गों, धर्म, अर्थ और काम के संबंध में अत्यंत उपयोगी उपदेश हैं। वह तामिल साहित्य का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का अन्त्यज माना जाता है और संभवतः वह जैन था। किसी अज्ञात कवि कृत 'चित्तमणि', कंबन-कृत 'रामायणम्', 'दिवाकरम्', 'तामिलव्याकरण' आदि भी इसी भाषा के हमारे समय के ग्रंथ हैं। इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं—पोडक्यार-कृत 'कळवळिनाडपट्टु' ( सातवीं सदी के आसपास), जयकौंडान लिखित 'कलिंगत्तुपरणा' ( ग्यारहवीं शताब्दी ), 'विक्रम शालनुला' ( बारहवीं सदी ) और 'राजराजनुला' ( बारहवीं सदी ) \* । इस साहित्य को प्रायः जैनियों ने ही बढ़ाया फिर वहाँ शैव धर्म का प्रचार हो गया ।

तामिल लिपि के अत्यंत अपूर्ण होने के कारण उनमें संस्कृत भाषा नहीं लिखी जा सकती थी, इसलिये उसके लिखने के लिये नई 'ग्रंथलिपि' का निर्माण किया गया जिसमें सब ग्रंथ लिखे जाने लगे ।

\* मेरी, भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सप्तमि, पृ० २६-३० ।

मलयालम् के साहित्य ने भी तामिल कविता का अनुकरण किया, परंतु इसमें शीघ्र ही संस्कृत शब्दों की बहुलता आ गई । इसका हमारे निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो ।

तामिल-साहित्य की भाँति कन्नड़ी भाषा के साहित्य को भी जैनियों ने अधिक उन्नत किया । इसके साहित्य में काव्य, अलंकार

कन्नड़ी

तथा व्याकरण आदि के ग्रंथ मिलते हैं ।

दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ( प्रथम )

ने नवौं शताब्दी में अलंकार विषय पर 'कविराजमार्ग' लिखा । साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त जैन, लिगायत, शैव और वैष्णवों के सांप्रदायिक ग्रंथ भी इस भाषा में मिलते हैं । इनमें मुख्य ग्रंथ लिगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बसव का बनाया हुआ 'बसव-पुराण' है । सोमेश्वर का 'शतक' भी एक अच्छा ग्रंथ है । कवि पंप का 'पंपभारत' या 'विक्रमार्जुनविजय' भी हमारे समय का काव्य है और दुर्गसिंह-कृत 'पंचतंत्र' का अनुवाद भी हमारे समय में हुआ । इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ\* ।

तैलगू आंध्र प्रांत में बोली जाती है । इसके साहित्य पर भी संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा । इसका प्राचीन साहित्य अधिक

तैलगू

उपलब्ध नहीं हो सका । पूर्वी सोलंकी राजा

राजराज ने ग्यारहवीं शताब्दी में अन्य विद्वानों

की सहायता लेकर ननियभट्ट ( नन्नप्प ) से 'महाभारत' का अनुवाद इस भाषा में कराया† ।

\* इम्पीरियल गैज़ेटियर, जिल्द २, पृ० ४३४-३७

† एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ५, पृ० ३२ ।

## शिक्षा

संपूर्ण साहित्य के मत्सिम वर्णन के बाद तत्कालीन शिक्षा, शिक्षापद्धति और शिक्षणालयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है।

हमारे समय के प्रारंभ में शिक्षा का सर्व माधारण में बहुत प्रचार था। गुप्त राजाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया। उस समय भारतवर्ष संसार के सब देशों में सब से अधिक शिक्षित था। चीन, जापान और सुदूर पूर्वी देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थी भारत में आया करते थे। बौद्ध आचार्य तथा हिंदू तपस्वी और संन्यासी शिक्षा देने में विशेष भाग लेते थे। उनका प्रत्येक संघाराम या मठ एक एक शिक्षणालय बना हुआ था। प्रत्येक बड़े शहर में कई संघाराम होते थे। हुएन्त्संग लिखता है कि कनौज में ही कई हजार विद्यार्थी संघारामों में पढ़ते थे। मथुरा में २००० विद्यार्थी अध्ययन करते थे।

चीनी यात्रियों के वर्णनों से पता लगता है कि भारत में ५००० मठ या विद्यालय थे, जिनमें २१२१३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्त्संग ने भिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायों के मठों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी दी है\*। विद्वान् ब्राह्मणों के घर और जैन यतियों के उपाश्रय भी छोटी छोटी पाठशालाओं का काम देते थे। राजाओं की तरफ से भी विद्यालय स्थापित थे। इस तरह प्रायः जगह जगह संपूर्ण भारत में छोटे बड़े शिक्षणालय विद्यमान थे, जिनसे शिक्षा का प्रचार बहुत होता था।

केवल छोटे छोटे शिक्षणालय ही नहीं, किंतु आजकल के विश्व-विद्यालयों की समता करनेवाले बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी होते थे।

ऐसे विश्वविद्यालयों में नालंद, तक्षशिला, विक्रमनालंद विश्वविद्यालय शील, धनकटक (दक्षिण में) आदि के नाम मुख्य हैं। हुएन्त्संग ने नालंद विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन

\* राधाकुमुद मुकर्जी, हर्ष—पृ० १२४-२७।

किया है, जिसका मारांश हम यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे तत्कालीन शिक्षणालयों के विषय में कुछ ज्ञान हो जाय ।

प्रारंभ में नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शक्रादित्य ने बनाया था, उसके पीछे के राजाओं ने भी उसे बहुत सहायता दी । नालंद विश्वविद्यालय के अधिकार में २०० से अधिक गाँव थे, जो अनेक राजाओं ने दान दिए थे । इन्हीं गाँवों की आय से उसका व्यय चलता था । यहाँ १०००० विद्यार्थी और १५०० अध्यापक रहते थे । सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये आते थे । चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ बने हुए थे । बीच बीच में सभागृह और विद्यालय थे । उनके चारों ओर बौद्ध-शिक्षकों और प्रचारकों के निवास के लिये चौमंजिली इमारतें थीं । रंग बिरंगे दरवाजों, कड़ियों, छतों और खंभों की सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते थे वहाँ कई बड़े बड़े पुस्तकालय और छोटे बड़े विद्यालय थे । विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, किंतु उलटें उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु - भोजन, वस्त्र, औषध और निवासस्थान आदि—मुफ्त दी जाती थी । उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को एक अच्छा कमरा और छोटी श्रेणी के विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता था\* ।

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, गणित, ज्यामिति, तर्कशास्त्र ( हेतुविद्या ) व्याकरण, वैद्यक आदि अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी वहाँ ग्रह, नक्षत्र आदि देखने का भी बड़ा भारी स्थान था । वहाँ की जलघड़ी मगधवासियों को समय का परिचय देती थी । उसमें प्रविष्ट होने के लिये एक परीक्षा भी देनी पड़ती थी । यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी, जिसमें बहुत से विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १०००० विद्यार्थियों का होना आश्चर्य

\* बी.ए. बुद्धिस्ट रेकर्ड्स आफ दी वेस्टर्न चर्च, जिन्द २ पृष्ठ १६०-६१ ।

की बात है। इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। हर्ष ने अपनी परिपद् के उत्सव में नालंद से १००० विद्वान् बुलाए थे। मुसलमानों के समय में इस महत्त्वपूर्ण और उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ।

भारत में तत्तशिला का विश्वविद्यालय सब से प्राचीन था। पतंजलि, चाणक्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे।

यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा था। इसमें तत्तशिला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रारंभ करने की आयु सोलह वर्ष की थी। प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 'महासुतसोमजातक' में एक आचार्य से पढ़नेवाले १०० से अधिक राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते और रात को पढ़ते थे। कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पढ़ने के बाद फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे। विद्यार्थियों के जीवन और आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकों से पता लगता है कि यहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ ये हैं—वेद, अठारह विद्याएँ ( नही कहा जा सकता किये कौन सी थीं ), व्याकरण, शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तविद्या, मंत्रविद्या और चिकित्साशास्त्र। चिकित्सा शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलन तथा देशदेशांतर के रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे। इसके कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भी मुसलमानों के समय में नष्ट हुआ।

इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिक्षाक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया है। साधारणतः उत्कृष्ट विद्वान् होने के लिये सबसे

पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिंग ने व्याकरण के कई ग्रंथों का भी वर्णन किया है। पहले नवीन बालकों को छः वर्ष की आयु में वर्णबोध की सिद्ध रचना (सिद्धिरस्तु) पढ़ाई जाती थी। इसमें छः मास लग जाते थे। इसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी रटाई जाती थी, जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे। तदनंतर धातुपाठ, जो अनुमान १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस वर्ष की अवस्था में नामों और धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का अध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष में समाप्त हो जाता था। तत्पश्चात् जयादित्य और वामन की 'काशिकावृत्ति' की अच्छी तरह शिक्षा दी जाती थी। इत्सिंग लिखता है कि भारत में अध्ययन करने के लिये आनेवालों का इस व्याकरण ग्रंथ का पहले पहल अध्ययन आवश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल होगा। ये सब ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिएँ। इस वृत्ति का अध्ययन कर चुकने के पश्चात् विद्यार्थी गद्य और पद्य की रचना प्रारंभ करते थे और हेतुविद्या तथा अभिधर्म कोष में लग जाते थे। 'न्याय-द्वार-तारक शास्त्र' (नागार्जुन की बनाई हुई हेतुविद्या की भूमिका) के अध्ययन से वे ठीक तौर पर अनुमान कर सकते थे और 'जातकमाला' के अध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती थी। इतना पढ़ चुकने पर विद्यार्थियों का विवाद करने की भी शिक्षा दी जाती थी, परंतु अभी व्याकरण का अध्ययन समाप्त नहीं होता। इसके बाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था। प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष में सीख लेता था। इसके अनंतर भर्तृहरि की 'महाभाष्य की टीका' और 'वाक्यप्रदीप' पढ़ाई जाकर उन्हें 'पंडित' (संभवतः संस्कृत की बेडावृत्ति) की शिक्षा दी जाती थी। मूल ग्रंथ भर्तृहरि ने ३००० श्लोकों में लिखा, जिसकी टीका धर्मपाल ने १४००० श्लोकों में की

थी । इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पारंगत विद्वान् हो जाता था । हुएन्त्संग ने भी शिक्षाक्रम दिया है । व्याकरण का पंडित होने के बाद मंत्रविज्ञान, हेतुविद्या और ज्योतिष का अध्ययन कराया जाता है । इसके बाद वैशक की शिक्षा दी जाती है । तत्पश्चात् न्याय पढ़ाया जाता है और सब से अंत में अध्यात्म विद्या । इतिहास लिखता है “आचार्य जिन के पश्चात् धर्मकीर्ति ने हेतुविद्या को सुधारा और गुणप्रभ ने ‘विनयपिटक’ के अध्ययन को दुबारा लोकप्रिय बनाया\*” । यह क्रम केवल उत्कट विद्वान् बनने के लिये था । साधारण विद्यार्थी इस क्रम से अध्ययन नहीं करते थे । वे अपना अभीष्ट विषय पढ़कर अपना सांसारिक कार्य करते थे । धर्मों की शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाती थी । यह आश्चर्य की बात है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी ।

शिक्षण विधि भी बहुत उत्तम थी । हुएन्त्संग लिखता है कि प्रत्येक विषय के प्रकांड विद्वान् अध्यापक विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती कोई बात प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ अधिक ध्यान देते हैं । वे सुस्त विद्यार्थियों को अन्धों तरह पढ़ाते हैं और मंदबुद्धि विद्यार्थियों को तीक्ष्ण बुद्धि कर देते हैं ।

विद्वानों में परस्पर शास्त्रार्थ की प्रथा बहुत प्रचलित थी । इससे साधारण जनता को भी बहुत लाभ पहुँचता था । वह बहुत से सिद्धान्तों से परिचित हो जाती थी ।

यह शिक्षाक्रम प्रायः हमारे संपूर्ण काल तक प्रचलित रहा था। बहुत परिवर्तन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धान्तों में

\* टाकाकुसु, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेज इन इंडिया, पृ० १२५-२७, वाटर्स और युवनस्वांस ट्रेवल्स, जि० १, पृ० १५१-१५२ ।

† वाटर्स और युवनस्वांस ट्रेवल्स, जि० १, पृ० १६० ।

( १४७ )

कोई परिवर्तन हुआ हो, यह मालूम नहीं होता । बड़े बड़े विश्व-विद्यालयों के शिक्षाक्रम का प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से पड़ता था । यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों में यह शिक्षाक्रम उक्त रूप में नहीं था । उनकी पाठशालाओं में साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा कि आजकल काशी आदि में पाया जाता है ।





तृतीय व्याख्यान  
शासन, शिल्प और कला



## तृतीय व्याख्यान

### शामन, शिल्प और कला

प्राचीन भारत में राजनीति और शामन-पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था। हमारे देश में भी राजा के अधिकार किसी प्रकार नियंत्रित थे यह भी कई प्रजातंत्र राज्य थे, जिनको गणराज्य भी कहते थे। कई राज्यों में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकता था। प्रजा की आवाज सुनी जाती थी। शामन-प्रबंध बहुत उत्तम होता था।

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं। हर्ष के राज्य-काल के ताम्रलेखों, हर्षचरित और ह्युएन्त्संग के वर्णन से तात्कालिक शामन-पद्धति का कुछ पता लगता है। राजा उस समय सर्वोपरि नहीं था। उसकी मंत्रिपरिषद् होती थी, जिसके हाथ में वस्तुतः राज्य की प्रायः सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का प्रधान सचिव भंडि था। राज्यवर्धन के मारे जाने पर भंडि ने त्रिपरिषद् की बैठक बुलाकर देश की स्थिति समझाई और कहा कि 'राजा का भाई हर्ष कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयालु है। प्रजा उस पर विश्वास करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया जाय। प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सम्मति दें'। सब मंत्रियों ने

इस पर सहमत होकर हर्ष से राजा बनने की प्रार्थना की। इससे जान पड़ता है कि मंत्री-परिषद् का शासन में बहुत अधिकार था। भिन्न भिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें साधिविग्रहिक, रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का प्रबंधकर्ता ), अक्ष-पटलाधिपति ( आय व्यय का हिमाब रखनेवाला ) आदि मुख्य हैं। राजा का मुख्य कार्य शासन करना था। वह मंत्री-परिषद् से सलाह लिया करता था। राजा का कर्त्तव्य प्रजा में शांति रखना और उसकी रक्षा करना था। हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन दयायुक्त नियमों पर अवलंबित था। प्रजा पर किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाती थी। क्षत्रिय लोग बहुत पीढ़ियों से शासन कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजोपकार और दया है\* ।

एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी और प्रजाहितैषी शासक ( Benevolent Monarch ) था। उस समय ब्राह्मणों

राजा के कर्त्तव्य तथा धर्मगुरुओं का प्रभाव राजा पर बहुत होता था। वह राज्य की सब प्रकार की क्रियाओं और चेष्टाओं ( Activities ) का उत्तरदाता था। वह केवल प्रजा के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नहीं देता था, किंतु प्रजा की धार्मिक और शिक्षा-संबंधी अवस्था पर भी लक्ष्य रखता था। बहुत से राजाओं ने धार्मिक उन्नति में विशेष भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने शिक्षा की उन्नति के लिये भी विशेष प्रयत्न किया। उनके दरबार में बड़े बड़े कवियों और विद्वानों का आश्रय दिया जाता था। जब कभी कोई कवि एक उत्कृष्ट ग्रंथ तैयार करता, तो राजा दूसरे नरेशों के दरबारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान् प्रतिनिधि बुलाता था। काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मख-रचित 'श्रीकंठचरित' सुनने

के लिये कन्नौज के गोविन्दचंद्र के दरवार से सुहल और उत्तरी कोंकण के राजा अपरादित्य के दरवार से तेजकंठ आदि विद्वान् भेजे गए थे। प्रायः प्रत्येक दरवार में कुछ कवि तथा विद्वान् रहते थे, जिनका वहां पूर्ण सम्मान होता था। राजा लोग उन्हें नए नए ग्रंथ लिखने के लिये भी उत्साहित करते थे।

शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों में बँटा हुआ था। मुख्य विभाग भुक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) और ग्राम थे। सबसे मुख्य संस्था ग्राम-संस्था थी।

ग्राम-संस्था

बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में ग्राम संस्थाओं का प्रचार था। ग्राम के लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य करती थी। केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था। ये ग्राम-संस्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं इनमें प्रजा का अधिकार था। मुख्य सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं।

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का विस्तृत परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानाभाव से संक्षिप्त वर्णन ही देंगे। शासन कार्य में राजा की सहायता देने के लिये पाँच समितियाँ होती थीं। इनके अनिरिक्त जिलों में तीन सभाएँ होती थीं। ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्मिलित होने थे। व्यापारियों की सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थी। चोल राजराज ( प्रथम ) के शिलालेख में १५० गाँवों में ग्राम-सभाओं के होने का पता लगता है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बड़े बड़े भवन होते थे, जैसे तजोर आदि में बने हुए हैं। साधारण गाँवों में बड़े बड़े बट-वृक्षों के नीचे सभाओं के अधिवेशन होते थे। ग्राम-सभाओं के दो रूप—विचार-सभा और शासन-सभा—रहते थे। संपूर्ण सभा के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर दिए जाते थे। कृषि और उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के लिये भिन्न भिन्न

समितियों थीं । एक समय एक तालाब में पानी अधिक आने के कारण ग्राम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर ग्राम-सभा ने तालाब-समिति को उसका सुधार करने के लिये बिना सूद रूपया दिया और कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था, तो उससे भूमि छीन ली जाती थी । ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी भूमि बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज अपने पास रखती थी । सारा हिमाव-किताब ताडपत्रादि पर लिखा जाता था । सिचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था : जल का कोई भी स्रात व्यर्थ नहीं जाने पाता था । नहरों, तालाबों और कुओं की मरम्मत समय समय पर होती थी । आय-व्यय के रजिस्ट्रो का निरीक्षण करने के लिये राज्य की ओर से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे\* ।

चोल राजा परांतक के समय के शिलालेख से ग्राम सभाओं की निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है । उसमें ग्राम-सभा के सभ्यों की योग्यता अयोग्यता संबंधी नियम, सभ-ओं के अधिवेशन के नियम, सभ्यों के सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का निर्माण, आय-व्यय के परीक्षकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया गया है । चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती थी कि लोग ठाकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़ में डाल-देते थे, सबके सामने वह घड़ा खोलकर उम्मीदवारों के मत गिने जाते थे और अधिक मत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था† ।

\* वित्तयकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्ट्रुक्शंस एंड थ्योरीज आफ दी हिंदूज; पृ० २३-२६ ।

† आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, एन्युअल रिपोर्ट १९०४-५, पृ० १४२-४५ ।

इन संस्थाओं का भारत की जनता पर जो सबसे अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी। राज्य में चाहे कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो जायें, परंतु पंचायतों के वैसे ही रहने से साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता था। जन साधारण को परतंत्रता का कटु अनुभव कभी नहीं होता था। इतने विशाल देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लिये यह कठिन भी है कि वे गांवों तक की सब बातों की तरफ ध्यान रख सकें। भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, परंतु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया।

शहरों में म्यूनिसिपैलिटिया या नगर-सभाएँ भी होती थीं, जो नगर का पूर्ण प्रबंध करती थीं।

शामन और न्याय के नियम पर्याप्त कठोर थे। अगच्छंद, देशनिर्वासन, जुर्माना और कारागार आदि दंड प्रचलित थे\*। हर्ष के जन्म पर कैदियों के छोड़े जाने का उल्लेख वाण ने किया है। याज्ञवल्क्य ने कई कठोर एवं क्रूर दंडों के देने का वर्णन किया है। ब्राह्मणों को विशेष कठोर दंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग के लिये एक विशेष अधिकारी रहता था, जिसके नीचे भिन्न भिन्न प्रांतों और स्थानों में अन्य अधिकारी रहते थे। याज्ञवल्क्य ने न्याय के बहुत से नियमों का वर्णन किया है, जिमसे पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था कितनी उन्नत और पूर्ण थी। अभियोगों में लिखित और मौखिक साक्षियों की परीक्षा की जाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि सब बातों में इतनी उन्नति होती हुई भी दिव्यसाक्षात् (Ordeals) की क्रूर प्रथा विद्यमान अवश्य थी†, परंतु बहुत ही कम उपयोग में आती थी।

\* वाट्स आन पुधनचवांग्ना ट्रेवल्स, जिल्द १, पृ० १७२।

† वही; पृ० १७२; अलबेरुनीन इंडिया, जि० २, पृ० १२८-२९।



कानून में स्त्रियों की भी राजनीतिक स्थिति स्वीकृत की जाती थी । उत्तराधिकार-संबंधी नियमों में स्त्री की संपत्ति का भी अच्छा विवेचन किया गया है । पुत्र के न होने पर लड़की ही पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी । अपने पितृ-गृह की ओर सँ मिलनेवाले धन पर स्त्री का पूर्ण स्वत्व रहता था । मनु ने भी इसका उल्लेख किया है\* ।

राज्य की ओर से व्यापार और व्यवसाय की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था । कारीगरों की रक्षा के लिये विशेष नियम बने हुए थे । यदि कोई व्यापारी अनुचित उपायों द्वारा वस्तुओं का मूल्य आदि बढ़ा देता या वाट और नाप कम या अधिक रखता तो उसे दंड मिलता था ।

उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के नामों से मिलता है । राजा या सम्राट् के नीचे बहुत से छोटे छोटे

शासन-प्रबंध राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासामंत आदि उपाधियाँ मिलती थी । ये राजा सम्राट् के दरबार में उपस्थित होते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से विदित होता है । कभी जागीरदार भी ऊँचे पदों पर पहुँच जाते थे । प्रांत के शासक को 'उपरिक महाराज' कहते थे । कई शिलालेखों में प्रांतीय शासकों के गोत्रा, भोगिक, भोगपति, राजस्थानीय आदि नाम भी मिलते हैं । प्रांतीय शासक, विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता था, जिसे विषयपति या आयुक्त कहते थे । विषयपति अपने जिले के मुख्य स्थान में, जिसे अधिष्ठान कहते थे, अपना अधिकरण या दफ्तर रखता था ।

प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित आज्ञाएँ जाती थी । एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी ठाँक मानी जाती

विनयकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी आफ दी हिंदूज, पृ० २७-३० ।

थीं, जब कि उन पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताक्षर और तत्संबंधी सब क्रियाएँ ठाक हों\* । राजा की तरफ से दी गई तमाम सनदों पर राजमुद्रा की छाप होती थी, यहाँ तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी हुई और ताँबे पर ढली हुई बड़ी बड़ी राजमुद्राएँ मिलती हैं, जिनमें कहीं कहीं राजा के पूर्वजों की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी मुद्राओं में कन्नौज के रघुवशी प्रतिहार राजा भोजदेव तथा मोखरी शर्ववर्मा आदि की मुद्राएँ उल्लेखनीय हैं ।

स्थानीय सरकारों के भिन्न भिन्न कर्मचारियों के नाम भी शिलालेखों में मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ यहाँ देते हैं, जैसे महत्तर ( ग्राम-सभा के मध्य ), ग्रामिक ( ग्राम का मुख्य शासक ), शौल्किक ( कर लेनेवाला कर्मचारी ), गौल्मिक ( किलो का अध्यक्ष ), ध्रुवाधिकरण ( भूमि-कर लेनेवाला ), भांडागाराधिकृत ( कोषाध्यक्ष ), तलवाटक ( ग्राम का हिसाब रखनेवाला ) । कुछ छोटें छोटें कर्मचारियों के नामों का उल्लेख भी मिलता है । वर्तमान क्लर्क के नाम 'दिविर' और 'लेखक' थे । 'करणिक' आजकल के रजिस्ट्रार का काम करता था । इन कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरों भी बड़े बड़े कर्मचारी रहते थे । दंडपाशिक, चौराद्वारणिक आदि पुलिस के कर्मचारियों के नाम थे ।

राज्य की आय कई विभागों से होती थी । सबसे अधिक आय भूमि-कर से थी । भूमि-कर उपज का छठा हिस्सा होता था । किसानों

\* मुद्राशुद्ध क्रियाशुद्ध भुक्तिशुद्धं नचिह्नकम् ।

राज्ञः स्वहस्तशुद्धं च शुद्धिमाप्नोति शासनम् ॥

शिलारावशी राजा रठराज का शक संवत् ६३० ( वि० सं० १०६५ ) का दानपत्र । एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ३, पृ० ३०२ ।

। चितामाण विनायक वैद्य, हिरटी आफ मिडिपुवळ इंडिया; जि० १, पृ० १२८-४१, राधाकुमुद मुकजी, हर्ष; पृ० १०३-१२ ।

पर भी एक आध और कर लगता था। ये कर अनाज के रूप में लिए जाते थे। मंडपिका (चूंगी कर) भी कई पदार्थों पर लगता था।

आय-व्यय

बंदरगाहों पर भी आनेवाले माल पर तथा दूसरे राज्य से अपनी सीमा में आनेवाले माल पर आयात कर लगता था। घृत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। नमक तथा खानों पर भी कर लगाया जाता था\*, परंतु ये कर भारी नहीं थे जैसा कि हुएन्त्संग का कथन है। उसने राजकीय आय का चार भागों में व्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग मार्बजनिक कार्यकर्ताओं के लिये खर्च होता था, तीसरा भाग शिक्षा-विभाग के लिये और चौथा भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को सहायता देने के लिये रहता था†।

खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया जाता था। सरकार की ओर से भूमि को नापा जाता था। कई शिलालेखों में मानदंड, 'निवर्तन' 'पदावर्त' आदि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की नफ से लंबाई का 'मापक' निश्चित था। नारमेश्वरीय हस्त भी एक परिमाण होता था। ग्रामों की सीमाएँ निश्चित की जाती थीं। ग्राम पर कर लगता था। ग्रामों के साथ गोचर-भूमि छोड़ी जाती थी। जागीर या इनाम में मिले हुए गाँवों पर कोई कर नहीं लगता था। राज्य की ओर से तेल के बाटों का भी निरीक्षण किया जाता था‡।

\* राधाकुमुद मुखोपाध्याय, हर्ष, पृ० ११२-१३।

† वाटर आन युवनच्चांगस ट्रेवल्स; जि० १, पृ० १७६-७७।

‡ चिंतामणि त्रिनायक वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जि० १, पृ० १३३, जिल्द २, पृ० २४०।

राज्य की ओर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत ध्यान रहता था । नगरों में धर्मशालाएँ और कुएँ बनाए जाते थे ।

सार्वजनिक कार्य गरीब रोगियों के लिये औपधालय भी राज्य की ओर से स्थापित किए जाते थे । मड़कों पर भी यात्रियों के आराम के लिये वृक्ष, जलाशय प्रादि के प्रबंध किए जाते थे । राज्य की ओर से शिक्षणालयों का विशेष सहायता दी जाती थी ।

इस शासन-प्रबंध के अतिरिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था भी कम उन्नत नहीं थी । सैनिक विभाग शासन-प्रबंध में बिलकुल पृथक् था । प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई अधिकार नहीं था, उनके अधिकारी बिलकुल स्वतंत्र

रहते थे । प्रायः हर समय युद्ध आदि की संभवना के कारण सेनाएँ काफी बड़ी रहती थीं । हर्ष की सेना में ६०००० हाथी और १००००० घोड़े थे । हुएन्त्संग ने हर्ष की सेना चार प्रकार की— हाथी, घोड़े, रथ और पदाति—बताई है\* । घोड़े भिन्न भिन्न देशों से मँगवाए जाते थे । बाण ने कांग्राज, वनायुज, सिधुज, पारसीक आदि घोड़ों की जातियों के नाम दिए हैं । पीछे से शनैः शनैः रथों का प्रचार कम होता गया ।

इन चार प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत सुसंगठित और व्यवस्थित थी । जिन राज्यों की सीमा पर बड़े बड़े दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे । समुद्रों तट के राज्यों का भी नौ-सेना रखने की आवश्यकता थी । हुएन्त्संग ने अपनी यात्रा के प्रसंग में जहाजों का वर्णन किया है । मलाया, जावा, बाली आदि द्वीपों में हिन्दुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे भी जल-सेनाओं के सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है । चोल राजा बहुत शक्ति-

शाली जल-सेना रखते थे। राजराज ने चेर-राज्य का जंगी बेड़ा नष्ट कर लंका को अपने राज्य में मिला लिया था। राजेन्द्र चोल का जंगी बेड़ा निकोबार और अंडमन द्वीपों ( आजकल का काला पानी ) तक पहुँचा था। स्ट्रैबो ने भारतीय सेना में जल-सेना के होने का उल्लेख किया है। जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से थी। मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना का वृत्तांत लिखा है। भिन्न-भिन्न सेनाओं के लिये भिन्न-भिन्न अफसर होते थे। संपूर्ण सेना के अधिकारी को 'महासेनापति', 'महाबलाध्यक्ष' या 'महाबलाधिकृत' कहते थे। 'भद्रश्व सेनापति', पैदल और घोड़ों की सेना के अध्यक्ष को कहते थे। घोड़ों की सेना के अध्यक्ष को 'वृहदश्ववार' कहते थे। युद्ध-विभाग के कोषाध्यक्ष को 'रणभांडागाराधिकरण' कहते थे। काश्मीर के इतिहास में एक 'महासाधनिक' का पता लगता है, जो युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करता था\*।

सेना के सिपाहियों को वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के अन्य कर्मचारियों को अनाज के रूप में दिया जाता था। स्थिर सेना ( Standing army ) के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी सेना की भी व्यवस्था की जाती थी। कई राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भरती किए जाते थे।

उपर्युक्त शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में राजनीतिक स्थिति एक सा ही नहीं रहा। इसमें बहुत परिवर्तन तथा शासन-वृद्धि में हुए। हम संक्षेप में उन परिवर्तनों पर कुछ परिवर्तन विचार करते हैं।

त्रिंतामणि विनायक वैद्य, हिस्ट्री ऑफ मिडिलवेल इंडिया, जि० १  
पृ० १४२-४५।

† राधाकुमुद मुकर्जी; हर्ष, पृ० ६७-६८।

पिछले समय में भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं रही। छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे। हर्ष और पुलकेशी के बाद तो इन दोनों का राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। सोलंकी, पाल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ आदि कई वंश अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों में विभक्त होने से उनकी शक्तियाँ बिखर गईं। भारत में एक राष्ट्रीयता का भाव प्रबल रूप से नहीं था। इन राज्यों के पारस्परिक युद्धों से देश की शांति नष्ट होती रही। इसका स्वाभाविक परिणाम देश की शामन पद्धति तथा अन्य राजकीय समस्याओं पर पड़ा। सब राजा शनैः शनैः अधिक स्वतंत्र और उच्छृंखल होते गए। देश के शामन की ओर उनका अधिक ध्यान न रहा। प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगी। राजाओं को सेना की विशेष आवश्यकता होने पर उन्होंने प्रजा पर अधिक कर लगाए। राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था। कोई जनमना या क्रमागत मन्त्रि-परिषद् नहीं थी। इस समय तक राज्य के पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवीं और बारहवीं सदी के शिलालेखों में राजामात्य, पुरोहित, महाधर्माध्यक्ष, महामाधिविग्रहिक, महासेनापति, महामुद्राधिकृत ( राजमुद्रा का रक्षक ), महाचपटलिक और महाभोगिक आदि अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिनसे विदित होता है कि शामन-प्रबंध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। इन अधिकारियों में 'महा' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि इनके अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे\*। रानी और युवराज भी शामन में भाग लेते थे। कुछ राज्यों में छोटे छोटे कर बढ़ा दिए गए। पिछले राजाओं के समय में कई कर लगाने का

\* चिंतामणि विनायक वैद्य; हिस्ट्री आफ सिडिपत्रल इंडिया; जि० ३, पृ० ४५३-५४।

उल्लेख मिलता है। भूमि और कृषि आदि की भी व्यवस्था पूर्ववत् थी। क्षेत्रपाल और प्रांतपाल आदि कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं। आय-व्यय विभाग भी पढ़ते की तरह ही था। न्यायालयों की भी व्यवस्था अच्छी थी। राजा की अनुपस्थिति में प्रा. उ. विवाक (न्यायाधीश) काम करता था। अलपंरुनी ने मुकद्दमों के विषय में लिखा है— 'अभियोग उपस्थित करने हुए वादी अपनी पुष्टि में प्रमाण देता था। यदि कोई लिखित प्रमाण न हो तो कम से कम चार गवाह चाहिएँ। उन्हें जिरह की आज्ञा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का हत्या के अपराध में प्राणदंड नहीं दिया जाता था। उनकी संपत्ति लूटकर उन्हें देशनिर्वासित कर दिया जाता था। चोरी के अपराध में ब्राह्मण को अंधा करके उसका बायां हाथ और दहिना पैर काट दिया जाता था। क्षत्रिय अथवा नहीं किया जाता था\*। इसमें नाम पड़ता है कि उस समय तक भी कूर दंड देने की प्रथा विद्यमान थी।

मैनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। राजाओं के पास अपनी स्थिर सेना रखने का रिवाज कम हो रहा था, परंतु सरदारों और जागीरदारों के पास सनाए रखने और युद्ध के समय पर उनसे सेनाएँ लेने की रीति का प्रचार बढ़ रहा था। भिन्न भिन्न राज्यों की सेवा में हमारे राज्यों के वीर सिपाही भर्ती किए जाते थे। विद्वल ताम्रपत्र आदि से भी मान्य होता है कि इस समय भी महासेनापति और हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, जल-सेना के भिन्न भिन्न अफसर, प्रेषणीक, गमागमिक आदि अधिकारी रहते थे।

भिन्न भिन्न राज्यों के पारम्परिक द्वेष और शत्रुता के कारण सब राष्ट्र निर्बल हो गए थे। सिंधु तें आठवीं सदी में ही सुमलमाना

\* प्रतयेरतीज इतिहास, जि० २, पृ० १५८-६३।

† चिंतामणि विभाषक वैद्य, हिन्दी भाषा सिद्धिपत्र संस्था, चिन्त ३, पृ० ४७०।

के अधिकार में चला गया था और ग्यारहवीं शताब्दी में लाहौर तक पंजाब उनके हाथ में जा चुका था। बारहवीं सदी के अंत तक दिल्ली अजमेर, कन्नौज आदि मुसलमानों के हाथ में चले गए और पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दक्षिण आदि पर भी क्रमशः उनका अधिकार हो गया और शनैः शनैः अधिकांश हिन्दू-राज्य नष्ट हो गए।

### आर्थिक स्थिति

हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष न केवल आध्यात्मिक उन्नति में पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था किंतु भौतिक उन्नति में बहुत कमाल कर चुका था। अब उस समय की भारत की आर्थिक अवस्था पर कुछ विचार किया जाता है।

भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय प्रायः सभी प्रकार के अनाज और फल यहाँ होत थे। कृषकों की प्रत्येक

कृषि और सिंचना प्रकाश की सुविधा का पूरा ख्याल रक्खा जाता था। सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबंध था। नहरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी। नहरों का प्रबंध

नहरों का प्रबंध प्रगल्भनीय था। राजतरंगिणी में 'सूय' नामक ईजिप्तीयर का वर्णन आता है। काश्मीर में वाढ़ आने पर वहाँ के राजा अवंतिवर्मन ने सूय से इसका प्रबंध करने को कहा। उसने वितस्ता ( भूलभ ) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़े बाँध बंधवाकर उसमें नहरे निकलवाईं। इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीक्षण किया कि उसके लिये कितने जल की आवश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम को यथोचित जल देने की व्यवस्था की गई। कन्हण ने लिखा है कि सूय ने नदियों को इस तरह नचाया, जैसे सँपेरा सोंपों को नचाता



( १६४ )

है। उसकी इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहुत हुई और एक खारी (परिमाण विशेष) चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक हो गया। तामिल प्रदेश में नदियों को मुहानों के पास रोककर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे समय से पूर्व करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर सौ मील का एक बाँध बनवाया था। राजेद्र ( १०१८-३५ ई० ) ने अपनी नई राजधानी के पास बड़ा भरी जलाशय बनवाया। बड़े बड़े तालाब भी हमारे समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे। चद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार के नीचे एक विशाल सरावर बनवाया गया था, जिसमें से अशोक ने नहरे निकलवाईं। इनकी समय समय पर मरम्मत होती रही\*। बहुत से राजा स्थान स्थान पर अपने नाम से बड़े बड़े विशाल तालाब बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत अच्छी तरह हो सकती थी। ऐसे तालाब बहुत से स्थानों पर अब भी मिलते हैं। परमार राजा भोज ने भोजपुर में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, जो संमार की कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ा था। इसको मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। अजमेर में आनासागर, वीमला आदि तालाब भी पहले के राजाओं ने बनवाए थे। कुओं से भिन्न भिन्न प्रकार से सिंचाई होती थी, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रथा को भारतीय लका में भी ले गए थे। पराक्रमबाहु ( ११५० ई० ) ने लका में १४७० तालाब और ५३४ नहरे बनवाईं और बहुत से तालाब तथा नहरों की मरम्मत कराई। इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था†।

\* विनयकुमार सरकार, दी पॉलिटिकल इंस्टिच्यूशंस एंड यूरॉज आफ दी हिंदूज, पृ० १०३-४।

† वही, पृ० १०३-४।

कृषि के बाद व्यापार की मुख्यता थी। भारत के बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र थे। भारतवर्ष में केवल ग्राम ही नहीं थे, विशाल नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थे। पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार और गगनभेदी प्रासादों के कारण प्रसिद्ध था। मलाबार के तट पर वंजि ( वंजि ) व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का नगर था। कोरमंडल तट पर पकर ( कावेरीपुम्प-हिनम् ) बहुत उत्तम बंदरगाह था। सोलंकिरियों की राजधानी वातापी ( बीजापुर जिले में ) अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वशाली थी। बंगाल का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमलक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का और विशाल नगर था, जहाँ से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ जाते थे। कन्नौज तो विशाल एवं एक प्रसिद्ध नगर था। मालवा की उज्जयिनी नगरी भी कम विशाल नहीं थी। यह उत्तरी भारत और भड़ोच के बंदरगाह के बीच में व्यापारिक दृष्टि से मध्यस्थ का काम करती थी। बंबई प्रांत के भड़ोच ( भृगुकच्छ ) बंदरगाह से फारस, मिश्र आदि में भारत से माल जाता था। पाटलिपुत्र तो मौर्यकाल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। उसका कथनानुसार इसके ५७० बुरुज और ६४ दरवाजे थे और उसका क्षेत्रफल २१.५ मील था, जो अरलियन के समय के रोम से दुगुने से भी कुछ अधिक था। इसी तरह और भी अनेक बड़े बड़े शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थे\*।

व्यापार जल और स्थल मार्ग से होता था। बड़े बड़े जहाजी बड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। अरब, फिनीशिया, फारस, मिश्र, ग्रीस, रोम, चंपा, जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारत का

\* विनयकुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टीट्यूट्स एंड थ्यरीज आफ दी हिंदूज; पृ० ६०-६२

व्यापार होता था। समुद्र-यात्रा का निषेध पीछे से हुआ। हर्ष ने हुएन्त्संग को समुद्र-मार्ग से चीन लौटने की सलाह दी थी। जावा की कथाओं से ५००० भारतीयों का कई जहाजों द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है। इत्सिंग लौटता हुआ समुद्र-मार्ग से ही चीन को गया था। भारतीय पोतकला में बहुत प्रवीण थे और इसे वे बहुत प्राचीन काल से जानते थे। प्रांफंसर मैकमडॉकर के कथनानुसार ई० पूर्वं २००० में भी भारतीय इम कला से अभिन्न थे\*

स्थलमार्ग से भी व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष में व्यापार के नित्ये बढ़ा बढ़ा सडकें बनाई जाती थी। इन सडकों का महत्त्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। एक विशाल सड़क कांगमंडल तट (पूर्वी) से कुमांगी अंतर्गण तक १००० मील लंबी थी, जिसे कुलांतुग चोड़देव (२० म० १०७०-१११८) ने बनवाया था। इसका मैतिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व था। हमारे समय में बहुत पूर्व मौर्यकाल में भी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक ११०० मील लंबी सड़क बन चुकी थी। साधारण सडकों में बहुत जगह बनी हुई थी। स्थल-मार्ग से केवल स्वदेश में ही नहीं विदेश में भी व्यापार होता था। राइज डेविड्ज ने लिखा है—“स्वदेश और विदेश में भारतीय व्यापार दोनों मार्गों से होता था। ५०० बैलगाड़ियों के कारवान का वर्णन मिलता है।” स्थलमार्ग से चीन, बैबिलन, अरब, फारस आदि के साथ भारत का व्यापार होता था। पंजाइहोपीडिया

\* हरबिलास सारडा, हिंदू सुधारियाँ, पृ० २९४।

† चिनयकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इस्टिड्युशंस ऑफ ध्यूरीज आफ दी इंडीज, पृ० १०२-३।

‡ दी जर्नल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९०१ ई०।

त्रिटैनिका में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्न-  
लिखित मार्गों से होता था—

१—भारत से पल्लमायरा नामक शहर द्वारा रोम होता हुआ  
सीरिया की तरफ ।

२—हिमालय का पार कर आक्सस होते हुए कैम्पियन सागर  
और वहाँ से मध्य यूरोप\*

भारतवर्ष से अधिकतर रेशम, खीर, मलमल आदि भिन्न भिन्न  
प्रकार के वस्त्र और मणि, मोती, हीरे, मसाले, भारपत्र, हाथीदाँत  
आदि बहुत अधिक विदेशों में जाते थे ।

भारत : व्यापार

मिश्र की आधुनिक खोज में वहाँ की मसियाँ  
की कुछ पुरानी कबरो से वारीक भारतीय मलमल भी मिली है ।  
विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो गया ।  
प्रिनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य में दस लाख पौंड  
( एक करोड़ रूपए ) भारत से आते थे । और केवल रोम से  
चालीस लाख रूपए भारत में खिंचे जाते थे ।

देश के आन्तरिक व्यापार में भिन्न भिन्न तार्थों का भी बहुत  
सहचर था । उनके मेलों में सब प्रकार के व्यापारी और ग्राहक  
आते थे और बड़ी भारी खरीद फरोख्त होती  
थी । आज भी हरिद्वार काशी और पुष्कर  
आदि तीर्थों में हानिज्ञान मेलों व्यापारिक दृष्टि से कम सहचरक नहीं हैं ।

आजकल भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश रह गया है, परंतु  
पहले यह बात नहीं थी । भारतवर्ष में व्यवसाय और उद्योग-धंधे  
भी बहुत अच्छी अवस्था में थे । सब उत्तम व्यवसाय वस्तु का

\* एसाइडलोर्पॉसिना विटैनिना जि० ११, पृ० १५ ।

† एसाइडलोर्पॉसिना विटैनिना जि० ११, पृ० १५ ।

‡ एसाइडलोर्पॉसिना विटैनिना जि० ११, पृ० १६० ।

था । वस्त्र बहुत प्रकार के बनते थे । सामाजिक स्थिति में हम भिन्न भिन्न वर्गों के उपयोग के विषय में लिख चुके हैं । भारत में महीन से महीन मलमल, छीट, शाल, दुशाखे  
व्यवसाय आदि कपड़े बनते थे । कपड़े रँगने की भी कला यहाँ बहुत उन्नत थी । वनस्पतियों से भी तरह तरह के रंग निकाले जाते थे । यह आविष्कार भी पहले पहल भारतीयों ने ही किया था । नील का खेती तो केवल रंग के लिये ही होती थी । वस्त्र-व्यवसाय तो १८ वीं शत वर्ष तक चलता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में नष्ट हुआ ।

लोह और फौलाद के व्यवसाय की भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी । कच्चे लोह को गलाकर फौलाद बनाना उन्हें प्राचीन

लोहा आदि धातुओं का व्यवसाय काल से ज्ञात था । खेती आदि के सब प्रकार के लोह के औजारों और युद्ध के हथियारों का बनना भारत में प्राचीन काल से चला आता था ।

लोह का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भारत की आवश्यकताओं से बचकर फिनिशिया में जाया करता था । डाक्टर राय ने लिखा है—‘दमिश्क के तेज धारवाले औजारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी और वहाँ से अरबवालों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया\*’ ।

भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुब-मीनार के पासवाला लाहस्तम्भ ही पर्याप्त उदाहरण है । इतना विशाल स्तम्भ आज भी यूरोप और अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा कारखाना गढ़कर नहीं बना सकता । आज उसे ने हुए अनुमान १५०० वर्ष हो गए, मुली हवा तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर जंग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है ।

\* हरबिलास भारडा, हिंदू सुपरिचैरिटी, पृ० ३२२ ।

धार का जयस्तंभ भी दर्शनीय वस्तु है। यह मुसलमानों के समय में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२ फुट और दूसरा १३ फुट का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी मांडू से मिला है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया करते थे; लोहे के व्यवसाय पर लिखते हुए मिसेज मैनिंग ने लिखा है कि आज भी ग्लासगो और शैफोल्ड में कच्छ से अधिक अच्छा फौलाद नहीं बनता\*। लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं का काम भी बहुत अच्छा था। सोने चाँदी के तरह तरह के पात्र और जेवर बनते थे। पात्रों के लिये अधिकतर तौबा प्रयुक्त होता था। भाँति भाँति के रत्न काटकर सोने में मढ़े जाते थे। कुछ सुवर्णपात्रों पर ऐसी बौद्ध जातके अंकित हुई हैं, जिनमें कई पत्र आदि पन्ने, माणिक्य वगैरह रत्नों के बने हुए हैं, और पञ्च कारी के ढंग से लगे हुए हैं। रत्नों तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुई मूर्तियाँ भी देखने में आईं और ऐसी एक स्फटिक मूर्ति तो अनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिपरावा के स्तूप में से स्फटिक का बना हुआ छोटे मुँहवाला वर्तुलाकार सुंदर बर्तन मिला है जिसके ढक्कन पर स्फटिक की सुंदर मछली बनी हुई है। सुवर्ण की बनी हुई कई मूर्तियाँ अब तक विद्यमान हैं। पीतल या सर्वधातु की तरह तरह की विशाल मूर्तियाँ अब तक कई मंदिरों में स्थापित हैं। इससे यह भी अनुमान होता है कि भारत में खानों से धातु निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थी।

धातुओं के अतिरिक्त काच का भी काम बहुत उत्तम होता था। ड्विनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़कियाँ तथा दरवाजों में भी काच लगते थे और दर्पण काच आदि का व्यवसाय भी बनाए जाते थे। हाथीदाँत और शंख को भी चूड़ियों आदि उत्तम पदार्थ बनते थे, उन पर तरह तरह की कारी-

\* एंश्यट एंड मी। डेएवल हाडेया, जि० २, पृ० ३६५।

गरी का काम होता था । इन कामों के औजार बहुत सूक्ष्म होते थे । स्टेवरिनस ( Stavorinus ) ने लिखा है कि भारतीय शिल्पी इतने छोटे और सूक्ष्म औजारों से काम करते हैं कि यूरोपियन उनकी सफाई और चतुरता पर आश्चर्यान्वित हो जाते हैं\* ।

उद्योग-धंधे के काम बड़े बड़े पूँजीपतियों द्वारा नहीं होते थे । उस समय गणसंस्था ( Guilds ) का प्रचार था । एक पेशेवाले अपना सुव्यवस्थित समुदाय बनाते थे । गण

गणसंस्था

के प्रत्येक सभ्य को उसके सब नियम मानने पड़ते थे । गण, पदार्थ की उत्पत्ति और विक्रय का प्रबंध करता था । गाँवों या जिलों की सभाओं से इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जो देश के व्यवसाय का ध्यान रखते थे ; राज्य भी इनके संघ की सत्ता मानता था । केवल व्यवसायी ही गण या श्रेणी नहीं बनाते थे, किंतु कृषकों और व्यापारियों के भी गण बने हुए थे । गौतम, मनु और बृहस्पति ( ६५० ई० ) की स्मृतियों में कृषकों के संघों का उल्लेख है । गडेरियों के संघों का परिचय शिलालेखों से मिलता है । राजेन्द्र चोल ( ११ वीं शताब्दी ) के समय दक्षिण भारत के एक गव के गडेरियों के गण को ६० भंडे इम प्रयोजन से दी गई थी कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये रोज घों दिया करे । एक शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चोल के समय ५०० व्यापारियों का एक गण था । यह गण-पद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी । बौद्ध साहित्य में बहुत बड़े गणों का वर्णन है । गुप्त काल में व्यवसायियों के बहुत से गण विद्यमान थे । ४६५ ई० में तेलियों के एक गण को मंदिर का दिया जलाने का काम सौंपा गया था । इसी तरह कौलिक, गांधिक, धान्यक आदि लोगों के भी गण विद्यमान थे । ये गण बैंक का भी काम करते थे । प्रायः

भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हों गणों के द्वारा होता था\* ।

यहाँ कुछ शब्द सिक्कों के विषय में भी कह देना अनुचित न होगा । पहले भारत में द्रव्य-विनिमय (barter) द्वारा ही व्यापार होता था । दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके सिक्के खरीद फेंका करते थे । राज्य की ओर से बहुत से कर्मचारियों को वेतन भी अनाजरूप में मिलता था । सरकार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती थी । इस व्यवस्था के कारण भारत में सिक्के थोड़ी मात्रा में बनते थे । सिक्कों की अधिक आवश्यकता भी न थी । प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्के बनवाता था । सिक्के बहुधा सोने, चाँदी और ताँबे के बनते थे ।

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंतु उन पर कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका केवल ताल ही निश्चित रहता था । उन पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, बांधिट्टम, स्वस्तिक, वज्र, नदी, पर्वत आदि के चित्र तथा अन्य प्रकार के अनेक चिह्न अंकित होते थे । ऐसे सिक्के सोने, चाँदी और ताँबे के होते थे । यह निश्चित नहीं कि ये सिक्के राज्य की ओर से बनते थे अथवा व्यापारी या गण बनाते थे ।

सब से प्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन् पूर्व की तीसरी शताब्दी के मिलते हैं, जो मालव-जाति के हैं । इनके पीछे ग्रीक, शक, कुशन और क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं । ये सिक्के अधिक उत्तम और लेखवाले हैं । इनके सिक्के सोने, चाँदी और ताँबे के होते थे । फिर गुप्तकाल में राजाओं ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान दिया । यही कारण है कि उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते हैं ।

\* दी पोलिटिकल इस्टिडव्यू ऑफ इंडियन आफ दी हिंदूज पृ० ४०-२०



सोने के सिक्के गोल और लेखवाले मिलते हैं और उनमें से कई एक पर कविताबद्ध लेख भी विद्यमान हैं। चाँदी के सिक्कों में गुप्तों ने भी असावधानी कर चित्रों की नकल की। एक तरफ चित्रों जैसा सिर और दूसरी तरफ उनका लेख रहता था। गुप्तों के पीछे छठी शताब्दी में हूणों ने ईरान का खजाना लूटा और वे वहाँ के ससानियन राजाओं के चाँदी के सिक्के हिंदुस्तान में ले आए। वे ही सिक्के राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, मालवा आदि प्रदेशों में चलने लग गए और पीछे से उन्हीं की भई नकले यहाँ भी बनने लग गईं, जिनकी कारीगरी और आकार में न्यूनता आते आते अंत में उन पर के राजा के चेहरों की आकृति ऐसी बन गई कि लोग उसको गधे का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिक्के गधिया नाम से प्रसिद्ध हुए। सातवीं शताब्दी के आसपास से हमारे राजाओं का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ, जिससे राजा हर्ष, गुहिलवंशी, प्रतिहारवंशी, तँवरवंशी, गाहड़वाले, नागवंशी (नरवर के), राष्ट्रकूटों (दक्षिण के), सोलंकियों, यादवों, चौधेय, चौहान (अजमेर और मोंभर के), उदभांडपुर (आंध्र) आदि के हिंदू राजाओं के नामवाले सोने, चाँदी या ताँबे के कितने एक सिक्के मिले हैं, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं। इससे सिक्कों के विषय में राजाओं की असावधानी और उपेक्षा प्रतीत होती है। इसी से सोने आदि में मिलावट करनेवालों को ताँबे दंड देने का उल्लेख स्मृतियों में मिलता है, परंतु राजा की आज्ञा के बिना सिक्का बनानेवालों को दंड देने का उल्लेख नहीं मिलता। कभी किसी राजा की प्रिय रानी भी अपने नाम का सिक्का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर के चौहान राजा अजयदेव की रानी सोमलदेवी (सोमलोखा) के सिक्कों से पाया जाता है। प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर का राज्य छीनकर वहाँ के प्रचलित हिंदू सिक्कों की नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने अपने स्वतंत्र सिक्के बनाना शुरू किया।

भारतवर्ष कृषि, व्यापार, व्यवसाय और अमूल्य खानों के कारण बहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिंता अधिक नहीं थी। नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले भारत की आर्थिक स्थिति कर चुके हैं, मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय संपन्न और समृद्ध थे। व्यापार में निर्यात के बहुत अधिक होने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती थी। भारतवर्ष में हीरे, नीलम, मोती और पत्थरों की भी कमी नहीं थी। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था। पिनी ने भारतवर्ष को हीरे, मोती आदि कीमती पत्थरों की जन्ती और मणियों का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मोती, भूंगे और भौंति भौंति के अन्य रत्नों के लिये प्रसिद्ध था। सोना भी यहाँ बहुत मात्रा में था। लांहा, तौबा और सीसा भी बहुतायत से निकलता था। अधिकांश चाँदी बाहर से आती थी, इसलिये महँगी रहती थी। प्रारंभ में सोने का मूल्य चाँदी से अठगुना था, जो हमारे निर्दिष्ट काल के अंत में बढ़ता हुआ सोलह गुना तक पहुँच गया।

यह समृद्धि हमारे समय के अंतिम काल तक विद्यमान थी। सोमनाथ के मंदिर में सोने और चाँदी की अनेक रत्नजटित मूर्तियाँ थीं। पास ही २०० मन सोने का सौकल था, जिसके साथ घंटे बंधे होते थे। महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड़ रूपयों से अधिक मूल्य की संपत्ति लूट में ले गया था। इसी तरह वह मथुरा और कन्नौज प्रभृति स्थानों से भी अनंत धन-राशि ले गया। यदि भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हो तो उत्तर और दक्षिण भारत के उस समय के बने हुए सैकड़ों भव्य मंदिरों को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूर्तियाँ या स्तंभ सोने चाँदी अथवा रत्नों से जटित थे।

## शिल्प

तत्त्व-कला-संबंधी शिल्प के मुख्य चार विभाग किए जा सकते हैं— गुफा, मंदिर, स्तंभ और प्रतिमा । हमारे यहाँ तत्त्वकला का विकास विशेषतः धार्मिक भावों से हुआ है ।

स्तूप

बौद्धस्तूप, चैत्य और विहार आदि शिल्प के सब से प्राचीन सुरक्षित कार्य हैं । महात्मा बुद्ध का निर्वाण होने पर उनका शरीर जलाया गया और उनकी हड्डियों आदि पर भिन्न भिन्न जाति के लोगों ने स्तूप बनवाना शुरू किया, जो बौद्धों में बहुत ही पूजनीय समझे जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामवाले कई स्तूप बने । स्तूप एक मंदिर की तरह पूजनीय समझा जाता था और उसके चारों तरफ सुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, तोरण आदि बनाए जाते थे और ऐसे ही कामवाली वेष्टनी ( Railings ) से वे चारों तरफ से अलंकृत किए जाते थे । ऐसे स्तूपों में साँची और भरहुत के स्तूप मुख्य हैं, जो ई० सन् के पूर्व की तीसरी और दूसरी शताब्दी के आसपास के हैं । अब तक इन पर बौद्धधर्म के पूजनीय चिह्न—धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, हाथी आदि—तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की भिन्न भिन्न कथाएँ बड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अंकित हैं ।

हमारे यहाँ पहाड़ों को काट काटकर बनाई हुई दो प्रकार की भव्य गुफाएँ—चैत्य और विहार—हैं । चैत्य के भीतर एक स्तूप


गुफाएँ

होता है और जन-समाज के एकत्र होने के लिये विशाल भवन ( Assembly Hall ) होता है ।

ऐसी गुफाओं में काली आदि कई गुफाओं का उल्लेख किया जा सकता है । विहार अर्थात् मठ में साधु-भिक्षुओं के रहने के लिये अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं । ऐसी गुफाएँ विशेषतः दक्षिण में मिलती हैं, जिनमें से अजंटा, इलोरा, काली, भाजा, बेडसा आदि मुख्य हैं । दक्षिण के अतिरिक्त काठियावाड़ में जूनागढ़ के



( १८ ) इलौरा का पंचाजंय मंदिर




( १६ ) द्रविड़ शली के मंदिर का धर्मराज रथ  
[ मामलपुरम् ]

पास, राजपूताने में भालावाड़ राज्य में, कोलवी, और मध्य भारत में धमणार, बाघ आदि में ऐसे स्थान हैं। कार्ली आदि कितनी एक भव्य गुफाओं की कटाई की सुंदरता देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसी गुफाओं में से अधिकतर बौद्ध हैं, और थोड़ी सी जैन या वैदिक मत से संबंध रखती हैं। इनमें से अधिकांश गुफाएँ हमारे समय से पूर्व की हैं, परंतु अजंटा की कुछ गुफाएँ, तथा कोलवी, धमणार एवं बाघ आदि की हमारे समय के प्रारंभकाल की हैं। इनमें से कई एक गुफाएँ भारतीय तत्त्व-कला के सर्वोत्तम नमूने हैं और उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है।

ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के आसपास से बारहवीं शताब्दी तक सैकड़ों जैनों और वेदवर्मावलंबियों अर्थात् ब्राह्मणों के मंदिर अब तक किसी न किसी दशा में विद्यमान हैं। देश-भेद के अनुसार इन मंदिरों की शैली में भी अंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्तरीय भारत के मंदिर आर्य-शैली के हैं और उक्त नदी से दक्षिण के द्रविड़ शैली के। जैनों और ब्राह्मणों के मंदिरों की रचना में बहुत कुछ साम्य है। अंतर इतना ही है कि जैन मंदिरों के स्तंभों, छतों आदि में बहुधा जैनों से संबंध रखनेवाली मूर्तियाँ तथा कथाएँ खुदी हुई पाई जाती हैं और ब्राह्मणों के मंदिरों में उनके धर्म संबंधी। बहुधा जैनों के मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी देव-कुलिकाएँ बनी रहती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न तीर्थकरों की प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कहीं कहीं कोनों में चार और छोटे मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिरों को पंचायतन मंदिर कहते हैं। ब्राह्मणों के मंदिरों में विशेषकर गर्भगृह ( निज मंदिर ) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है और उसके आगे मंडप; जैन मंदिरों में कहीं कहीं दो मंडप और एक विस्तृत

वेदी भी होती है। दोनों शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर शिखर और उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम का बड़ा चक्र होता है। आमलक के ऊपर कलश रहता है, और वही ध्वज-दंड भी होता है।

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में, जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित होती है उसके ऊपर, चतुरस्र आकृति का विमान नामक कई मंजिलों का ऊँचा मंडप रहता है। वह ज्यों ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यों त्यों उसका फैलाव कम होता जाता है और ऊपर जाकर छोटा सा रह जाता है। वस्तुतः इस विमान का ऊपरी विभाग चतुरस्र शंकु जैसी आकृति का होता है। इन विमानों को आर्य-शैली के मंदिरों के शिखर के स्थानापन्न समझना चाहिए। गर्भगृह के आगे मंडप या अनेक स्तंभोंवाले विस्तृत स्थान होते हैं और मंदिर के प्राकार के एक या अधिक द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं की मूर्ति-वाला गोपुर रहता है जिसे 'कोथल' कहते हैं। उत्तरी भारत में पुष्कर वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों में रंगजी आदि के नए बने हुए मंदिर ठीक द्रविड़ शैली के हैं। दक्षिण के पूर्वी और पश्चिमी सोलंकी राजाओं के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली के हैं, परंतु उनमें उक्त शैली से थोड़ा सा अंतर होने के कारण आधुनिक विद्वान् उनका परिचय चालुक्य शैली के नाम से देते हैं। पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए गए थे जिससे उनकी द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है। इस शैली के मंदिर आदि बंबई हाते के दक्षिणी विभाग अर्थात् कनड़ा प्रदेशों में धारवाड़ से लेकर निजाम और मैसूर राज्य तक, जहाँ चालुक्यों का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं। नेपाल के शैव और वैष्णव मंदिर उत्तर भारत की शैली के हैं और कुछ मंदिर चीनी शैली के छज्जेदार और कई मंजिलवाले भी हैं।



( २० ) श्रीवेंकटेश्वर मंदिर  
( तिरुमल )





( २१ ) होयमलेश्वर के मंदिर का बाहरी पार्श्व  
[ हलेबिड ]

हमारे समय के भिन्न भिन्न शैलियों के सुंदर मंदिर सैकड़ों स्थानों पर विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है ।

आर्य शैली के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( उड़ीसा में ), नागदा और बाङ्गाली ( दोनों उदयपुर राज्य में ), चित्तोड़गढ़ ग्वालियर, चंद्रावती ( भालावाड़ राज्य में ) आसियों ( जेधपुर राज्य में ), चंद्रावती, वर्माण ( दोनों सिंराही राज्य में ), खजुगहो ( मध्य-भारत में ), कनारक, लिंगराज ( उड़ीसा में ) आदि अनेक स्थानों में हैं । इसी तरह धावू, खजुगहो, नागदा, मुक्तगिरि ग्रेग पाकीताना आदि स्थानों के जैन मंदिर भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं । विड़ शैली के मामत्रपुर ( महाबलिपुरम—चिगलीपट्ट जिन्ने म ), कांजीवरम् ( कांचा ), इलाहा, तंजार, बंलूर ( मैसूर के हमन जिले में ), वाद मी ( बीजापुर जिन्ने . ), श्रीरंगम् ( त्रिचनापली में ) और श्रवणबैलगोला ( हमन जिले में ) आदि स्थानों में हैं ।

ये मंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों के निम्नलिखित उद्धरणों में स्पष्ट हो जायगा ।

बाङ्गाली के मंदिर की तक्षण-कला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है—'उनकी विचित्र और भव्य रचना का यथावत वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है । यहाँ मानो हुनर का खजाना खाली कर दिया गया है । उसके स्तंभ, छत और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बनलाता है । प्रत्येक स्तंभ पर खुदाई का काग इतना सुंदर और बारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता\* ।' भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध विद्वान् मि फर्गुसन लिखते हैं—'आर्य के मंदिरों में, जो संगमरमर के बने हुए हैं, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवाली हिंदुओं की टॉकी से फीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनाहर आकृतियाँ

\* टॉड; राजस्थान, जिल्द ३ पृ० १७६२—६३ ( आर्य क संस्करण ) ।

बनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं हो सका\* ।

हैलेविड के मंदिर के विषय में विंसेंट स्मिथ ने लिखा है—‘यह मंदिर धैर्यशील मानव-जाति के श्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना है । इसकी सुंदर कारीगरी के काम को देखते देखते आँखें तृप्त नहीं होतीं ।’ इसी मंदिर के विषय में प्रोफेसर ए० ए० मेकडानल का कथन है कि संसार भर में शायद दूसरा कोई ऐसा मंदिर न होगा, जिसके बाहरी भाग में ऐसा अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो । नीचे की चौतरफ हाथियोंवाली पंक्ति ( गजशर ) में दो हजार हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से आकृति में कोई भी दो परस्पर नहीं मिलते ‡ ।

मथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो अब नष्ट हो चुके हैं, विषय में महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम को लिखा था कि यहां (मथुरा में) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुमलमानों के ईमान के सदृश टढ़े हैं । उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे । ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष लगे तो भी नहीं बन सकती § ।


दिल्ली, प्रयाग, सारनाथ आदि के अशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के उपलब्ध स्तंभों में सबसे प्राचीन हैं । ये बृहत्काय स्तंभ एक ही पत्थर से काटे गए हैं और उन पर पालिश स्तंभ इतना सुंदर हुआ है कि वह आज तक अधिकांश में विद्यमान है और आजकल ऐसे पाषाणों पर ऐसा सुंदर पालिश

\* पिकचरम इलस्ट्रेशंस आफ एश्यंट आर्किटेक्चर इन इंडिस्तान ।


† हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया, पृ० ४२ ।

‡ इंडियाज पास्ट; पृ० ८३ ।

§ ब्रिग, फिरिस्ता, जि० १, पृ० १८—१९ ।




( ७७ ) श्रावण शाली का हिंदू मंदिर  
[ खजुराहो ]



( २३ ) आवू के जैन मंदिर का गुंबज और द्वार





( २४ ) बडनगर ( गुजरात ) के मंदिर का तौरण

होना असंभव सा है। इन स्तंभों के ऊपर सुंदर कारीगरीवाले सिरे लगें हुए थे, जिनके अग्र भाग पर कहीं एक शेर और कहीं चार शेर आदि बने हुए थे। ऐसे दो तीन सिरें अब तक विद्यमान हैं, जो उस समय की उन्नत कला के साक्षी रूप हैं। अशोक के पीछे बेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली ( दिल्ली से १३ मील ) वाला प्रसिद्ध लोह स्तंभ और दूसरे कई एक स्तंभ हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्तंभों में राजा यशोधर्म के मंदसौर के निकटवर्ती सौंदनी गाँववाले दो विशाल स्तंभ हैं, जो उक्त राजा की विजय के स्मारक हैं। ये विशाल स्तंभ एक ही पत्थर से नहीं काटे गए, किंतु अलग अलग विभागों से बने हैं, जो एक दूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किंतु धरा-शायी हो रहे हैं। यशोधर्म के स्तंभों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थानों पर कई मंदिरों के आगे खड़े किए हुए अथवा मंदिरादि में लगे हुए भिन्न भिन्न शैली के हजारों स्तंभ या तोरण विद्यमान हैं, जिनकी कारीगरी का अनुमान उन्हें देखने से ही हो सकता है।

बड़ी बड़ी मूर्तियों के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' में मिलता है, परंतु उपलब्ध मूर्तियों में सबसे प्राचीन 'यूसफजई' अर्थात् गांधार से मिली हुई बुद्ध मूर्तियाँ की भिन्न भिन्न कद की मूर्तियाँ तथा मथुरा के कंकाली टीलेवाली जैन मूर्तियाँ एवं राजा कनिष्क आदि की मूर्तियाँ हैं। ये सब ई० सन् की पहली शताब्दी के आसपास की हैं। हिंदुओं के भागवत संप्रदाय के विष्णु मंदिर ई० सन् पूर्व की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे, ऐसा बेसनगर ( विदिशा ) तथा नगरी ( मध्यमिका, चित्तौड़ से सात मील उत्तर में ) के शिलालेखों से निश्चित है। बेसनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिलालेख से पाया जाता है कि "राजा ऐंटियाक्लिडिस के समय में तक्षशिला



( पंजाब ) नगर को रहनेवाले दिय ( Dion ) के पुत्र हेलियोदोर ( Heliodoros ) ने, जो भागवत ( वैष्णव ) था, देवताओं के देवता वासुदेव ( विष्णु ) का यह 'गरुडध्वज' बनवाया ।" अश्वमेध यह करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणवट नामक स्थान पर भगवान् संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिये शिला-प्राकार बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपूर्ण शिलालेख से पाया जाता है । बौद्धों में मूर्तिपूजा का प्रचार महायान संप्रदाय के साथ ईस्वी सन् की पहली शताब्दी के आस-पास होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपूजा के उपर्युक्त दोनों उदाहरण ईसा से पूर्व के हैं । इसी तरह ई० सन् की छठी शताब्दी तक की सैकड़ों मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं है । हमारे समय की हजारों हिंदू और जैन देवमूर्तियाँ मिलती हैं और कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, अजमेर, मद्रास, बंबई आदि के अद्भुतालयों तथा म्थान स्थान के मंदिरों आदि में विद्यमान हैं । ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचार्यों की मूर्तियाँ भी मिलती हैं । अत्यंत भावपूर्ण और सुंदर कारीगरी का देखकर इनमें से बहुत सी मूर्तियों की अनेक विद्वानों ने मुक्तकठ से प्रशंसा की है, परंतु यह बात निश्चित है कि ई० सन् की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पाषाण के शिल्प-कार्य में क्रमशः हास होता गया और मूर्तियाँ तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, वैसा पिछले समय में न बन सका ।

भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों के कथन उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा ।

मिस्टर हैबेल ने लिखा है—“किसी भी जाति के शिल्प का ठीक ठीक अनुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा है, यह सोचने की हमें आवश्यकता नहीं, किंतु यह सोचने की आव-

श्यकता है कि उसने अन्य जातियों को क्या सिखलाया है। इस दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का स्थान यूरोप और एशिया की सब शैलियों में सर्वोच्च है। पुरातत्त्वान्वेषण की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो सर्वथा स्वदेशी है और न गैसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की आवश्यकता न हुई हो। ग्रीस और इटली की शिल्प-शैलियाँ भी इस नियम का अपवाद नहीं हैं। भागत नें जो कुछ बाहरवालों से सीखा है उससे सौ गुना बाहरवालों को सिखलाया है\*।”

मि० ग्रिफिथ का कथन है—“गुफाओं का दीर्घ काल तक निरीक्षण करने पर ऐसा कहा भी संरं देखने में नहीं आया कि कारीगर ने पत्थर का आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा था।”

प्रोफेसर हीरन लिखते हैं—“चतुरस्र स्तंभों पर की खुदाई का काम और स्त्री की आकृतिवाले स्तंभों के बनाने में हिंदू लोग ग्रीस और मिस्रवालों से बहुत बढ चढे थे।” इसी तरह हैबल ने लिखा है—“भारतीय शिल्प की मूर्ति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक भाव दीख पडते हैं, वे ग्रीस में नहीं पाए जाते।”

हमारे समय में वास्तुविद्या का बहुत विकास हो चुका था। इस विषय का कई ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही समय

हुआ राजा भोज का बनाया हुआ ‘समरांगण-सूत्रधार’ नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा महत्व-पूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक से जान पड़ता है कि हमारे समय तक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उन्नति

\* हैबल, इंडियन स्कल्चर एंड ऐटिग, पृ० १६६।

† दी ऐटिंग्स इन दी बुद्धिस्ट केव टैपल्लस आफ अर्जंट।

‡ हरविलास सारदा, हिंदू सुपीरियोरिटी, पृ० ३४३।

§ हैबल, इंडियन स्कल्चर एंड ऐटिग, पृ० १४४।

हो चुकी थी । इस ग्रंथ में नगर, दुर्ग आदि के लियं उचित भूमि का वर्णन, शहर बसाने, उसके चारों ओर खाई बनाने, राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा मूर्तियों आदि बनाने का विस्तृत और महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जो हम यह विस्तार भय से नहीं करते ।

उक्त पुस्तक का ३१ वाँ अध्याय—यंत्राध्याय—बहुत महत्त्वपूर्ण है । उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों का वर्णन है । उनमें से हम कुछ का उल्लेख

वैज्ञानिक उन्नति

नीचे करते हैं—

यंत्र द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा और ग्रहों की गति बताई जाय । कृत्रिम पुरुष यंत्र द्वारा परस्पर लड़ते चलते फिरते और बंसी बजाते थे । स्वयं पक्षियों की सी आवाज करनेवाले लकड़ी के पक्षियों और कंकणों तथा कुंडलों के बनाने का भी उममें उल्लेख है । लकड़ों के ऐसे मनुष्य बनाए जायें, जो गुप्त रूप से सूत्र-द्वारा नृत्य करें, परस्पर लड़े और चोरों को पीटें । भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फव्वारें बनाकर धारागृहों में लगाए जायें । एक ऐसी स्त्री बनाई जाय, जिसके स्तनों, नाभि, आंखों और नखों से जलधाराएँ बहे । यंत्रों से शतघ्ना और उष्ट्रघ्ना आदि दुर्गरक्षक अस्त्र चलाए जायें । कृत्रिम भरने भी बागों में बनाए जायें । आधुनिक 'लिफ्ट' जैसे यंत्र का भी वर्णन उसमें है, जिसके द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था । दिए की एक ऐसी पुतली बनाई जाय, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल डाल दे और स्वयं ताल की गति से नाचे । एक ऐसे यांत्रिक हाथी का भी वर्णन है, जो पानी पीता जाय, परंतु यह मालूम न हो कि पानी कहाँ जाता है । इस प्रकार के कई अद्भुत अद्भुत यंत्रों का वर्णन उसमें मिलता है, परंतु सबसे अधिक आश्चर्यप्रद और महत्त्वपूर्ण बात

आकाश में चलनेवाले 'विमान' का वर्णन है। उसमें विमान के विषय में लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी का विमान बनाया जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे आग से भरा हुआ ज्वलनाधार हो। उसमें बैठा हुआ पुरुष पारं की शक्ति से आकाश में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी में इन यंत्रों का बनाना ज्ञात था, परंतु सर्व साधारण में इसका प्रचार न था। इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत से अन्य यंत्रों का बनाना भी मालूम है, परंतु उनका बनाना फल-प्रद नहीं है, इसलिए उनका वर्णन नहीं लिखा। इस ग्रंथ से तत्कालीन वैज्ञानिक और शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस विषय की बहुत सी पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में कर चुके हैं।

### चित्रकला

भारतवर्ष जैसे उष्णप्रधान देश में कागज या कपड़े पर खिंचे हुए चित्र अधिक काल तक नहीं रह सकें, इसी से ई० स० १२०० तक के ऐसे चित्र यहाँ नहीं मिलते। कितनी गुफाओं के चित्र एक पुस्तकों में विषय-सूचक सुंदर चित्र अवश्य मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे के हैं। उक्त काल के रंगीन चित्र कवल पहाड़ा का खाद खादकर बनाई हुई सुंदर विशाल गुफाओं की दीवारों पर ही पाए जाते हैं वे ही हमारे उक्त काल और उससे पूर्व की चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं। ऐसी अब तक चार गुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रकला की दृष्टि से अजंटा की गुफाएँ सब में अधिक महत्त्व की हैं। ये गुफाएँ हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंटा गाँव से पश्चिमोत्तर

मे चार मील दूर स्थित पर्वत-श्रेणी मे खुदी हुई हैं । इनमें २४ विहार ( मठ ) और ५ चैत्य ( स्तूपवाने विशाल भवन ) बने हैं, जिनमे से तेरह में दीवारो, भीतरी छतो, या स्तभों पर चित्र अंकित किए गए हैं । चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का प्लास्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई की गई है, और उसपर चित्र अंकित किए गए हैं । ये सब गुफाएँ एक समय की कटी हुई नहीं, किंतु अनुमानतः ईसवी सन् की चौथी शताब्दी से लगाकर सातवी शताब्दी के आसपास तक समय समय पर बनी हैं । इनके अंतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय मे भी यही समय समझना चाहिए । कई एक चित्र हमारे व्याख्यान के पूर्ववर्ती काल के होने से उम समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं । अधिकतर चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उमसे कुछ ही पूर्ववर्ती समय के हैं । इन चित्रों से उक्त काल की हमारी चित्रकला का परिचय मिलता है । उनमे गौतम बुद्ध की जीवन-घटनाएँ, मातृपोषक जातक, विश्वांतर जातक, पड्दांत जातक, रुरु जातक और महाहंस जातक आदि १२ जातकों से वर्णित गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ, धार्मिक इतिहास तथा युद्ध के दृश्य और राजकीय तथा लौकिक चित्र अंकित हैं । ऐसे ही बगीचों, जंगलों, रथों, राज-दरबारों, घोड़ों, हाथी, हरिण आदि पशुओं, हंस आदि पक्षियों तथा कमल आदि पुष्पों के अनेक चित्रण बने हुए हैं । इन सबको देखने से दर्शक की आंखों के सामने एक ऐसे नाटक का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसमे जंगलों, शहरों, बगीचों और राजमहलों आदि स्थानों मे राजा, वीर पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के ही पुरुष और स्वर्गीय दूत, गंधर्व, अप्सरा और किन्नर आदि पात्र रूप से हैं । ऐसे सैकड़ों चित्रों मे से एक चित्र का परिचय इस अभिप्राय से दिया जाता है कि उनमे से कुछ चित्रों का काल-निर्णय करने में

सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक अपनी पुस्तक में लिखता है कि ईरान के बादशाह खुसरो ( दूसरे ) के सन् जुलूस ( राज्यवर्ष ) छत्तीस ( ई० स० ६२६ ) में उसका एल्ची राजा पुलकेशी के पास पत्र और तुहफा लेकर गया और पुलकेशी का एल्ची पत्र और उपहार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरबार का चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जिसमें—

राजा गद्दी बिछे हुए सिंहासन पर लंब-गोलाकृतिक तकिए के सहारे बैठा हुआ है, आसपास चँवर और पंखा करनेवाली स्त्रियाँ, तथा अन्य परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े और कोई बैठे हुए हैं। राजा के सम्मुख बाईं ओर तीन पुरुष और एक लड़का सुंदर मोतियों के आभूषण पहिने हुए बैठे हैं ( जो राजा के कुँवर, भाई या अमात्यवर्ग में से होने चाहिएँ )। राजा अपना दाहिना हाथ उठाकर ईरानी एल्ची से कुछ कह रहा है। उस ( राजा ) के सिर पर मुकुट, गले में बड़े बड़े मोती व माणिक की इकलड़ी कंठी, और उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा है। दाँतो हाथों में भुजबंध और कड़े हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है, जिसमें प्रवर ( ग्रंथि ) के स्थान पर पाँच बड़े मोती हैं, और कमर में रत्नजटित मेखला है। पांशाक में आधी जाँघ तक कछनी और बाकी सारा शरीर नंगा है। दक्षिणी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा गले में डालते हैं, उसी प्रकार समंटा हुआ केवल एक दुपट्टा कंधे से हटकर पीछे के तकिए पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों ममेटे हुए किनारे गद्दी के आगे पड़े हुए दीखते हैं। उमका शरीर प्रचंड, पुष्ट और गौरवर्ण है ( चेहरा के स्थान का चूना उखड़ जाने से वह नहीं दीख सकता )। दरबार में जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर पर आधी जाँघ तक कछनी के सिवा कोई वस्त्र नहीं दीखता और न किसी के दाढ़ी या मूँछ हैं। कमर से लगाकर आधी जाँघ या कुछ

नीचे तक का स्त्रियों के शरीर का हिस्सा वस्त्र से ढका हुआ है, और किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँधी हुई है, बाकी सारा शरीर खुला है। यहाँ के प्राचीन चित्रादि में स्त्रियों के स्तन बहुधा खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पट्टियाँ बँधी हुई दीख पड़ती हैं। पट्टियाँ बाँधने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्भागवत में भी उसका वर्णन मिलता है—

तदंगसंगप्रमुदाकुलेद्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा ।

नाजः प्रतिव्यादुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणाः कुरुद्वह \*।

राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में ली हुई मोतियों की कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी नजर करता हुआ ईरानी एल्ची सम्मुख खड़ा है जिससे राजा कुछ कह रहा है। उसके पीछे एक दूसरा ईरानी हाथ में बातल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके पीछे तीसरा ईरानी तुहफे की चीजों से भरी हुई किश्ती धरे हुए है। उसके पीछे पीठ फेंकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से हाथ में कुछ चीज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख रहा है और उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर में तलवार लगाए खड़ा है और दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ के अन्य पुरुष और घोड़े खड़े हैं। ईरानियों और हिंदुस्तानियों की पोशाक में रात दिन का सा अंतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खुला है तो उनका प्रायः सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर ऊँची ईरानी टोपी, कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के पैरो में मोजे भी हैं और दाढ़ी-मूँछ सबके हैं। ईरानी एल्ची (जिससे राजा कुछ कह रहा है) के गले में बड़े बड़े मोतियों की एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मोतियों के भूषण और कमर में मोतियों से जड़ी हुई कमरपट्टी है। दूसरे किसी ईरानी के

शरीर पर जेवर नहीं है। दरबार में सब जगह फर्श पर पुष्प बिखरे हुए हैं। राजा के सिंहासन के आगे पीकदानी पड़ी हुई है और चौकियों पर ढक्कनवाले पानदान आदि पात्र रंग हुए हैं\* ।” इस चित्र से अनुमान होता है कि यह ई० स० ६२६ के बाद बना होगा।

अजंटा के चित्र चित्रकला में प्रवीण आचार्यों के हाथ से खिचे हुए हैं। उनमें अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, भाव-भंगी और अंग-प्रत्यंगों की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, बख्शाभरण, चेहरों के रंग रूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाए गए हैं। इसी तरह पशु, पक्षी, पत्र पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर हैं। कई चित्र ऐसे भावपूर्ण हैं कि उनमें चित्रित स्त्री पुरुषों की मानसिक दशा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और उनके मिश्रण में कमाल किया गया है। चित्रण इतना प्रशस्त और नियमित है कि प्रकृति और सौंदर्य को पूर्ण रूप से समझनेवाले के सिवा दूसरा उन्हें अंकित नहीं कर सकता। इन सब बातों को देखकर चित्रकला के आधुनिक बड़े बड़े विद्वान् भी मुग्ध होकर मुक्त कंठ से इनकी उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर ग्रिफिथ ने मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई एक रानी के चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है—  
करुण रम और अपना भाव ठीक ठीक प्रदर्शित करने में चित्रकला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिल सकता। पलौरस के चित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सकें और वेनिस-वाले अच्छा रंग भर सकें परंतु उनमें से एक भी इसमें बढ़कर भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है। चित्र का भाव इस प्रकार है—

भुके हुए सिर, अधखुली आंखें और शिथिल अंग प्रत्यंग के साथ वह रानी मृत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी हलके हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, और एक दूसरी

\* दी पैटिंजल आफ अजंटा—जान ग्रिफिथ रचित, प्लेट न० १।



चितातुर दासी मानो नाड़ी देखाती हो, इस तरह उसका हाथ पकड़े हुए है। उसकी मुखमुद्रा से वह अत्यंत व्यग्र प्रतीत होती है, मानो वह यह सोच रही है कि मेरी इस स्वामिनी का प्राण-पखेरू कितना शीघ्र उड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ा है और दो पुरुष बाईं तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके चेहरों पर गहरी उदासीनता छा रही है। नीचे फर्श पर उसके संबंधी बैठे हुए हैं, जो उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल हो रहे हैं। एक अन्य स्त्री हाथ से अपना मुँह ढककर बुरी तरह रो रही है।

इन चित्रों के असाधारण कलाकौशल से आकर्षित होकर कई चित्रकलामर्मज्ञों ने इनकी नकले की और इन पर कई पुस्तकों भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

अजंटा की गुफाओं में अंकित जातक आदि का देखने से प्रतीत होता है कि उनके निर्माताओं ने अमरावती, माँची और भरहुत के स्तूपों की शिलाओं पर अंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तत्क्षण कला (sculpture) के नमूनों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया हो, क्योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है।

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अमभेरा जिले से बाघ गाँव के पास की पर्वतीय गुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जो ई० स० की छठी और सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं। वे भी अजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर्ण और चित्र-कला के उत्तम नमूने हैं। इन चित्रों की भी नकले हो गई हैं और उन पर एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। लंदन के 'टाइम्स' पत्र ने उक्त चित्रों की समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी समानता नहीं कर सकते। 'डेली टैलीग्राफ' पत्र का कथन है कि कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं

( १८६ )

की जा सकती । इनका रंग भी बहुत उत्तम है । जीवन और चेष्टा के भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से ये चित्र केवल अपूर्व और चित्ताकर्षक संस्कृति को ही नहीं बताते, किंतु वे एक सत्य और विश्वव्यापी प्रभाव के दर्शक हैं ।

कुछ समय पूर्व सित्तन नवासल में, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पदूकोटा से पश्चिमोत्तर में नौ मील परे है, पहाड़ को काटकर बनाए हुए मंदिर में भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है । इन चित्रों को सबसे पहले टी० ए० गोपीनाथ राव ने देखा । ये चित्र पल्लव शासक महेंद्रवर्मा ( प्रथम ) के समय ( सातवीं शताब्दी के प्रारंभ ) में बनाए गए हैं ऐसा अनुमान किया जाता है । इस मंदिर की भीतरी छतों, स्तंभों और उनके सिरों पर ये चित्र अंकित हैं । यहाँ का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हुए है । इस चित्र में कमलों से भरा हुआ एक सरोवर बतलाया गया है । पुष्पो के मध्य में मछलियाँ, हंस, भैंसे, हाथी और हाथ में कमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं । उन साधुओं का अंगविन्यास, उनका रंग और चेहरे की मधुरता वस्तुतः बहुत आनंदप्रद है । स्तंभों पर नाचती हुई स्त्रियों के चित्र भी हैं । इस मंदिर में अर्धनारीश्वर, गंधर्वों तथा अप्सराओं के भी चित्र हैं । अर्धनारीश्वर जटा-मुकुट और कुंडल पहने हुए हैं । उनकी आँखों से दिव्य महत्ता की गहरी सूचना प्रकट होती है । इन चित्रों में से कुछ का रंग फीका पड़ गया है, तो भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भली भाँति मिल जाता है । इन चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं ।

मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में लक्ष्मणपुर गाँव से १२ मील पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ी पर खुदी हुई 'जोगीमारा' गुफा की छत में भी कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के आसपास के माने जाते हैं ।

इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिले हैं वे ही हमारे निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट बचे खुचे नमूने हैं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसे उष्णता वाले स्थानों में बारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र बिगड़ते बिगड़ते भी किसी प्रकार अच्छी स्थिति में रह गए और उन्हीं से भारत की प्राचीन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता का अनुमान होता है।

इस समय के पीछे अनुमान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकला का इतिहास अधकार में ही है, क्योंकि उस समय के कोई चित्र नहीं मिले, परंतु चीनी तुर्किस्तान के खोतान प्रदेश, भारतिय शिल्पकला का अन्य देशों में प्रभाव दनदनयूलिक और मीरन स्थानों से दीवारों, काष्ठफलकों या रंशम आदि पर अंकित जो चित्र मिले हैं, वे चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के आसपास के अनुमान किए जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे लंका में भारतीय सभ्यता फैली हुई थी, वैसे मध्य एशिया में तुर्किस्तान या उससे परे तक भारतीय सभ्यता का विस्तार था और भिन्न भिन्न भारतीय शाखों तथा कलाओं आदि का वहाँ प्रचार हो गया था।

भारतीय चित्रकला यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी अंग प्रत्यंगों की सूक्ष्मता तथा सुंदरता पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके आंतरिक और मानसिक भावों को प्रदर्शित करने में ही अपना प्रयत्न सफल समझते हैं। व्यक्त के भीतर जो अव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों का मुख्यतम उद्देश्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह नहीं, जितनी मूलभाव को स्पष्ट करने से थी।

मिस्टर ई० वी हैबेल का कथन है—‘यूरोपीय चित्र मानो पंख कटे हुए हों, ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सौंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए दृश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है\*।’

बंगाल की आधुनिक चित्र-शैली अजंटा की प्राचीन शैली की तरफ झुकी हुई है।

## संगीत

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कला कौशल में बड़ी उन्नति कर चुका था, परंतु संगीत कला में तो इस देश ने बहुत ही अधिक उन्नति कर ली थी। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन बातों से संगीत का महत्त्व माना है, वे सब वैदिक काल में भी यहाँ विद्यमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीणा, भ्राम्भ, बंसी, मृदंग आदि वाद्य काम में आते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम ‘वीणा’, ‘कांडवीणा’ और ‘कर्करी’ ‡ आदि मिलते हैं। ‘भ्राम्भ को आघाटि§’ या ‘आघाट||’ कहते थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था। बंसी के नाम ‘तूणाव¶’ और ‘नाडो’ × मिलते हैं। मृदंग आदि चमड़ से मढे हुए वाद्य ‘आड-

• इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स; पृ० ८८ ।

† काठक संहिता ( ३४ । २ ) ।

‡ ऋग्वेद २ । ४३ । ३ ॥ अथर्ववेद ४ । ३७ । ४ ।

§ वही; १० । १४६ । २ ।

|| अथर्ववेद ४ । ३७ । ४ ।

¶ तैत्तिरीय संहिता ६ । १ । ४ । १ ।

× ऋग्वेद १० । १३५ । ७ ।

बर\*', 'दुंदुभि†', 'भूमि दुंदुभि‡' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग आदि बाजे तक वैज्ञानिक सिद्धांत पर बनाए जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उन्नति कर ली हो। तंतुवाद्यो में वीणा सर्वोत्तम मानी गई है, और वैदिक काल में यहाँ उसका बहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीत कला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली थी, जब कि ससार की बहुत सी जातियाँ सभ्यता के निकट भी नहीं पहुँचने पाई थी।

प्राचीन काल में भारत के राजा आदि संगीत के ज्ञान को बड़े गौरव का विषय समझते थे और अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते थे। पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के अज्ञातवास के समय अर्जुन ने अपने को बृहन्नला नामक नपुंसक प्रकट कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखाने की सेवा स्वीकार की थी। पांडुवंशी जनमेजय का प्रपौत्र उदयन, जिसको बत्सराज भी कहते थे, यागंधरायण आदि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीणा बजाने और मृगयादि-विनोद में सदा लगा रहता था। वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वश कर वनों में से उन्हें पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्रु उज्जैन के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में वह कैद हुआ और संगीत कला में निपुण होने के कारण चंडमहासेन ने उसे अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया। इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत-प्रिय

\* वाजसनेयी संहिता ३०।१६।

† ऋग्वेद १।२८।५।

‡ तैत्तिरीय संहिता ७।५।६।३।

होते थे और संगीत-वेत्ताओं को सादर अपने यहाँ रखकर इस कला की उन्नति कराते थे । राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष धुरंधर गायनाचार्य भी था । गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त प्रयाग के स्तंभ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु और नारद से बढ़कर बतलाता है और उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की मूर्ति बनी है । विक्रम संवत् की पाँचवीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम गोर का हिंदुस्तान से १२००० गवैयों का नौकरी के लिये ईरान भेजना वहाँ के इतिहास में लिखा है\* ।

हमारे निर्दिष्ट काल में संगीत की पर्याप्त उन्नति थी । नृत्य का सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था । स्त्रियों को तो नृत्य की विशेष शिक्षा दी जाती थी । राज्यश्री को संगीत सिखाने के लिये विशेष प्रबंध किया गया था, जैसा कि 'हर्षचरित' में पाया जाता है । स्वयं हर्ष की 'रत्नावली' में रानी के द्वारा प्रियदर्शिका को संगीत के तीनों अंगों के सिखाने का प्रबंध का उल्लेख है । ऐसे ही हर्ष के समय में नाट्यशाला ( प्रेक्षागृह ) तथा संगीतभवन होने का भी उल्लेख मिलता है । राजाओं के दरबार में नाच, गान आदि होता था । बाण ने हर्ष के दरबार में बंदी ( स्तुतिगायक ), मार्दगिक ( मृदंग बजानेवाला ), सैरंधी, लासक ( नाचनेवाला ), शैलालि ( नट ) और नर्तकी आदि का वर्णन किया है । भक्ति-मार्ग के साथ संगीत-कला की भी विशेष उन्नति हुई । संगीत विषयक ग्रंथों और आचार्यों का परिचय वाङ्मय के प्रकरण में दिया जा चुका है ।

कई बातों में यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता है, जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने लिखा है—'संगीत-लिपि ( Notation ) भारत से ईरान में, फिर

\* राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृ० २६—३० ।

( १८४ )

अरब में और वहाँ से गाइडो डो अरेजो ( Guido d' Arezzo ) के द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में पहुँची\* । प्रोफेसर नेबर का भी यही मत है । ऐनी विस्सन लिखती हैं—‘हिंदुओं को इस बात का अभिमान करना चाहिए कि उनकी संगीत लिपि ( Notation ) सबसे प्राचीन है†’ ।

---

\* विलियम हंटर; इंडियन मॅजेटियर, इंडिया पृ० २२३ ।

† शार्ट अकाउंट आफ दी हिंदू मिस्टम्स आफ म्यूजिक, पृ० ५ ।

## अनुक्रमणिका

- अक—ग्रीक—१११, डिमॉटिक—  
१११; फिनिशियन—१०,  
रोमन—१११;—विद्या का भारत  
में आविष्कार १०८
- अकक्रम—उत्पत्ति तथा प्रचार का  
इतिहास ११३, प्राचीन भारत  
का—१०६, मिश्र का पुराना  
—११०, मिश्र का सुधरा  
हुआ—१११
- अरुगणित—१२ पुस्तके, ११५
- अरुशैली—प्राचीन, अशोक के लेखों  
के उदाहरण ११०, भारतीय—,  
अलबेरुनी का मत ११४; नवीन-  
शैली के—,उमका प्रचारक ११३;  
नवीनशैली, बख्शाली गांव में  
खोदकर निकाली पुस्तक में ११२,  
दशगुणोत्तर—योगसूत्र के भाष्य  
में ११२; बृहत्संहिता की टीका में  
भट्टोत्पल द्वारा पुलिशा सिद्धांत  
का उद्धरण ११२, वराहमिहिर  
की पंचसिद्धांतिका में ११२
- अरुत्यज—इनकी आठ भेणियां, अल-  
बेरुनी का उल्लेख ४७
- अरुकादेवी—विक्रमादित्य की बहिन,  
राजकार्य में निपुणता ६६
- अरुक्षोभ्यतीर्थ १६
- अरुजंटा—देखो चित्रणकला
- अरुद्वैतवाद १००
- अरुद्वैत संप्रदाय—प्रचार का कारण ६७
- अरुनहिलवाडा—१५
- अरुनेक्सेर्चिस—दर्शनाभ्यासार्थ भारत  
आया १०१
- अरुनेकार्थसमुच्चय—शाखन का ८७
- अरुपत्र श भाषा १३७,—का साहित्य  
१३७;—में डिगल भाषा के  
गीत १३७
- अरुपवर्ग—प्राप्ति का उपाय, न्यायदर्शन  
के अनुसार ८८
- अरुभिधानपदीपिका—योगालाथनरचित,  
पाली का कोष १३६
- अरुभिधान-रत्नमाला—हलायुध की ८७
- अरुमरकोप—अमरसिंह का ८६;  
—का परिशिष्ट त्रिकांडशेष  
पुरुषोत्तमदेव रचित ८६;—का  
प्रसिद्ध टीकाकार, भट्टश्री-  
स्वामी ८६



- अमरुशतक—पर मैकडॉनल का मत ७६
- अर्ज बहर—आर्थभट के ग्रंथों का अरबी अनुवाद १०६
- अर्थशास्त्र—क्रोटिल्य का १३०, नीति-शास्त्र का पर्याय १३०, वर्तमान—१३२
- अर्धमागधी—में लिखे ग्रंथ १३५
- अलंकार शास्त्र—के मुख्य लेखक तथा ग्रंथ ८३
- अल्गोरिदमस—अल्खारिस्मी का अन्तर्गत ११७
- अल्मनसूर—वैद्यक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करनेवाला १२६
- अलख ( अल्लुट ) सूरि—काव्यप्रकाश के शेष भाग का लिखनेवाला ८३
- अलबेरुनी ६२, १०६
- अर्वातवर्मा २४
- अवंतिसुदरी—राजयोगर का विदुर्धा पत्नी ६४
- अवतार—जैनों के—, बौद्धों के—  
हिंदुओं के—३८
- अविद्या—दुःखों का मूल कारण ४
- अश्वघोष ७२
- अश्वमेध यज्ञ ८
- अशोक—मौर्यवंशी सम्राट् ३
- अहिंसा ५
- अहिंसावाद ७
- आकर्षण शक्ति—पृथ्वी में, १०५
- आगम २०
- आदित्य भक्त—हर्ष के पूर्वज ३१, ३२
- आध्यात्मिक जीवन—भारतीयों का, ५६
- आन्वीक्षिकी १३३
- आभूषण ५५;—पर हुएनत्संग का मत ५५, नथ और बुलाक ५६
- आय १५७
- आयुर्वेद—वैदिक साहित्य में—, ११८,  
—का प्रभाव, यूरोपीय चिकित्सा पर १२५, डाक्टर मील का मत १२७,—के तीन जन्मदाता आचार्यों का ऋग्वेद में उल्लेख १२०, वृत्त का गिद्धयोग—११६
- आर्किमीडीस ११८
- आर्थिक अवस्था १६३
- आर्थभट १०४
- आर्थभट—का आर्थभटीय १०३,—  
( नृसरा ) का आर्थमिद्धात १०३
- आलवार राजा १७
- आवातिक भाषा ( चृलिका पेशाची या भूत भाषा ) १३६
- इत्संग—५, १४६, १२६
- इबन खुरदाद—भारत में सात श्रेणियों का वर्णन ४५
- इस्लाम—के प्रचार में हिंदुओं की उदारता ३६
- उत्कृष्ट यज्ञ ५
- उत्तराधिकार संबंधी नियम १५६
- उज्ज्वल इत्त—उणादि सूत्रों का टीका-कार ८५

- उदयसुन्दरी कथा—सोढूल कृत ८०  
उपवास-चिकित्सा १२२
- एनीपद शस्त्र १२२  
श्रीदीक्ष्य—द्रविड़ों का एक भेद ४४
- श्रीजार—तेज धारवाले, राय का मत  
१६८;—की सूक्ष्मता १७०
- श्रीपधालय—पाटलिपुत्र के, फाहियान  
द्वारा वर्णित १२४
- श्रीपधिशस्त्र—भारतीय, विलियम हटर  
का मत १२६
- कचायन—पाली भाषा का प्राचीन  
वैयाकरण १३४
- कछनी (hallpant) ४४
- कडुफिमिय २०
- कथाएं ७६
- कनड़ी भाषा के ग्रंथ १४१
- कनड़ी साहित्य १४१
- कनिष्क ६
- कपालकुंडला २३
- कपिल १०२
- कर्मचारियों के नाज १२६, १२७
- कर्मयोग १८
- कर—१२८; भूमि पर—१२७; हुए-  
सिंग द्वारा वर्णित १२८
- करिकाल चाल—सौ मील का बाध  
बनवानेवाला १६४
- कलट—२४
- कविराज मार्ग—अमोघवर्ष-कृत, कनड़ी  
भाषा में १४१
- कवि—उनके तथा उनके ग्रंथों के  
नाम ७८
- कवींद्र-वचन-समुच्चय—'टामस'-प्रका-  
शित ७८
- कन्निय—द्वारा खाट पर मरना निन्द-  
नीय ६३,—का उच्च जीवन,  
हुएनसिंग का उल्लेख ४५,  
इनका समाज में स्थान ४४,  
इनकी दो श्रेणियाँ, कटरिय  
श्रीर मद्रकुट्टिय—४५, पेशे के  
अनुसार—४५, इनमें मद्य  
उत्पत्ति, अल्मामजदी का उल्लेख  
४५, इनमें शिक्षा का प्रचार  
४४, इनमें वंश, सूर्यवंश और  
चंद्रवंश ४५, वंशों का उल्लेख,  
राजतरंगिणी में ४६
- क्षेत्रगणितशास्त्र—भूमिमापन पर १३३
- क्षेत्र कवि—के ग्रंथ ७७
- कातंत्र व्याकरण—शर्धवर्मा का ८२
- कापालिक—२७
- कामशास्त्र—१२७, १२८,—पर लिखने  
वालों के नामों की सूची, वात्स्या-  
यन से पूर्व, १२७
- कामसूत्र—वात्स्यायन प्रणीत १२७
- कायस्थ—( अहल्कार ) ४७; अह-  
ल्कारी का पेशा करनेवाली एक  
जाति ४८, सूरज धज—शाकद्वीपी  
( मग ) ग्राह्यण ४८, बालभ—  
क्षत्रिय जाति के ४८

- कायावतार २२  
कालामुख २३  
कालिदास ७५  
काव्य, गद्य ७६  
काशिकावृत्ति—का अध्ययन १४५  
काशिकावृत्ति—जयादित्य और वामन  
कृत, पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य  
८५  
कासिम—मुहम्मद ३८  
किरातार्जुनीय—भारवि कृत ७५  
कुमारपाल—१५  
कुमारिल भट्ट—७, ३५ एक मीमांसक  
मन का प्रवर्तक ६४,—द्वारा  
लिखित का तंत्रवार्तिक और श्लोक  
वार्तिक, मीमांसा पर ग्रंथ ६४;  
—द्वारा पशुहिंसा की पुष्टि ३५,  
—द्वारा कर्मकांड का पुनरुज्जीवन  
३५  
कुरते—५४  
कुरल—ऋषि तिरुवल्कुकर कृत  
तामिल का एक उत्कृष्ट ग्रंथ १४०  
कुलोत्तुंग चोडदेव, १२०० मील लंबा  
सड़क बनानेवाला १६६  
कुशिक २२  
कुशितर्या—मल्लों की ५२  
कुसुमांजलि—उदयनकृत, आम्निक-  
वाद का उत्कृष्ट ग्रंथ ८६  
कूर्मशतक १३६  
कृमिशास्त्र १२३  
कृष्णमिथ का प्रबोधचंद्रोद्भव ८२  
कृषक—इनके संघों का उल्लेख स्मृ-  
तियों में १७०  
कृषि १६३,—करना पाप—जैनियों  
तथा बौद्धों का मत ४१, ४६;  
—संबंधी ग्रंथ १३३  
कैची—( भुरिज ), ऋग्वेद में ५३  
कोकशास्त्र १२८  
कोपवर्धन पर्वत ६  
कोप—संस्कृत भाषा के, ८६; और  
कोपकारों के नाम ८७  
कौरुष्य २२  
कौलमत—कर्पूरमंजरी में २८  
खेती—की उन्नति (भूमि के नाप)  
१५८  
गगवंशी राजा १४  
गण—इनका वर्णन, बौद्ध साहित्य में  
१७०; (संघ) कृषकों का १७०,  
—संस्था ( Guilds ) १७०,  
गड़रियों के—१७०, व्यापारियों  
के—१७०  
गणित शास्त्र—की उन्नति—१०७  
भारतीयों द्वारा आविष्कृत, बीज-  
गणित, ज्यामिति और खगोल—  
११६  
गणित शास्त्र—भारतीय, काजोरी  
द्वारा प्रशंसा १०७, १०८,  
डी मार्गन द्वारा प्रशंसा १०८,  
—के भिन्न भिन्न विषयों की  
सूची ११५; सरल गणित के  
आठ नियम ११५

- गणेश की सूँड का वर्णन—मालती-  
राघव में २६
- गतिशास्त्र ११८. ग्रहमंडल संबंधी  
११८
- गधिया—गिक्को के उपयुक्त नाम का  
इतिहास १६२
- गर्ग २२
- गरुडध्वज—हेलियोदोरनिर्मित १८०
- गानभवन ५१
- गीतगोविंद—जयदेवकृत, गेय काव्य  
७७
- गुफाएँ—दो प्रकार की चैत्य और  
विहार १७४
- गुरु ११
- गुह ७
- गोवर्धनाचार्य—कृत ध्वन्यालोक ८३
- गौतम बुद्ध ३ ६, १०, १२
- गौडवहो—मे मनुष्य तथा पशुओं  
की बलि ६२
- ग्रंथलिपि—तामिल की नवीन लिपि  
१४०
- ग्रामसंस्था १५३, इनकी निर्माणपद्धति  
१५४
- ग्रामसभाएँ १५३
- घारापुरी २१
- चंद्रगोमिन—कृत चांद्र व्याकरण ८५
- चक्रपाणिदत्त—सुश्रुत और चरक का  
टीकाकार, चिकित्सा-सार-संग्रह  
का लेखक ११६
- चतुर्वेद पृथूदक स्वामी—ब्राह्मस्फुट  
सिद्धांत का टीकाकार १०४
- चरक ११८; लेटिन में—१२५, सैरेपि-  
यन द्वारा प्रामाणिक माना  
जाना १२६
- चरक-संहिता—अग्निवेश के आधार  
पर ११६
- चरित्र—की उज्ज्वलता, भारतीयों  
के ६२, मेगस्थनीज का मत ६२;  
हुएन्सिंग का मत ६३, अल् इद-  
रिसी का मत ६३, शम्सुद्दीन अबु  
अब्दुल्ला का मत ६३; मार्को  
पोलो का मत ६३
- चारवाक १००,—संप्रदाय २०, २८;  
—के सूत्रों का कर्ता बृहस्पति ६८
- चालुक्य १४
- चिकित्सा—पशु की, मनुष्य की ११८,  
शल्य तथा उसका विद्वान् जीवक  
१२०
- चिकित्सासार-संग्रह — चक्रपाणिकृत  
११६
- चिकित्सा शास्त्र—अरब का १२५
- चिकित्सालय १२५
- चित्तौड़ का किला २१
- चित्र—‘जागी मारा’ गुफा के १८६;  
गुफाओं की दीवारों पर—१८३,  
अजंटा में—१८५
- चित्रणकला—भारतीय, टाइम्स का  
मत १८८, डेली टेलीग्राफ का  
मत १८८,—की विशेषता  
( भावप्राधान्य ) १६०;—पर

- हेवेल का मत १११; अजंठा की विश्वास, बाण की काटंबरी गुफाओं में—१८३, ग्रिफिथ जे ६१; अथर्ववेद में ६१ द्वारा प्रशंसा १८७, सित्तन जे.—इनकी पाठशालाएँ १३; इनकी नवासल में—१८६ नमस्कारविधि १३,—धर्म ( देखे धर्म )
- चित्रशालाएँ ११
- चीर फाड़—संबंधी शस्त्र तथा गंत्र १२० जैनमत—का प्रचार दक्षिण में १३
- चुनाव—सर्वजनिक ११४ जैन महाराष्ट्री—महाराष्ट्री प्राकृत का पुंगी कर १२८ एक भेद १३६
- चैन्य १७४ जैनियों—पर अत्याचार १४
- चोल १३, १४ जैमिनि १३
- छंदशास्त्र—के ग्रंथकार तथा ग्रंथ ८३ जोगीमारा—गुफा के चित्र १८६
- छंदोबद्ध लोख—इनकी प्रचुरता ८४ ज्या और उत्कम ज्या—की सारणियां छूतछात—का अभाव, भिन्न भिन्न वर्णों में ११७
- जंगम २४ ज्योतिष—वेद का एक अंग १०२, वेदों में—( दिन-रात होने का कारण ) १०२; फलित ज्योतिष १०६, १०७, अलबेरूनी द्वारा उल्लेख १०५, चीन में प्रचार १०६, प्रोफेसर विल्सन का मत १०६, भारतीय और यूनानी ज्योतिष की समानता १०३, नक्षत्र और कालनिर्णय का ज्ञान १०२, भारतीय ज्योतिषियों का अरब में बुलाया जाना १०६; लह्ल का लल्लमिद्दांत १०४, वृद्धगर्ग संहिता, ज्योतिष पर ग्रंथ १०३; सुरीयपञ्चति, ज्योतिष पर ग्रंथ १०३; सूर्यमिद्दांत १०३; उस के चार भाग १०५, सिंहाचार्य ज्योतिर्विद १०३; सिंह
- हैवेल का मत १११; अजंठा की विश्वास, बाण की काटंबरी गुफाओं में—१८३, ग्रिफिथ जे ६१; अथर्ववेद में ६१ द्वारा प्रशंसा १८७, सित्तन जे.—इनकी पाठशालाएँ १३; इनकी नवासल में—१८६ नमस्कारविधि १३,—धर्म ( देखे धर्म )
- चित्रशालाएँ ११
- चीर फाड़—संबंधी शस्त्र तथा गंत्र १२० जैनमत—का प्रचार दक्षिण में १३
- चुनाव—सर्वजनिक ११४ जैन महाराष्ट्री—महाराष्ट्री प्राकृत का पुंगी कर १२८ एक भेद १३६
- चैन्य १७४ जैनियों—पर अत्याचार १४
- चोल १३, १४ जैमिनि १३
- छंदशास्त्र—के ग्रंथकार तथा ग्रंथ ८३ जोगीमारा—गुफा के चित्र १८६
- छंदोबद्ध लोख—इनकी प्रचुरता ८४ ज्या और उत्कम ज्या—की सारणियां छूतछात—का अभाव, भिन्न भिन्न वर्णों में ११७
- जंगम २४ ज्योतिष—वेद का एक अंग १०२, वेदों में—( दिन-रात होने का कारण ) १०२; फलित ज्योतिष १०६, १०७, अलबेरूनी द्वारा उल्लेख १०५, चीन में प्रचार १०६, प्रोफेसर विल्सन का मत १०६, भारतीय और यूनानी ज्योतिष की समानता १०३, नक्षत्र और कालनिर्णय का ज्ञान १०२, भारतीय ज्योतिषियों का अरब में बुलाया जाना १०६; लह्ल का लल्लमिद्दांत १०४, वृद्धगर्ग संहिता, ज्योतिष पर ग्रंथ १०३; सुरीयपञ्चति, ज्योतिष पर ग्रंथ १०३; सूर्यमिद्दांत १०३; उस के चार भाग १०५, सिंहाचार्य ज्योतिर्विद १०३; सिंह

- हिंदू, भारतीय ज्योतिष का अरबी अनुवाद १०५
- तन्नण कला—१७४, बाङ्गोली के मंदिर की—, कर्नेळ टाइ द्वारा उसकी प्रशंसा १७७, फर्ग्युसन द्वारा प्रशंसा १७७
- तथरी—एक इतिहासलेखक १०५
- तर्कशास्त्र—पर मैकम डंकर की सम्मति १०२
- तात्पर्यपरिशुद्धि—उदयनाचार्य कृत ८६
- तामिल भाषा—सबसे मुख्य द्रविड़ भाषा १४०, —में लिखे ग्रंथों के नाम १४०
- तार्थ्य—रेशमी चोगा ५३
- तिरुयान संबंध २५
- तिलकमंजरी—धनपालकृत ८०
- तीर्थकर—१०, १२, १३
- तोलकाप्पियम—तामिल का सबसे प्राचीन व्याकरण १४०
- त्योहार—हिंदुओं में प्राधान्य ५१
- त्रयी १३३
- त्रिकांडशेष—पुरुषोत्तम देव कृत, अमरकोष का परिशिष्ट ८६
- त्रिकूर्चक शास्त्र १२१
- त्रिकोणमिति ११७
- त्रिमूर्तियाँ २०
- दंतशंकु १२१
- दंड १५५
- दंडनीति १३३
- दशकुमारचरित—दंडी कृत ८०
- दशरात्र यज्ञ ८
- दर्शन—अध्ययनार्थे यूनानियों का पूर्व की यात्रा करना १०१; प्राच्य दर्शन पर श्लेगेल का मत १०१; हंटर का मत १०२; अनीश्वर-चादी ६४, बौद्ध दर्शन पर हिंदू दर्शन का प्रभाव ६, प्राच्य दर्शन का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव १०१, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन ६५, बौद्ध—६६, ६६; जैन—६६,—के छः संप्रदाय ८७,—की उन्नति ८७
- दशगुणोत्तर संख्याक्रम ११२
- दामोदर कृत—हनुमन्नाटक ८२
- दार्शनिक उन्नति—का सिंहावलोकन १००
- दाम प्रथा—हिंदू समाज में ५६, मनु, याज्ञवल्क्य स्मृतियों में—५६-१५ प्रकार के दासों का उल्लेख, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर द्वारा ५६; दासों की अवस्था ६०, दासों की मुक्ति, याज्ञवल्क्य तथा नारदस्मृति में ६०, दास की मुक्ति का उल्लेख, मिताचरा में ६१, दासों और सेवकों में अभिन्नता ६१
- दाहक्रिया १२२
- दिकपालो का उल्लेख, पतंजलि के महाभाष्य में ३२

दिगंबर १२

दिल्लूनाग—मध्यकालीन न्याय का प्रवर्तक ६०

दिव्यसाक्षी—( ordeal ) की प्रथा १२५

देवदत्त नागधरणी ६

देवर्धिगणि क्षमाश्रमण १३

दोलोरसव ५२

धृतगृह ५२

द्रविड़—भाषाओं का साहित्य १३६;  
श्रौदीच्य, द्रविड़ों का भेद ४४  
द्रापि—युद्ध के समय पहिना जाने-  
वाला सिया हुआ वस्त्र—सायण ५३

द्राविड़ी भाषा ७४

द्वारसमुद्र के यादव १८

द्वैतवाद १००

धर्म—शब्द की व्यापकता १३१,—की शिक्षा १४६,—शास्त्र १३१;  
जैन धर्म १५,—का प्रचार १५;  
—की प्रगति १०;—का हास १३, १४;—का लिपिवद्ध होना १३;—के तीन रत्न ११;—के नौ तत्व १०;—के सिद्धांत १०;  
बौद्ध धर्म १५, १६, ६६,—का पतन ८;—में त्रुटियाँ ८;—के भेद ५; प्रारंभिक—६;—का मध्यम पथ ४,—के सिद्धांत ४;—की विशेषता ५;—में त्रिरत्न ५;—में संप्रदाय ५,

जैनधर्म का पार्थक्य १२;

धर्मपरिपद्, बलभी की १३;

धर्मलेख, अशोक का १२;

वेदिक धर्म १५;—के सिद्धांत ६,

१७, धर्मसम्मेलन—हुएन्संग

द्वारा वर्णित—५१; हिंदू धर्म

१५,—के प्रधानभूत श्रंग,

ईश्वर और वेद पर श्रद्धा ३५,

परधर्मियों की और सहिष्णुता

के उदाहरण ३८,—में सहि-

ष्णुता ३७,—के सामान्य श्रग

३३,—का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर ५

धर्मोत्तर—न्यायबिंदु का टीकाकार ६०

धातुविज्ञान—पर ग्रंथ १३३

धार्मिक जीवन—में प्रायश्चित्त का महत्त्व ३४

धार्मिक त्योहार—अलक्षेयनी का वर्णन ३४

धार्मिक स्थिति का—सिंहावलोकन ३७

धार्मिक—सहिष्णुता ३७,—साहित्य में परिवर्तन ३४,—साहित्य शैलों का २५

धोती ५४

ध्वन्यालोक—गोवर्धनाचार्य कृत ८३

नकुलीष २२

नगर-सभाएँ—( म्युनिसिपैलटियाँ )

१५५

नटसूत्र—शिलाली और कुशाश्व के

१२६

नरहरितीर्थ १६	न्यायसूत्र—वात्स्यायन कृत ८६; इसके
नलचंपू—त्रिविक्रमभट्ट कृत ८१	भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर
नलोदय ७६	८६
नागरसर्वस्व—बौद्ध पद्यश्री कृत	न्यूटन १०२, १६७
( कामशास्त्र पर ) १२८	पंचतंत्र—उसके अनुवाद ७६
नागरी वर्णमाला २७	पंचमहायज्ञ का अधिकार—शूद्रों को
नाट्यनियमों के ग्रंथ १२६	( पातंजल महाभाष्य ) ४६
नाट्यशास्त्र—भरत का १२६	पञ्च महाव्रत ११
नाटक—श्रीर उनके कर्ताओं की	पंचरात्र संहिता—भागवत संप्रदाय का
नामावली ८३	मुख्य ग्रंथ १७
नाटकगृह २१	पंच स्कंधों का संघ ४
नालदियार—तामिल का प्राचीन-	पंचसायक—ज्योतिरीश्वर कृत ( काम-
तम ग्रंथ १४०	शास्त्र पर ) १२८
निघंटु १२६	पंचायत का प्रभाव १२२
निर्वाण ४	पंचायतन—पाँच मुख्य उपास्य देवता
नीतिसार—कामंदक कृत १३०	३२
नृत्य—१२६, स्त्रियों को विशेष शिक्षा	पंचायतन पूजा—परस्पर एकता का
१६३	परिणाम ३७
नैयायिक—सुबधु द्वारा उल्लेख ८६	पतंजलि १६
नौशास्त्र—नौ निर्माण पर १३४	पद्मनाभतीर्थ १६
न्याय ६६, १००, प्राचीन न्याय	पदार्थधर्मसंग्रह—प्रशस्तपाद कृत
६०; मध्यकालीन न्याय ६०	( वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा-
न्यायबिदु—का टीकाकार, धर्मोत्तर	णिक ग्रंथ ६१;—का व्याख्याता,
६०; धर्मकीर्ति कृत—६०, नवीन	श्रीधर ६१
न्यायसंप्रदाय का अभ्युदय ६०	पर्दा विषयक घटना—हुएन्संग ६६
न्यायद्वारतारक शास्त्र—नागार्जुन कृत	पर्दा—का अभाव ६२,—अस्तित्व
१४२	नाटकों में नहीं ६६; प्रचार,
न्याय-व्यवस्था—याज्ञवल्क्य वर्णित	मुसलमानों के बाद ६६, राज्यश्री
१२२	का हुएन्संग से मिलना ६६
न्यायदर्शन ८८	परमाणुवाद—वैशेषिक का ६१



- पशुपत्तियो—का शोक ५२
- पशुचिकित्सा—१२२ (देखो चिकित्सा)  
—पर लिखे ग्रंथों की नामावली  
१२२.—संबंधी संस्कृत ग्रंथों  
का फारसी में अनुवाद १२३
- पशुविज्ञान १२३
- पशुहिंसा की पुष्टि, कुमारिल द्वारा  
३५
- पांड्य १३
- पाणिनि १६;—द्वारा नैयायिक शब्द  
की व्युत्पत्ति ८७,—में आदर  
भाव, महाभाष्यकार का ७४,  
—द्वारा संस्कृत का नियमों में  
जकड़ा जाना ७४;—के व्याकरण  
पर वार्तिक तथा महाभाष्य  
८५;—द्वारा शिलाली और कुशा-  
श्व के नटसूत्रों का उल्लेख ८१
- पारा—अलबेरूनी का उल्लेख ११६
- पार्श्वभ्युदय काव्य—में मेघदूत वा  
समाविष्ट होना ७७; जिनसेन  
कृत ७७
- पिरोह—दर्शन अध्ययनार्थ भारत  
आया १०१
- पुनर्जन्म ५
- पुनर्विवाह—पर पराशर का मत ६८,  
—पर अलबेरूनी का मत ६८
- पुराण—अठारह २६;—का प्रचार ३३
- पुष्यमित्र ८
- पूजा—गणपति की २६, गणेश की  
२८; गणेश अंबिका की २८;
- त्रिदेव की २६; शक्ति की २७;  
सूर्य की २६; सूर्यमूर्तियों की  
मगों द्वारा, ३०, स्कंद की हेमाद्रि  
के व्रतखंड में २६; स्कंद या  
कार्तिकेय की २६
- पूर्वमीमांसा—६३, १००,—की व्यु-  
त्पत्ति ६५
- पृथ्वी के गोल होने का प्रतिपादन  
१०५
- पेशस—नाचने के समय वस्त्र विशेष ५३
- पैथागोरस—दर्शनअध्ययनार्थ भारत  
आया १०१
- प्रजातंत्र राज्य (गणराज्य) १५१
- प्रद्युम्न—ज्योतिर्विद १०३
- प्रबोधचंद्रोदय—कृष्ण मिश्र का ८२
- प्रमाण—चार प्रकार के ८८
- प्रमेय—संख्या में बारह ८८
- प्रस्थानत्रयी—( वेदांत सूत्र, उपनिषद्,  
गीता ) ६५
- प्राकृत—बोल चाल की भाषा ७४;  
—के कोष १३६,—के व्या-  
करण १३८,—के भेद १३५;  
पुरानी—१३४, प्रचलित—  
अशोक की धर्माज्ञाएँ १३४,—  
लेखकों के नाम, कर्पूरमजरी में  
१३६,—साहित्य १३४
- प्लिनी—भारतीय काल पर १६६,  
भारत के रत्नों पर १७३
- प्लीट २४
- बर्जाहोह—नौशेरवाँ का समकालीन,

- भारत में विज्ञान सीखने आया १२६
- बलि—मनुष्य और पशु की ६२
- बसव २४
- बसव पुराण २४, १४१
- बहम ६१
- बाणभट्ट ६, २३,—का पुत्र पुलिनभट्ट ८०;—कृत कादंबरी और हर्ष-चरित ८०, शूद्र स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण के पुत्र का उल्लेख ४६, हर्ष के जन्म पर कदियों के छोड़ जाने का उल्लेख १२५
- बीजगणित ११२, काजोरी का उल्लेख ११५, के अरब में प्रचारक, मूसा और याकूब ११६
- बुद्ध—विष्णु का नवाँ अवतार—१. अतीत—६; भावी—२, वर्तमान—६
- बृहत्कथा—गुणाख्य कृत ७६, १३६, उसके संस्कृत अनुवाद ७६, १३६,
- बृहत् कथामंजरी—लेमेद्र कृत ७६
- बृहत् कथा श्लोकसंग्रह ७६
- बृहद्रथ—मौर्यवंश का अन्तिम राजा ८
- बृहस्पति—चारवाक्य संप्रदाय के सूत्रों का कर्ता ६८
- बोधिसत्व ६
- बौद्ध ६८;—पर अत्याचार ८,—धर्म (देखा धर्म),—भिक्तुओं में मतभेद ५;—सिद्धांतों का खंडन ७
- ब्रह्म ६६
- ब्रह्मगुप्त—ज्योतिष का विद्वान्, उसके ग्रंथ १०४
- ब्रह्मदेव का करणप्रकाश १०४
- ब्राह्मण—अनुजैद द्वारा उल्लेख ४०; अल्मसज्जदी का उल्लेख ४१,—के कर्तव्य ४१,—का समाज में स्थान ४०;—सभाएँ १२३, उपनामों का प्रयोग ४३, गोत्र तथा उपनामों के साथ उल्लेख ४३,—के भेद, शाखा और गोत्र के अनुसार ४३, पंचगोड और पंचद्रविड ४४,—के आत्म मरणोपाय के उदाहरण ६३,—में प्याज लहसुन वर्ज्य ५८,—में मांस-भक्षण ५८;—का अन्य वर्णों के हाथ का बना भोजन खाना ५०
- भक्तिमार्ग ६, १६, १८
- भक्ति—राम की—१८; वासुदेव की—१६, शिव की—२०
- भटनारायण—कृत वेणीसंहार ८२
- भट्टि काव्य ७६
- भट्टोत्पल—वगहमिहिर और उसके पुत्र के ग्रंथों का टीकाकार १०७
- भगवद्गीता १६
- भदंत ६
- भर्तृहरि—के ग्रंथ ८५
- भरत—कृत नाट्यशास्त्र ८१
- भवननिर्माण शास्त्र १३३
- भवभूति २३;—के ग्रंथ ८१,—के

- मालती माधव में बलिदान का उल्लेख ६२
- भविष्य पुराण—में सर्पों के जन्म आदि का वर्णन १२३
- भविष्यत्त कहा—धनपाल कृत १३७
- भस्त्री—चमड़े की, वैदिक साहित्य में ५३
- भागवत संप्रदाय—का मुख्य ग्रंथ पंच-रात्र संहिता १७
- भास्कराचार्य १०३, १०४, ११७, ११६
- भास ७५
- भूगोल ११८
- भूतभाषा—के प्रचार संबंध में राज-शेखर का मत १३६
- भूभ्रमण—के सिद्धांत का विरोध १०४
- भृगु मुनि २२
- भोज कृत—चंपूरामायण ८१
- भोज—उपवनों में ५२
- भोजन ५०,—पर इत्सिंग का मत ५७,—अल इदरिसी का मत ५७,—हुएन्संग का मत ५७
- भौतिक उन्नति ५०
- मंख—का श्रीकंठचरित १५२
- मंडनमिश्र—की विदुषी पत्नी ६४
- मंत्री १५२
- मंत्रिपरिषद् का शासन में अधिकार १५२
- मंदिर—के स्थानों का उल्लेख १७७; आर्य तथा द्रविष्य शैली के— १७५; चालुक्य शैली के—१७६; महमूद गजनवी का उल्लेख १७८,—की प्रशंसा १७८; राजशेखर का शिव मंदिर २५, ३१, १७३
- मग ब्राह्मण—का शाकद्वीप से आना ३०; अलबेरुनी का उल्लेख ३१
- मठों—की स्थापना ३३,—द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार ६७
- मंदिरापान—पर अल मसजदी ५८
- मदुरा १३, १४
- मध्व २०
- मध्वाचार्य १६,—का जैमिनीय न्याय-माला विस्तार ६४, ६५,—का तत्त्वसंख्यान ६८,—का द्वैतवाद ६८,—के द्वैतप्रतिपादक भाष्य ६८,—के शिष्य १६
- मनुस्मृति—तथा उस पर टीकाएँ १३१
- मनोविज्ञान—पर बेसेट की सम्मति १०२
- मम्मटाचार्य—कृत काव्यप्रकाश ८३
- मलयालम्—का साहित्य १४१
- महमूद गजनवी १७३
- महानिर्वाण ५
- महाभारत—का तेलगु में अनुवाद १४१
- महाभाष्य—का अध्ययन १४५

- महायान ६;—पर प्रभाव, भगवत-  
गीता का ६  
महाराष्ट्री प्राकृत—मे लिखे ग्रंथ  
१३६, प्राकृत का एक भेद १३६  
महावीर ६, १०, १२  
महासुत सोम जातक १४४  
मांसभक्षण—पर मसऊदी ५७;—का  
स्मृति तथा ब्राह्मणों में उल्लेख ५७  
मागधी—प्राकृत का भेद १३५  
मातृका—सात शक्तियाँ २७  
माधव २३  
माधवतीर्थ १६  
मालतीमाधव २२  
माया ६६;—का वर्णन, गौड़पाद की  
कारिकाओं में ६५,—वाद के  
मिद्घांत का प्रभाव ६८, वेदांत  
सूत्रों में अभाव ६५  
मार्को पोलो ६४  
मिताक्षरा—विज्ञानेश्वर कृत १३०,  
—मे दासों की मुक्ति का उल्लेख  
६१  
मीमांसा—न्याय का समानार्थक शब्द  
६३,—शास्त्र ६३  
मीमांसकों—के दो भेद ६४  
मुकदमा—अलबेरूनी का उल्लेख  
१६२  
मुहम्मद कासिम ३८  
मूर्तिर्या १७६, उनकी कल्पना का  
प्रवाह ३२; अष्ट विक्रमों की—  
३२; गणपति की—२८, २६;  
बुद्ध की—६, २०, ब्रह्मा की—  
२५, २६; लकुलीशा की—२२;  
विष्णु की—२० शिव की—  
२०, २१; शिव की त्रिमूर्ति—  
२१; सूर्य की—२०, ३१; मूर्ति-  
पूजा १६; संकर्षण और वासु-  
देव की—१६  
मृगपक्षि शास्त्र—हंसदेव लिखित  
१२४  
मोगास्थनीज १६, १६५  
मेले १६७  
मोक्ष २२;—की प्राप्ति १६  
यंत्र—इनकी संख्या पर सुश्रुत और  
वाग्भट का मत १२१; वर्णन  
१२१  
यांत्रिक उन्नति १८२  
याज्ञवल्क्य स्मृति १३१, १५५  
योग ६३, १००  
योगदर्शन ६२  
योगान्तरसंग्रह—विज्ञानभिक्षु का ६३  
योगसूत्र—पर व्यासभाष्य, वाचस्पति  
मिश्र की टीका ६३,—पर टीका  
राजा भोज की ६३  
योग शास्त्र—मे तंत्र और काव्यव्यूह  
का विस्तार ६३  
रत्नपरीक्षा—पर ग्रंथ १३३  
रतिरहस्य—कोका पंडित का १२८  
राघवपांडवीय—कविराज कृत ७७  
राज्यवर्धन ६  
राज्यश्री—की शिक्षा का उल्लेख, बाण

- द्वारा ५४;—को ललित कला की शिक्षा ६५
- राजनीति शास्त्र १३०; नीतिवाक्यामृत—सोमदेव सूरिकृत १३०, साहित्य के ग्रंथों में—१३०, महाभारत का शांतिपर्व १३०
- राजनीतिक स्थिति—स्त्रियों की १५६
- राजमुद्राएँ १५७
- राजसृगांक ( करण )—भोजदेव कृत १०४
- राजराज चोल १४
- राजशेखर—कृत नाटक २८, ८२
- राजसिंह—पल्लव शासक २५
- राजसूय यज्ञ ८
- राजा—के कर्तव्य १५१
- राम-भक्ति १८
- रामानुज १४, १८, १६ ६६, ६७,
- रुग्विनिश्चय—या माधवनिदान ११६
- रुद्र शक्तियाँ २७
- रेखागणित ११६, ११७,
- रोमक सिद्धांत १०३
- लकुटीश २२;—के शिष्य २०
- लल्ल सिद्धांत—लल्ल का १०३
- ललित कला—विषयक रत्नावली में उल्लेख ६५
- लाटथायन—कृमियों और सरीसृपों का विद्वान् १२४
- लाटाचार्य—ज्योतिर्विद् १०३
- लिंगपुराण २२
- लिंगायत—( वीर शैव ) २४;—का प्रवर्तक, एकांत २४
- लीलावती—भास्कराचार्य कृत ६५
- वनस्पतिशास्त्र—के कोष ११६
- वराहमिहिर—की पंचसिद्धांतिका १०३, १०६, १०७
- वर्ण—हुण्टर्सग का उल्लेख ४०, थलबेरुनी का उल्लेख ४१, ४२, ४८, चारो वर्णों का खाना-पीना ५०
- वर्णाश्रम व्यवस्था—का विरोध ४०, ४६
- वरुण—ब्रह्मगुप्त के खंडखाद्य का टीकाकार १०४
- वसुदेव—रत्नावली में ५१
- वसुगुप्त २२
- वस्त्र—हुण्टर्सग का वर्णन ५४, ऋण का वर्णन ५४
- वाकाटक वंशी ८
- वाग्भट्ट—( तेरह प्रकार के राज्य कर्म मानता है ) १२१,—कृत अष्टांग संग्रह ११६;—कृत अष्टांगहृदय-संहिता ११६
- वाङ्मय ७३
- वाचस्पति—का चापीय घनक्षेत्र निकालने का साधन ११८
- वाचस्पति मिश्र—उद्योतकर का टीकाकार ८६
- वाद्यो—की वैज्ञानिकता १६२,—

के नाम, वेद में १११	वेद ३३
वार्ता—( अर्थशास्त्र ) १३२;—पर ग्रंथ—१३२, १३३	वेदांत १६, १७, १८, —सूत्र व्यास के १६;—पर भागुरी कृत भाष्य १६, —का साम्य, जेनाफिनस और परमैनिडस के सिद्धांतों से १०१
वासवदत्ता—सुबंधु कृत ८०	
वास्तुविद्या १८१	
विजयनदी—(ज्योतिर्विद् ) १०३	
विजल—कलचुरि राजा २४	वैजयंती कोष—यादवभट्ट कृत ८७
विनयादित्य—गणित का पंडित ४४	वैनाख्य पर्वत ११
विमान—का वर्णन १०३	वैताल-मंत्रविंशति ७६
विवाह—अनुलोम ४६, उदाहरण ४६, —की परिमिति, उपजातियों में ३८, ४८, ५०, प्रतिलोम ४६, —के अवसर पर कन्या की आयु ६७, —वयस के संबंध में कुछ उदाहरण ६७; बहुविवाह की प्रथा ६७, बालविवाह ६७, विधवा-विवाह ६७, ६८	वैदिक धर्म ३ वैदिश्री शानकर्णा ८ अल्मनसूर—वैद्यक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करनेवाला १२६ वैद्यक—का विकास, बौद्धकाल में ११८ वैशाली १० वैशेषिक—नाम की व्युत्पत्ति ६१, —दर्शन, कणाद कृत ६०, ६६ वैश्यों—के कार्य ४६, पर हुण्ट्संग ४६, — का कृषिकार्य ४६ वैश्यापेरूमई—व्यापार विषयक ग्रंथ १३४ व्यवसाय—लोहे का १६८, १६९; भारतवर्ष में १६७, वस्त्र का— १६८ व्याकरण—के ग्रंथों के नाम ८६; का महत्त्व ८२, चांद्र व्याकरण— चंद्रगोमिन कृत ८२;—के ग्रंथों का वर्णन, इत्सिंग द्वारा १४२, —का अध्ययन १४२
विशाखदत्त—कृत मुद्राराक्षस ८२	
विशिष्टार्हंत १८, २२	
विष्णु—के अवतार १७	
विष्णुवर्धन १४, १८	
विश्वविद्यालय १४२, गठ या विद्या- लयों की संख्या १४२, तत्त्वशिला का—१४४, नालंद का—१४२, १४३	
बिहार १७४	
विज्ञानस्कंध ४	
विज्ञानेश्वर—१५ प्रकार के दासों का उल्लेख २६	
वृद्धगर्गसंहिता—ज्योतिष पर ग्रंथ १०३, १०६	
म०—२७	

- व्यापार—जलमार्ग से १६५, १६६;  
स्थल मार्ग से १६६, १६७
- व्यापारिक नगर १६५
- व्यापारी सभाएँ १५३
- व्यापार—की रक्षा १५६,—संबंधी  
ग्रंथ वैश्यापरुम्हई १३४
- व्रत रचना—अलवेरुनी का उल्लेख  
३४
- शंकर—७, १८, १९, २३, २५, ३५,  
३६, ३७, ६५, ६६, ६८
- शंकरदिविजय ७, २३
- शबरस्वामी—का भाष्य जैमिनि के  
सूत्रों पर ६४
- शरीर विद्या ११६
- शराब पीना—ब्राह्म्यायन के काम-  
सूत्रों में ५८, मुलेमान का  
उल्लेख ५८
- शल्यविद्या—सुश्रुत में १२०, महा-  
भारत में उल्लेख १२०, विनय-  
पिटक के महावग्ग में १२०,  
भोजप्रबंध में १२०,—की प्रशंसा  
१२७
- शस्त्र १२०, १२१, एनीपदशस्त्र १२२
- शान्तिपर्व—( महाभारत का ), राज-  
नीति का उत्कृष्ट ग्रंथ १३०
- शाकटायन—एक ( जैन ) वैयाकरण  
८५
- शाक्तों—के भेद—कौलिक और सम-  
यिन २७; कालामुख ( शक्ति  
पूजा का एक संप्रदाय ) २७,
- शैवीचक्र ( शाक्तों का एक मंत-  
व्य ) २७
- शाखा—फलित उपोनिष से संबंध  
रखनेवाला एक भाग १०६
- शामूल—ऊनी कुरता ५३
- शाङ्गधरसंहिता—शाङ्गधर कृत ११६
- शास्त्रार्थ की प्रथा १४९
- शासन कार्य—हुण्ट्सिंग का वर्णन  
१५१, शासन प्रबंध १५६, शासन  
के मुख्य विभाग १५३ शासन-  
पद्धति १५१, प्राचीन तामिल की  
शासन पद्धति में परिवर्तन १६१
- शिक्षण विधि—हुण्ट्सिंग का वर्णन  
१४९
- शिक्षा १४२
- शिक्षा-क्रम १४५, हुण्ट्सिंग का वर्णन  
१४६, हुण्ट्सिंग का वर्णन १४४,
- शिकार ५२
- शिल्पकला की प्रशंसा १०१, १८१
- शिलालेख—नगरी का १६, शेरगढ  
का ६
- शिव—की उपासना २०
- शिवदृष्टि २४
- शिवलिंग २१
- शिशुपालवध—माघ कृत ७६
- शुकसप्तति ७६
- शूद्रक—कृत मृच्छकटिक ८१
- शृंगार—बाटो का ५५
- श्वेतांबर १२
- शैव मत १४

- शारसेनी—तथा उसमें लिखे ग्रंथ १४५
- श्रीपति—लिखित रत्नमाला और जातकपद्धति ( फलित ज्योतिष पर ) १०७,—लिखित सिद्धांत-शेखर और धर्मकोविद ( कर्मण ) १०४
- संगीत कथा—१६१, १६२, १६३; बहराम गोर द्वारा हिंदुस्तानी गीतों का ईगान में बुलवाया जाना १६३,—का धुरंधर मर्मज्ञ, अश्वघोष १६३,—का भक्तिमार्ग के साथ संबंध १६३
- संगीत लिपि—भारत की १६३, १६४, गाइडो डी अरेजो—१६४
- संगीत शास्त्र—और उसके अंग १२८
- संगीतरत्नाकर—में संगीत के विद्वानों का उल्लेख १२८, १२९
- सद्य—देखो गण
- सद्याराम—दुष्कर्मों का उल्लेख १४२, एक प्रकार का शिष्यालय १४२
- संप्रदायों—में एकता का भाव ३७
- संप्रदाय—जैन धर्म के—१२, पाशुपत—२२, २३, भक्ति—१६, भागवत—१६, मध्व—१६, लकुलीश—२२, लिगायत—२५, बल्लभ—२०; विशिष्टाद्वैत—१६; वैष्णव—१६; शैव—२२, २३, शैव संप्रदाय की शाखा, प्रत्यभिज्ञा
- संप्रदाय २४, मानव ( यादव ) —१६,
- संस्कार—का वर्णन, मिताचारा में ३३
- संस्कृत—साहित्य की भाषा ७३;—साहित्य का विकास ७४;—की उत्पत्ति का ठीक अनुभव ७५,—के विकास की दिशा ८६;—की चरम उत्पत्ति ८४
- सती—के उदाहरण ६८, अल्लेखनी का मत ६६
- सत्कार्यवाद—( परिणामवाद ) ८६
- समरागण सूत्रधार—( वास्तुविद्या पर ग्रंथ ) १८१
- समुद्रगुप्त ८
- सरस्वती-कथाभरण—भोजनिर्मित पाठशाला १३६
- सर्पविद्या १२२
- सर्वज्ञान—पराशरी का पुत्र ८, १८०
- साख्य—६१, ६२, ६३, ६६, १००, निरीश्वर, ईश्वरकृष्ण का ६२; मेश्वर, उपनिषदा में ६२,—कारिका, ईश्वर कृष्ण की ६२;—का प्रभाव, नास्टिक मत पर १०१,—का प्रभाव, ग्रीक दर्शन पर १०१
- साख्यतत्त्वकौमुदी—वाचस्पति मिश्र की ६२
- सार्वजनिक कार्य १५६
- साहित्य—का अर्थ ७३,—की चर्चा



- से विनोद ५६
- सिकंदर ६४
- सिक्के १७१
- सिंचाई १६४
- सिद्धार्थ १०
- सिरोही राज्य २१
- सिंहासनत्रांशिका ७६
- स्त्रियो—का आदर, प्राचीन काल में ६४; मनुस्मृति में ६६;—की स्थिति ६४,—की दिनचर्या ६६,—की शिक्षा और उसके उदाहरण ६४, ६५,—के वस्त्र—५३, ५४,—का मर्दों के साथ घूमना ६६,
- स्त्रियाँ—दरबार में ६६, युद्ध में—६६
- रीने की कला—पर हुण्त्संग ५२,—का प्राचीनत्व ५३
- सुई—( ब्राह्मण ग्रंथों में ) ५३
- सुकरात १०१
- सुभाषित-संग्रह ७८
- सुभाषित-रत्न-संदोह—अमितगति का ७६
- सुश्रुतसंहिता ११६
- सुभाषितावली—वल्लभदेव की ७८
- सोमदेव—का यशस्त्रिक (चंपू) ८१
- सोमेश्वर—का सुरथोत्सव ६२
- सूर्य—के पर्याय ३१;—की उपासना २६;—का वर्णन २६, ३०,—की कथा ३०
- सूद—राजतरंगिणी में वर्णित हंजी-नियर १६३
- सेना—के अफसरो के नाम १६०; भारतीय जलसेना का उल्लेख १५६, १६०, हर्ष की सेना का वर्णन १५६, सैनिक व्यवस्था १५६; सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन १६२
- सोढूल—कृत उदयसुंदरी कथा ४८
- सोमानंद २४
- सोमेश्वर शतक—कनड़ी में १४१
- स्कंद—रामायण में २६, महाभाग्य में २६, कनिष्क के सिक्कों पर २६
- स्तंभ १७८, धार का जयस्तंभ १६६, आग्रा का लोह स्तंभ १६८
- स्तूप १७०
- स्थितिशास्त्र ११८
- स्पंदवारिका २४
- स्पदशास्त्र २३
- स्मृतिकारो—के नाम १३२
- स्मृतिकल्पतरु—लक्ष्मीधर का १३२
- स्याद्वाद—जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत ६६
- स्वच्छता—हिंदुओं की १२५
- हंटर १०५
- हनुमन्नाटक—दामोदर कृत ८२
- हर्ष—६;—का चुनाव राज्यपद के लिये १५२
- हर्षचरित २३
- हर्षवर्धन ४४;—कृत नाटक ८१
- हरकेलि नाटक—विग्रहराज (चतुर्थ) का ४५

( २१३ )

हरिहर २६	नाम १२५
हरिहर पितामह २६	हेमचंद्र १४, ६५;—के ग्रंथ १५,
हारावली—पुरुषोत्तमदेव कृत, कोष-६	८५, ६०, १३० १३८
हारुंरशीद—भारतीय वैद्यों को अरब	हैरिक्लिस की पूजा १६
बुलवाया १२६	होयगल राजा १४
हिप्रेटिक—मिश्र का सुधारा हुआ	होरा—फलित ज्योतिष से संबंध रखने-
ग्रंथ क्रम १११	वाला एक भाग १०६
हिपेरॉलिक—मिश्र का सबसे पुराना	होरा षट्पंचाशिका—पृथुयशा लिखित
ग्रंथ क्रम ११०	१०७
हुएन्संग—३, १६६,—का यात्रा विव-	होली—का उत्सव ५१
रण ६;—द्वारा पुण्यशालाओं के	ज्ञानयोग १८

-----

